पंचम माला, खण्ड 60, अंक 23, गुरुवार, 8 अप्रैल, 1976/19 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LX, No. 23, Thursday, April 8, 1976/Chaitra 19, 1898 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ सोलहवां सत्र / Sixteenth Session ]

[ खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. LX contains Nos. 21 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two rupees

[ यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, गुरुवार, 8 अप्रैल, 1976/19 चैत्र, 1898 (शक)

*No.* 23 *Thursday, April* 8, 1976/*Chaitra* 19, 1898 (*Saka*)


| विषय | Subject | पृष्ठ Pages |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 441, से 445, 448, 451 से 454, 456 और 460 | Starred Questions Nos. 441 to 445, 448, 451 to 454, 456 and 460 | 1—16 |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1 | Short Notice Question No. 1 . | 16—20 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 446, 447, 449, 450, 455 और 457 से 459 | Starred Questions Nos. 446, 447, 449, 450, 455 and 457 to 459. | 20—23 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 से 2207, 2209, 2210, 2212 से 2230, 2232 से 2239, 2241 से 2259 और 2261 से 2269 | Unstarred Questions Nos. 2203 to 2207, 2209, 2210 2212 to 2230, 2232 to 2239, 2241 to 2259 and 2261 to 2269 | 23—54 |
| सभा की बैठक के रद्द किये जाने के बारे में एक वक्तव्य | Statement Re cancellation of a sitting of the House . . . | 54 |
| श्री के० रघुरामैया | Shri K. Raghu Ramaiah . . . | 54 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table . | 54 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee . | 55 |
| 201वां प्रतिवेदन | Two hundred and first Report . . | |
| सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति | Committee on Absence of Members from the sittings of the House | 55 |
| 26वां प्रतिवदन | Twenty sixth Report | |
| अनुदानों की मांगें, 1976-77 | Demands for Grants, 1976-77 | |
| विदेश मंत्रालय | Ministry of External Affairs . | 56 |
| श्री यशवन्त राव चव्हाण | Shri Yeshwantrao Chavan | 56-57 |
| श्रम मंत्रालय | Ministry of Labour . | 59 |


किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| श्री दीनेन भट्टाचार्य | Shri Dinen Bhattacharyya | 60 |
| श्री राम नारायण शर्मा | Shri R. N. Sharma . | 71 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . . | 72 |
| श्री वसन्त साठे | Shrl Vasant Sathe . . . | 73 |
| श्री राम सिंह भाई | Shri Ram Singh Bhai . . . | 74 |
| श्री बाल गोविन्द वर्मा | Shri Balgovind Verma . | 75 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee . . . | 77 |
| कुक्कर खांसी निवारण और उन्मूलन स्कीम विधेयक-पुरःस्थापित | Whcoping Cough Prevention and Eradication Scheme Bill-Introduced | 78 |
| भारत रक्षा संशोधन विधेयक--(धारा 6 का संशोधन) | Defence of India (Amendment) Bill (Amendment of Section 6) by | |
| श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा | Shri Somnath Chatterjee . . | 78 |
| बिचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत हुआ | Motion to consider—Nagatived | |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee. | 78 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M.C. Daga | 79 |
| श्री अर्जुन सेठी | Shri Arjun Sethi . . | 80 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B.V. Naik . . | 80 |
| श्री ईराज्मु द सकैरा | Shri Erasomo de Sequeira | 80 |
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey | 80 |
| श्री आर० वी० बडे | Shri R.V. Bade | 81 |
| श्री डी० के० पण्डा | Shri D.K. Panda . . . | 81 |
| श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा | Shrimati T. Lakshmikanthamma | 81 |
| श्री एफ०एच० मोहसिन | Shri F.H. Mohsin . | 82 |
| निवारण मुनाफाखोरी और कीमत नियंत्रण विधेयक--श्री के० लकप्पा द्वारा | Profiteering Prevention and Price Control Bill by Shri K. Lakkappa | 86—88 |
| विचार करने का प्रस्ताव-- | Motion to consider— | |
| श्री के० लकप्पा | Shri K. Lakkappa . | 86 |
| श्री रण बहादुर सिंह | Shri Ranabahadur Singh | 87 |
| श्री बी०वी० नायक | Shri B.V. Naik . | 87 |
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana . | 88 |

## लोक सभा
## LOK SABHA

गुरुवार 8, अप्रैल 1976/19 चैत्र, 1898 (शक)

*Thursday, April 8, 1976/Chaitra 19, 1898 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर
# ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### काली पनबिजली परियोजना

*441. **श्री बी० वी०नायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने काली पनबिजली परियोजना के मग्न होने वाले क्षेत्र में लौह तथा मेंगनीज अयस्क निकालने के लिये कोई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

### विवरण

(क) और (ख) इस बारे में कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा भेजे गये मुख्य प्रस्ताव तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

(1) काली नदी के जल मग्न होने वाले क्षेत्र में से 19099 एकड़ से अधिक भूमि में से लोहा और मेंगनीज निकालने के लिये मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि० को खनन पट्टे दिये गये हैं । भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

(2) मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि० को इस क्षेत्र से निकाले गये लोहे/मेंगनीज को सीधा निर्यात करने तथा निर्यात शुल्क से छूट की अनुमति देना । चूंकि इन खनिजों का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया । फिर भी, राज्य सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि० द्वारा इस क्षेत्र का समस्त उत्पादन निर्यात के लिये ले लेगी ।

(3) इस क्षेत्र के उत्पादन के लिये मेंगनीज अयस्क के निर्यात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्धों से छूट देना । राज्य सरकार ने वर्ष 1975-76 की अवधि में इस क्षेत्र में उत्पादित 70,000 टन मेंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये अनुमति मांगी थी । इसे स्वीकार कर लिया गया था ।

**श्री वी० पी० नायक** : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निकाले जाने वाले लौह-अयस्क और मेंगनीज अयस्क का मूल्य कितना होगा ? इस अयस्क के निक्षेप का मूल्य कितना है और इसे निकालने में कितने वर्ष लगेंगे ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : यह बताना कठिन है कि मूल्य कितना होगा, क्योंकि मूल्य उस समय के प्रचलित भाव पर निर्भर है । माननीय सदस्य को मैं मोटे तौर पर यह बता सकता हूं कि बांध के निर्माण से सम्भावित मग्न होने वाले क्षेत्र में मेंगनीज अयस्क की मात्रा 13 लाख मीटरी टन और लौह अयस्क की मात्रा 10 लाख मीटरी टन है । यह पट्टा मैसूर खनिज निगम को दस वर्ष के लिये दिया गया है, परन्तु उन्होंने इस क्षेत्र से खनिज निकालने के लिये फिलहाल पांच वर्ष का कार्यक्रम बनाया है ।

**श्री वी०पी० नायक** : मैंने मूल्य इस लिये पूछा था कि काली पनबिजली परियोजना से लगभग 1230 मैगावाट बिजली पैदा होगी और इस की लागत लगभग 700 से 800 करोड़ रुपये आयेगा । इस की खुदाई से जो लौह-अयस्क प्राप्त होगा, उसके मूल्य से ही इस का निर्माण किया जा सकेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इन खनिजों से जो आय होगी, क्या सरकार उसे इसी परियोजना में लगायेगी ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । खनिजों का मूल्य चाहे कितना है, जरूरी नहीं कि उस राशि को इसमें ही लगाया जाये । भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अपने अपने बजट बनाये हैं । उन्हें अन्य स्रोतों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि निर्माण कार्य हो रहा है । इसलिये इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिये धन का अभाव नहीं होगा, चाहे वह खनिजों के विक्रय से प्राप्त हो अथवा किसी अन्य स्रोत से । हमारी मुख्य चिन्ता यह है कि इस बांध के निर्माण से यह महत्वपूर्ण और कीमती खनिज मग्न न हो जाये और राष्ट्र को हानि न हो । इस लिये हम इस के निकाल जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

**श्री के० लकप्पा** : वक्तव्य के अनुसार काली नदी क्षेत्र में जल मग्न हो जाने वाले सम्भावित क्षेत्र में लोहा और मैंगेनीज के खनन का पट्टा मैसर्स मैसूर खनिज लिमिटेड को दिया गया है । यह कर्नाटक राज्य का राजकीय संगठन है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । वह भारत सरकार से लौह अयस्क का निर्यात करने की विशेष अनुमति मांग रहे हैं, अन्यथा परियोजना के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हो जायेगा । इसलिये यह वांछनीय है कि मैसूर खनन लिमिटेड अयस्क का सीधा निर्यात करे, ताकि काली नदी परियोजना शीघ्र पूरी हो सके । मैसूर खनिज लिमिटेड को अनुमति देने की बजाय सरकार उनके रास्ते में रोड़े अटका रही है । क्या माननीय मंत्री अपना विचार बदलेंगे और मैसूर खनिज लिमिटेड को, जोकि एक सुस्थापित सरकारी संगठन है, निर्यात की अनुमति तथा वित्तीय सहायता दी जायेगी, ताकि लौह अयस्क का निर्यात किया जाये ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : माननीय सदस्य की बात सही नहीं है । भारत सरकार खनिजों के खनन में हर संभव सहायता दे रही है । मैंने स्वयं 70,000 मीटरी टन निम्न श्रेणी मेंगनीज के निर्यात की अनुमति दी है, हालांकि मंत्रिमंडल की मंजूरी अभी प्राप्त करनी बाकी है। जहां तक निर्यात का संबंध है खनिज तथा धातु व्यापार निगम, इस्पात मंत्रालय तथा मैसूर खनिज लिमिटेड के बीच एक बैठक पहले ही हो चुकी है । कुछ योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में उनमें सहमति हो गई है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र के खनिज अयस्क के निर्यात को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी । इस लिये कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और भारत सरकार कोई रुकावटें पैदा नहीं कर रही हैं ।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या इस योजना का पूरा होना इस क्षेत्र से लौह और मेंगनीज अयस्क के पूरी तरह से निकाले जाने से सम्बन्धित है । क्या इस योजना को लौह अयस्क के निकाले जाने के बाद ही पूरा किया जा सकेगा ? यदि हां, तो लौह अयस्क को शीघ्र निकालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाये ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । हमें यह भी देखना है कि परियोजना समय पर पूरी हो । इस लिये मैसूर खनिज लिमिटेड को एक योजना तैयार करने को कहा गया था । उन्होंने खनिज निकालने के लिये एक योजना तैयार कर दी है । यह 9 करोड़ रुपये की योजना है । वास्तव में कुछ ऐसी गैर सरकारी कम्पनियों को भी पट्टे दिये गये हैं, जिनके पास खनन के लिये संसाधन तथा तकनीकी जानकारी मौजूद है । इस लिये भारत सरकार कर्नाटक सरकार तथा मैसूर खनन लिमिटेड के परामर्श से सब संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

## मृत्यु राहत योजना के अन्तर्गत भत्ते में वृद्धि

*442. **श्री के० लकप्पा** :
**श्री राम गोपाल रेंड्डी** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल में सरकार ने मृत्यु राहत योजना के अन्तर्गत कोयला खनिकों की विधवाओं को दिये जाने वाले भत्ते में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी)** : (क) जी हां, कोयला खान घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत पहली दिसम्बर, 1975 से ।

(ख) भत्ता, मृत खनिक की आश्रित विधवा के मामले में 25 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिमाह और विधवा को छोड़कर अन्य आश्रितों के लिये 50 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है । यह भत्ता 5 वर्ष की अवधि के लिये देय है ।

**श्री के० लकप्पा** : वास्तव में यह चसनाला दुर्घटना के कारण किया गया है । घातक दुर्घटनाओं के मामलों में खनिक की विधवा पत्नी के लिये बढ़ाये गये जिस भत्ते की मंजूरी दी गई है, वह भी बहुत कम है । इस से वे अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर सकते और न ही अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं । इस लिये जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो उसके देखते हुए अनुग्रह पूर्वक भुगतान की राशि को और बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि यह चसनाला में होने वाली दूसरी दुर्घटना है तथा इस प्रकार की घटना खनन कार्य में अन्यत्र भी हो सकती है ? इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना का विस्तार समूचे देश के लिये किया जायेगा तथा स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इस में और वृद्धि की जायेगी ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** कोयला खान घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना ही एक मात्र राहत योजना नहीं है । भविष्य निधि, कर्मकार प्रतिकर, अनुग्रह पूर्वक भुगतान तथा ऐसी अन्य योजनायें हैं । जब मैंने और मेरे साथी श्री चन्द्रजीत यादव ने दुर्घटना के बाद चसनाला का दौरा किया था, तो हमारे सामने यह समस्या रखी गई थी कि 25 रुपये की राशि बहुत कम है । खनिज कल्याण संगठन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम इस राशि को बढ़ा कर 75 रुपये कर सके हैं ।

**श्री के० लकप्पा** : क्या यह सच है कि चसनाला की गम्भीर दुर्घटना के बाद कुछ अभ्यावेदन पेश किये गये थे और विशेषज्ञों ने भी यह सिफारिश की थी कि कोयला खान क्षेत्र में गम्भीर स्थिति को देखते हुए राशि में और वृद्धि करना बहुत जरूरी है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : इसीलिये कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है । राज्य सभा ने पहले ही यह विधेयक पास कर दिया है तथा इस सभा में उस पर विचार किया जाना है। उसमें प्रतिकर में काफी वृद्धि की गई है ।

**श्री बो०डी० चन्द्र गोडा** : क्या वह रियायत चसनाला की दूसरी दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को भी मिलेगी ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : यह सब खनन क्षेत्रों पर लागू होगी ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, ताकि चसनाला दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को भी बढ़ी हुई दर से प्रतिकर मिल सके ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : इस सभा में पास हो जाने के बाद यह भूतलक्षी प्रभाव 1 अक्तूबर, 1975 से लागू होगा ।

**केन्या में अनागरिक व्यापारियों द्वारा व्यापार बन्द करना**

*443. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या ने अनागरिक व्यापारियों से अपना स्टाक खत्म करने और अपने व्यापार को बन्द करने के लिये कहा है;

(ख) क्या इससे भारत मूलक व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री विपिनपाल दास)** : (क) कीनिया के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक बयान दिया है जिसमें गैर-नागरिक व्यापारियों से कहा गया है कि वे "अपने-अपने स्टाक कम रखना शुरू कर दें और हमारे देश में व्यापार बन्द करने की तैयारी करें।"

(ख) और (ग) कीनिया के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का बयान गैर-नागरिक व्यापारियों को आम चेतावनी के रूप में था । हमारे पास सुलभ सूचना के अनुसार, अप्रैल, 1975 के बाद से छोड़ कर जाने के कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं । लेकिन यह सब को मालम है कि कीनिया की सरकार 1968 से गैर-नागरिक व्यापार का कीनियाईकरण करने की नीति का अनुसरण करती रही है । इससे भारतीय मूल के व्यापारियों पर असर तो पड़ेगा ही हालांकि जिस तरह चरणों में यह किया गया है, उससे अनुचित कठिनाइयां नहीं हुई हैं । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बयान के बाद भारतीय मूल के व्यापारियों से कोई शिकायत हमें नहीं मिली है ।

**श्री डी० डी० देसाई** : मंत्री महोदय अति जानकार व्यक्ति हैं तथा वह उगांडा भी गये थे । इस सम्बन्ध में क्या भारत सरकार का विचार भारतीय मूल के नागरिकों की आस्तियों के बारे में आंकड़े प्राप्त करने तथा कीनिया सरकार के कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही करने का विचार है ? क्या उगांडा सरकार के साथ अपने विगत के अनुभव के आधार पर सरकार ऐसे उपाय करेगी ?

**श्री विपिन पाल दास** : मैं नहीं समझ पाया कि अग्रिम कार्य करने से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है । हमारे पास तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध हैं । वह एक स्वतन्त्र प्रभुत्ता संम्पन्न सरकार है । उन्हें अपने कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है । हम उस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । हमारे उच्चायुक्त केन्या सरकार को इस बात पर सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह समचे कार्यक्रम को चरणों में बांट दे, ताकि कठिनाई कम हो जाये ।

**श्री डी० डी० देसाई** : मेरा आशय भारतीय मूल के उन लोगों की आस्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र करने से था जिन्हें नोटिस नहीं दिये गये हैं, परन्तु नोटिस दिये जाने का भय है, ताकि भविष्य में नोटिस दिये जाने के बाद भारत सरकार केन्या सरकार के साथ समस्याओं का हल कर सके । मेरा अनुरोध है कि केन्या में हमारे राजदूत से आंकड़े एकत्र करने तथा भारतीय मूल के लोगों को यह कहने के लिये कि वह अपना काम धीरे-धीरे कम कर दें, कहा जाये, ताकि एकदम ऐसी समस्या पैदा न हो, जिस से दोनों पक्ष कठिनाई में पड़ जायें ।

**श्री विपिन पाल दास** : मैंने पहले भी कहा था कि अचानक कार्यवाही नहीं की गई है । 1968 से चरणों में कार्यवाही की जा रही है । परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । भारतीय मूल के उन लोगों में से अधिकांश ब्रिटिश पार-पत्रधारी हैं तथा नरोबी स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कार्यवाही की है । वह ब्रिटेन में बसने के लिये उदार रूप से रोजगार पत्र तथा स्थायी वीसा दे रहा है । ब्रिटिश उच्चायुक्त यह कार्य कर रहा है । अधिकांश व्यक्ति ब्रिटिश उच्चायुक्त की परिधि में आ जाते हैं । जहां तक केन्या सरकार का सम्बन्ध है, उस ने अवरुद्ध आस्तियों के बदले आरम्भ में विदेशी मुद्रा में 50,000 केन्या शिलंग तथा बाद में 5 वर्षों तक विदेशी मुद्रा में 20,000 केन्या शिलंग प्रतिवर्ष देने का निर्णय किया है । जो व्यक्ति आरम्भ के 50,000 केन्या शिलंगों के अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान तुरन्त चाहते हैं, उन्हें केन्या सरकार तुरन्त 60,000 केन्या शिलंगों का एक मुश्त भुगतान करेगी । यह व्यवस्था की गई है । यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उस के साथ ज्यादती की गई है, तो वह केन्या के कानूनों के अधीन अर्पील कर सकता है और कई मामलों में ऐसी अपीलें मंजूर की गई हैं ।

**श्री जी० विश्वनाथ** : क्या हम केन्या सरकार से कम से कम उन लोगों को जो वहां दशकों से रह रहे हैं नागरिकता प्रदान करने के लिये सहमत नहीं करा सकते ? क्या भारत सरकार इस बारे में विचार कर रही है और केन्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री विपिन पाल दास** : मुझे इस बारे में जानकारी एकत्र करनी होगी ।

**श्री बी० पी० नायक** : तृतीय विश्व के देशों के प्रति मंत्री महोदय की सहानुभूति की सराहना करते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि तृतीय विश्व के देशों से भारतीयों को भगाया जा रहा है ? जब कि ब्रिटिश कानून सख्त होते जा रहे हैं और भारतीयों को वहां प्रथम श्रेणी का नहीं, अपितु द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार तृतीय विश्व के देशों के साथ सहानुभूति रखने की बजाय जैसे के साथ तैसा के आधार पर कार्यवाही क्यों नहीं करती ? वह उन से बातचीत क्यों नहीं करती ।

**श्री विपिन पाल दास :** हम अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं । परन्तु अन्ततः प्रभुसत्ता प्राप्त देशों को अपने कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है ।

**चिकित्सा संस्थाओं में एक सामाजिक विज्ञान विभाग खोलना**

*444. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चिकित्सा संस्थाओं में एक सामाजिक विज्ञान विभाग खोलने तथा मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, सामाजिक कार्य और प्रबन्ध शास्त्र को चिकित्सा पाठ्यक्रम का एक अंग मानने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) चिकित्सा शिक्षा की पाठ्यचर्या में छात्रों को सामुदायिक और सामाजिक पहलुओं से परिचित कराने की आवश्यकता को सरकार समझती है ।

**Shri Jagannath Mishra :** Sir, modern research and investigation have established that there is deep relationship between the body and the mind. Indian seers have also said that a healthy mind resides in a healthy body. Gandhiji has also said that there is deep relationship between sociology, psychology and medical science. In this context, I will like to know the extent to which he has been able to implement his scheme. If that scheme has not been taken in hand by now, when does he propose to do so ?

**Dr. Karan Singh :** I agree with the Hon. Member that body and mind are inter-linked. This philosophy has been given due importance in the ancient culture as well and in the present world, it is gaining momentum. Previously emphasis was the treatment of the body only but now the ideas, mind, body etc. of an individual are attached due importance and we want to include them in our medical curriculum. A meeting of Health Ministers is going to be held in this very month, and thereafter, a meeting of the principals and deans of medical colleges will be held. We will place this new philosophy before them and hope to bring about the needed improvements in our system of education.

**Shri Jagannath Mishra :** Does the Hon'ble Minister propose to constitute a committee of experts with a view to incorporating a radical and pragmatic approach in our medical curriculum and enabling our medical institutions to function effectively ?

**Dr. Karan Singh :** Two reports, one of Group on Medical Education and Sportsmen and the other of Social Science in Professional Education, Agricultural Engineering and Mining, Report of the V.G.C., I.C.S.S.R.C. have been submitted to us. We are moving ahead on the basis of these reports. There is no need to organise any other group for the time being. If any such need arises in future, we shall see to it.

**बिहार में अभ्रक की खानों का बन्द होना**

*445. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोडर्मा अभ्रक पट्टी की गैर-सरकारी क्षेत्र की अभ्रक की लगभग सभी खानें अगले दो महीनों में बन्द होने जा रही हैं ;

(ख) क्या अभ्रक खनन संस्था ने इस बारे में सरकार को कोई नोटिस दिया है ; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)**: (क) जी, नहीं।

(ख) एक अभ्रक खनन एसोसिएशन ने 14-2-76 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें अभ्रक खान मालिकों से खान बन्द करने के बारे में 2 महीने का नोटिस देने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : उस क्षेत्र में कितनी ऐसोसिएशने हैं ? क्या श्रमिकों को भय है कि चूंकि राज्य व्यापार निगम देश की अभ्रक के निर्यात के लिये आर्डर प्राप्त नहीं कर सका है, इसलिये खानें बन्द हो जायेंगी ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : अभ्रक उत्पादकों की सम्भवतः 8 ऐसोसिएशनें हैं । ऐसी बात नहीं है कि राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिये समुचित आर्डर नहीं मिले हैं । मिंटको जो अभ्रक का निर्यात करती है, विदेशी आर्डर प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है । उसे अभी तक 12 करोड़ रुपये के आर्डर मिल चुके हैं और भारतीय अभ्रक के अधिकांश खरीददार आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें अभ्रक शीघ्र भेजी जाये । विश्व बाजार में आजकल मन्दी है फिर भी ताजा संकेतों के अनुसार लगता है की भारतीय अभ्रक की मांग बढ़ेगी । हमें बहुत से आर्डर मिले हैं । यह गलत है कि इसका निर्यात नहीं हो रहा है ।

**सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : अभ्रक खानों के बन्द होने के भय को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार अभ्रक खानों को अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है और यदि हां तो सभी अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण करने में कितना समय लगेगा ?

**श्री चन्द्रजीत यादव** : यह कहना ठीक नहीं है कि सभी खानें बन्द होने वाली हैं । अभ्रक की खानें छोटी खानें हैं । लोग आग्रह कर रहे हैं कि इन छोटे खनकों को प्रोत्साहित करना चाहिये । अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## नदियों में स्टीमर द्वारा नौगम्यता

*448. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के भीतर ऐसे जल-मार्गों की नदीवार किलोमीटर में कितनी लम्बाई है, जो स्टीमरों द्वारा नौगम्य है ;

(ख) क्या सभी नौगम्य मार्गों का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार भावी नौचालकों को कोई प्रोत्साहन दे रही है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

विवरण

**स्टीमरों द्वारा नौगम्य लम्बाई**

| क्र० सं० | नदी का नाम | *स्टीमर द्वारा नौगम्य लम्बाई (कि० मी० में) |
|---|---|---|
| 1. | ब्रह्मपुत्र | 854 |
| 2. | सुबान्सिरि | 25 |
| 3. | बोरक | 190 |
| 4. | कोपिली | 60 |
| 5. | गंगा | 1659 |
| 6. | भागीरथी | 230 |
| 7. | हुगली | 290 |
| 8. | घोघरा | 150 |
| 9. | यमुना | 150 |
| 10. | गन्डक | 160 |
| 11. | बूढ़ी गन्डक | 209 |
| 12. | कोसी | 291 |
| 13. | महानदी | 242 |
| 14. | गोदावरी | 160 |
| 15. | गौतमी गोदावरी | 27 |
| 16. | वशिष्ठ गोदावरी | 43 |
| 17. | कृष्णा | 141 |
| 18. | मन्दोवी | 41 |
| 19. | जुवारी | 64 |
| 20. | नर्मदा | 71 |
| 21. | तपी | 24 |
| 22. | झेलम | 170 |
| | कुल | 5161 |

*यह कुछ वर्ष पहले एकत्रित सांख्यिकियों पर आधारित है ।

**Shri Rajdeo Singh** : These rivers pass through certain parts of the country which are in a way backward. A sizeable chunk of the population residing on the banks of these rivers depend for their livelihood on these rivers and navigation is their profession. I would like to know whether this river transport is cheaper than road or rail transport.

**Dr. G.S. Dhillon** : We cannot draw any comparison between river, road or rail transport. In the river transport, other expenditure is involved. Rivers have to be deepened and dredges, jetties, terminals etc. have to be provided and roads thereon have also to be constructed. This entails a lot of expenditure. However, if these things are already there, then river transport is cheaper.

**Shri Rajdeo Singh** : If Government cannot provide for all these things, will it allow people to take to navigation by forming cooperatives, taking loans from the Banks and will Government provide necessary facilities to them so as to enable poor people of the country to travel by this cheaper transport ?

**Dr. G.S. Dhillon** : The Hon'ble Member has made a very good suggestion and we will gladly accept it. We have already spent a lot in this connection. In the Second Plan, we had provided Rs. 72.34 lakhs in the Third Rs. 307.40 and in the Fourth Plan about Rs. 1070 lakhs for the purpose. We are prepared to consider this suggestion. If people come forward, we will be very happy. We shall talk over the matter with the Planning Commission. It is a very good suggestion.

**Shri Harikishore Singh** : The Hon'ble Minister has stated that a lot of expenditure is involved in purchasing steamers etc. But expenditure is also involved in the construction of railway stations and roads etc. But the main question is that the rivers pass through certain areas particulars in North Bihar and Eastern U.P. where transport facilities are not available. Will Government permit private parties and cooperatives to start navigation there so that transport facilities could be provided there and the backwardness of those areas could be removed ?

**Dr. G.S. Dhillon** : We have yet to do a lot, we have to purchase steamers etc. There are scores of rivers which can be utilised for navigation purposes for more than six months in a year. We are trying to do as much as is possible.

**Shri Hari Kishore Singh** : Government have imposed restrictions on utilising these rivers for navigation purposes.

**Dr. G.S. Dhillon** : We can consider in terms of formulating a definite policy if any such thing is brought to our notice. The question of cooperatives has been raised for the first time.

**Shri Ramavatar Shastri** : We used to carry on good trade through rivers in the past. I would like to know whether Government propose to stop carrying on such trade gradually or propose to promote it by bringing about necessary improvement in this respect ?

**Dr. G.S. Dhillon** : We are already spending huge sums on inland waterways. We shall also help private operators and cooperatives. We shall not stop them. That will not be in the interest of the nation.

**Shri D.N. Tiwary** : It has been observed that during summer season, steamers ply between Allahabad and Calcutta but sometimes they stop plying due to scaricity of water and thus the transport comes to a standstill. Will Government conduct a survey for providing halts for these steamers and take measures to remedy the situation so that the transport does not come to a stop due to scarcity of water ?

**Dr. G.S. Dhillon** : National Council of Applied Research is conducting hydrographic survey between Allahabad and Calcutta. Regional office conducted hydrographic survey between Kanpur and Farakka. But certain developments are taking place near Farakka and I am not in a position to give any further information about it for the time being.

**मोबाइल टेलीफोन पद्धति**

*451. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय क्षेत्रों तथा सड़क तथा रेल दोनों के लिये मोबाइल टेलीफोन पद्धति की व्यवस्था करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) स्थानीय इलाकों में तथा सड़क और रेल दोनों के बड़े मार्गों पर मोबाइल टेलीफोन पद्धति की व्यवस्था करने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव डाक-तार विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Ch. Ram Prakash :** Sir, as you are aware, the population is on the increase and so are the accidents in railways and on the roads. Due to inadequate telephone arrangements, dead bodies remain lying on the roads and immediate relief is not provided to the injured. Is the telephone not necessary to meet such eventualities ?

**Shri Jagannath Pahadia :** Telephone is absolutely necessary.

**Ch. Ram Prakash :** All M.Ps. are very sore on account of your Department. Heavy deductions are made from the salary bills of the M.Ps. by his Department. All their bills are bogus.

**Shri Jagannath Pahadia :** It is because the Hon'ble Members make a large number of telephonic calls. We have looked into their telephone bills a number of times.

**Shri D.N. Tiwari :** Their calculations are wrong. Telephonic calls are not in that large number.

**देश में प्रति व्यक्ति चिकित्सा शिक्षा की लागत**

*452. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा की प्रति व्यक्ति लागत निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) 1964 में किये गये एक अध्ययन से पता चला कि एक चिकित्सा स्नातक के प्रशिक्षण पर 80,000 रुपये का खर्च बैठता है । इस रकम में शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ, वेतन, उपकरण आदि पर होने वाला 50,000 रुपये का खर्च पढ़ाने के काम में आने वाली अस्पताली सेवाओं का 18,000 रुपये का खर्च और प्रति छात्र के मैन्टनैन्स पर होने वाला 12,000 रुपये का खर्च शामिल है । इस आधार पर, अब प्रति छात्र लगभग एक लाख रुपये का खर्च बैठेगा ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार चिकित्सा छात्रों के अन्य देशों में जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है, क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक छात्र पर इतना अधिक धन खर्च करती है ?

**डा० कर्ण सिंह** : जबकि डाक्टरों के विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, हमने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे हम आशा करते हैं कि प्रतिभा पलायन रुक जायेगी । पहला पग हमने यह उठाया है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की स्थापना की है ताकि हमारी स्नात्कोत्तर परीक्षाओं का

भी वही स्तर हो जो कि विश्व में कहीं भी अन्यतर हैं । वर्ष 1977 से एम० आर० सी० पी० तथा एफ० आर० सी० एस० की डिग्रियां भारत में स्वत: मान्य नहीं समझी जायेंगी तथा उन्हें कोई अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा । इसलिये हम पिछली परम्परा से नाता तोड़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसा करने से तथा भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से और स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने से भारत से डाक्टरों का बाहर जाना बहुत कम हो जायेगा ।

**श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जबकि कई देशों ने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, वे इंजीनियरों तथा डाक्टरों को अपने देशों में आने तथा बसने के लिये निमंत्रित करते हैं ताकि उन्हें अपने छात्रों के प्रशिक्षण पर धन खर्च न करना पड़े ?

**डा० कर्ण सिंह** : यह ठीक है । परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब तक देश में सारे डाक्टरों को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था नहीं होती तब तक डाक्टरों के बाहर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिये । हमारे बहुत से डाक्टर विकासशील देशों में जा रहे हैं । मेरे माननीय साथी, विदेश मंत्री, को ज्ञात है कि हम ईरान, ईराक, और फारस की खाड़ी के देशों में सैकड़ों की संख्या में डाक्टर भेज रहे हैं । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे डाक्टरों ने संसार भर में, जहां भी वे गये हैं, बड़ा नाम कमाया है । जब कि हम यह नहीं चाहते कि अन्धाधुन्ध प्रतिभा पलायन हो, हम यह भी नहीं चाहते कि डाक्टरों के बाहर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये ।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि भारतीय डाक्टरों ने संसार भर में बहुत बड़ा नाम कमाया है । जबकि हम अपने देश में प्रत्येक छात्र पर उसे डाक्टर बनाने के लिये भारी राशि खर्च करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या छात्रों को ऐसे अनुदेश देने का प्रस्ताव है कि वे एम० बी० बी० एस० पास करने के बाद कार्य करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में जायें ?

**डा० कर्ण सिंह** : जी, हां । हमारे समक्ष ये एक मुख्य समस्या हैं । इसके लिये हम तीन बातें कर रहे हैं । पहली यह कि हम चिकित्सा के विषय का पुनर्नवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समुदाय चिकित्सा विभाग जिसका अर्थ है ग्रामीण चिकित्सा योजना को सुदृढ़ बनाया जाये । दूसरे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्तरोत्तर डाक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं । मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इस समय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में शायद ही कोई स्थान खाली हो, जिसका अर्थ यह है कि जितने भी पद बनाये जाते हैं हमारे डाक्टर वहां जा रहे हैं। परन्तु जहां कोई सरकारी पद नहीं है, हम यह आशा नहीं कर सकते कि उस गांव में कोई डाक्टर जायेगा क्योंकि न तो वहां निदान की कोई सुविधाएं और न ही उपकरण उपलब्ध हैं ।

**श्री वसंत साठे** : मैं माननीय मंत्री से एक अथवा दो बातें जानना चाहता हूं । पहले तो यह कि जब हम एक डाक्टर के प्रशिक्षण पर एक लाख रुपये जैसी अधिक राशि खर्च कर रहे हैं क्या यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता कि उन्हीं डाक्टरों को विदेश जाने की अनुमति दी जायेगी जो सरकार की तालिका पर हैं ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई तालिका है ?

दूसरे यदि वे समृद्ध देशों में जा रहे हैं और प्रचूर मात्रा में धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि धन कमाना ही एक मात्र प्रलोभन है, तो उनसे कोई प्रतिभूति राशि अथवा उतनी राशि जितनी उन पर खर्च की गयी है, प्राप्त क्यों नहीं कर ली जाती ताकि उस राशि का उपयोग अन्य डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिये किया जा सके । इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध होने चाहिये । क्या इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ?

इन बातों का पृष्ठभूमि में मैं, एक बात और जानना चाहता हूं । देश में इस समय ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं, जैसाकि आपको ज्ञात है, जो कैपिटेशन फीस के नाम पर छात्रों से भारी राशि वसूल कर रहे हैं। क्या इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते ताकि इन युवकों को तथा उनके अभिभावकों को इतना अधिक खर्च करके अधिक कमाने की लालसा न हो ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि अन्तिम भाग राज्यों का विषय है ।

**श्री बसंत साठे**: परन्तु एक राष्ट्रीय नीति बनायी जा सकती है तथा राज्यों को मार्गदर्शी अनुदेश दिये जा सकते हैं।

**डा० कर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने तीन अथवा चार भिन्न प्रश्न उठाये हैं । पहला प्रश्न यह था कि क्या उन डाक्टरों की कोई तालिका है जो बाहर जाना चाहते हैं । वास्तव में कार्मिक विभाग में उन सब डाक्टरों की तालिका है जो विदेशों में जाना चाहते हैं तथा वहां उनका पंजीकरण होता है ।

दूसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के सम्बन्ध में, जो कि भारी संख्या में विदेशों में जा रहे, मैंने गहन जांच करवाई है । मैं विशेषज्ञों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि विशेषज्ञों की हमारे अपने स्वास्थ्य केन्द्रों में कमी है और मैं नहीं चाहता कि हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर जिन्हें राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए भर्ती किया गया है, विदेशों में जाएं । कुछ डी० जी० एम० डाक्टरों को जाने की अनुमति दी गयी है परन्तु हम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । सामान्य जनता में से गैर-सरकारी डाक्टरों को अभी भी विदेशों में जाने की अनुमति है ।

प्रतिभूति राशि का प्रश्न बहुत दिलचस्प है । यह विचाराधीन है तथा एक प्रस्ताव यह है कि सब तकनीकी व्यक्तियों को जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं अपनी आय का एक भाग विदेशी मुद्रा में देश में भेजने को कहा जाये । विभिन्न मन्त्रालयों में हम इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं ।

जहां तक कैपीटेशन फीस का सम्बन्ध है यह मामला अनेक बार सभा में उठाया गया है । इस समय देश में 106 चिकित्सा कालेज हैं जिनमें से कम से कम 87 अथवा 90 सीधे सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं क्योंकि एक अथवा दो कालेजों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है । इस तरह 16 अथवा 17 कालेज रह जाते हैं जो कि गैर-सरकारी हैं तथा इनमें ही कैपीटेशन फीस ली जाती हैं । हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इन सब कालेजों का तुरन्त अधिग्रहण किया जाये, क्योंकि इसमें राज्य सरकारें सम्बद्ध होंगी । बिहार राज्य में ही अनेक गैर-सरकारी कालेज हैं, जिन्होंने हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं । हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नया चिकित्सा कालेज नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हमारे चिकित्सा कालेजों की संख्या पर्याप्त है तथा हम आशा करते हैं कि यथासमय राज्य सरकारें इन कालेजों का अधिग्रहण अथवा इनके कार्यकरण को नियमित कर सकेंगी । हमारी नीति भी इसी दिशा में है ।

**Shri Bhibuti Mishra** : The hon. Minister has admitted that doctors are not available in Primary Health Centres. In my State, Bihar, the conditions are very pitiable. Even at block level in the Health Centres neither the doctors, nor the medicines, nor the equipments for pathological examinations are available. The hon. Minister would say that it is a State subject. The State Government says that funds should be provided to them by the Centre for this purpose. After all it is a fact that the public have voted for us as well as for M.L.As. If that is so, why the public is deprived of health services and at least something should be done at district level, if not at the Primary Health Centre level or the block level. I want to know whether there is any such scheme ?

**Dr. Karan Singh** : The hon. Member has painted a very painful picture about Bihar and it is true to some extent. But as he has himself said it is a State subject. We have given funds under the Minimum Needs Programme to the State Governments under the Five Year Plan. Now they have no justification for asking for additional funds. They should spend the funds already made available to them. We are alive to the situation and keeping an eye thereon.

## ट्रक भार की उचित मात्रा निर्धारित करना

*453. **श्री भान सिंह भोरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में ट्रक में लादे जाने वाले भार की उचित मात्रा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर ट्रकों के निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने राज्यों को सुझाव दिया कि ट्रकों के संबंध में 15 टन के एक ही प्रकार के लदान भार प्रतिबन्ध को लागू किया जाये । जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और नागालैण्ड जैसे कुछ एक राज्यों को छोड़ सभी राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये हैं । असम केवल कुछ एक निर्दिष्ट मार्गों के संबंध में उक्त प्रतिबंध लागू करने के लिए सहमत हुआ है जबकि मणिपुर अपने क्षेत्र में दो कमजोर पुलों को उन्नत करने के बाद ही ऐसा करने के लिए सहमत हुआ है ।

**Shri B. S. Bhaura :** It is a good thing that a uniform laden weight restriction of 15 tons has been imposed. But I want to know whether the States which have not agreed to this proposal have raised any objection and if so, the details thereof ?

**Shri Dalbir Singh :** No doubt they have raised objections. But the entire work is done by persuasion, as we have no such legislation under which we can compel them to agree to our proposal. All the States barring the few, referred to in my reply, have agreed to the proposal.

**Shri B. S. Bhaura:** If the laden weight is not uniform, then there is no use of the National Permits issued by the Centre and the State Governments. If any Legislation is required in this regard, that should be enacted, otherwise the national permits would be of no use and it will lead to corruption and holding of trucks for long hours at the barriers.

**The Minister of Shipping and Transport (Dr. G. S. Dhillon):** The hon. Minister has stated very rightly. We are trying to persuade them and if need be we will show no hesitation in taking other measures also. I have asked my Ministry to implement the proposal in full and if need be legislation should also be brought.

## कृषि श्रमिकों के लिए सर्वोच्च संस्था

*454. †**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

**श्री एच० एन० मुकर्जी :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए सर्वोच्च संस्था (एपेक्स बाडी) बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सर्वोच्च संस्था के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार कृषि श्रमिकों और संगठनों के लिये केम्प आयोजित कर रही है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, ग्रामीण श्रमिकों में नेतृत्व का विकास करने के प्रयोजन से उनके लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है ।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: माननीय मन्त्री ने अभी हाल में हैदराबाद में एक शिविर में भाग लिया था तथा उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि कृषि श्रमिकों के लिए सर्वोच्च संस्था बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, हालांकि इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रस्ताव का उल्लेख किया था, वह वस्तुतः क्या है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : मुझे याद नहीं आ रहा है कि श्री चन्द्रप्पन किस शिविर की बात कर रहे हैं। कृषि श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण शिविर कुडापा में आयोजित किया गया था न कि हैदराबाद में और उस शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था बनाने का प्रश्न नहीं उठाया गया था। मैं नहीं समझता कि मैंने कभी ऐसा प्रस्ताव किया हो क्योंकि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था नहीं बनाती। यह द्विपक्षीय संगठन होता है। यदि राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था किसी विशेष उद्योग अथवा विशेष विषय के बारे में सिफारिश करती है तो उसके लिए एक राष्ट्रीय संस्था बनाई जाती है। सरकार उसे केवल अनुसचिवीय सहायता प्रदान करती है तथा सरकार उसके कार्यक्रम के लिए कि वह कब बैठकें बुलाए तथा क्या कार्य करे आदि उत्तरदायी नहीं होती। परन्तु हम उन्हें आवश्यक सहायता देते हैं तथा अधिकांश बैठकों में मैं अथवा मेरे साथी अथवा हम दोनों भाग लेते हैं ताकि हम उस बैठक के सुझावों को समझ सकें और अपनी राय भी दे सकें। परन्तु हम सर्वोच्च संस्था में लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं होते।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** कृषि श्रमिकों के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सर्वोच्च संस्था की स्थापना पर विचार करने के लिए उन संगठनों की कोई बैठक बुलाएगी ताकि अखिल भारतीय स्तर पर समान हितों की समस्याओं पर समन्वित रूप से विचार-विमर्श किया जा सके ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी**: यह विचार गलत नहीं है। परन्तु समस्या यह है कि कृषि एक राज्य का विषय है तथा कृषि श्रमिकों की भिन्न-भिन्न जटिल समस्याएं हैं तथा राज्यों को सम्बद्ध किए बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता होना बहुत कठिन है फिर भी इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

**श्री भोगेन्द्र झा**: माननीय मन्त्री ने अभी सभा में बताया है कि इसका उद्देश्य बहुत सराहनीय अर्थात् कृषि श्रमिकों में नेतृत्व का विकास करना है। वर्तमान स्थिति में समस्याएं बहुत जटिल हैं। कृषि श्रमिकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और वे सामाजिक शोषण के भी शिकार हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग हैं। उन्हें दबाया जाता है तथा सताया जाता है और वे कर्ज से दबे हुए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में कृषि श्रमिकों में नेतृत्व का विकास हुआ है तथा वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बन्धित श्रम पद्धति अधिनियम तथा ऐसे अन्य अधिनियमों को लागू कराने का प्रसाय कर रहे हैं। परन्तु उन्हें सताया जाता है, दबाया जाता है, पीटा जाता है और कभी-कभी हत्या तक कर दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसे पग उठाएगी जिनसे कृषि श्रमिकों के नेतृत्व को सुरक्षा प्रदान की जाये तथा जो कोई इन विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करे अथवा कृषि श्रमिकों को सताए उन्हें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाये।

**श्री रघुनाथ रेड्डी**: इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला पहलू प्रशासन से सम्बन्धित है तथा दूसरा संगठन से सम्बन्धित है। जहां तक प्रशासनिक कार्यवाही का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में तथा मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी सविस्तार विचार किया गया था तथा यह कहा गया था कि जो कोई इन अधिनियमों का उल्लंघन करे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही से यह समस्या हल नहीं होगी। कृषि श्रमिकों के मामले में संगठनात्मक नेतृत्व का विकास होना चहिए। यद्यपि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है तथापि संगठनात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। जोकि गरीब श्रमिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दे सके।

**Triple Vaccination of New Born Babies**

*456. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government propose to make arrangements for compulsory triple vaccination of new born babies in the country ?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) :** There is no such proposal at present.

**Shri K. M. Madhukar:** Mr. Speaker, the hon. Minister very well knows that the death rate among the children of this country is very high. As is evident from the recent newspaper reports a large number of children are becoming blind. Taking these factors into consideration could he please tell us what are the difficulties in triple vaccination of new born babies ? Can he not make mass scale arrangements for the same ?

**Dr. Karan Singh :** There are a number of difficulties in regard to triple vaccination for diphtheria, whooping cough and titanus. The first is that we do not possess vaccine to the extent required. This is being produced in public sector at Kasauli and Haffkins Institute as well. But so far its annual production is only 12.5 million doses whereas our requirement is much more.

Secondly vaccine require refrigeration facility for storage, which is not available at rural places. These facilities can be arranged in the cities but it cannot be arranged in the villges.

The third difficulty is in regard to periodicity. After the first vaccination, second vaccination has to be done after 2-2½ months and then after two years. This has to be followed up like that and we do not have the infrasturcture for the same. So our policy is that in the villages where we do not have the infrastructure, we are increasing immunisation every year. We have immunized 14 lakh children during the course of last one year. This year we have a programme for immunization of 20 lakh children. So by increasing the number by 3-4 lakhs every year we propose to cover the whole country in next 5, 6 or 8 years.

**Shri K. M. Madhukar :** I would like to know from the hon. Minister whether in place of triple vaccination same alternative under Ayurvedic or Unani system has been formed which might be easy and less expensive. Can not the Government arrange vaccination by increasing production ?

**Dr. Karan Singh :** Mr. Speaker, here it is necessary to understand that Unani and Ayurvedic systems are meant for cure of a disease. If some ailment takes place it can be cured with these medicines. The Vaccine is a prevention. It is true that if food is nutritious and the standard of living is better the danger of such ailments is less but there is no alternative to vaccine.

**Shri R. S. Pandey :** Mr. Speaker, now that if there are more than two children the parents would be sent to jail and for that laws are being enacted in State legislatures. Now you would have to enhance infra-structure in the villages so that the children born in villages may remain better. It is a pity that you are met providing for the infra-structure. You are a very good and responsible Minister. Now that there is no possibility of more than two children in a family can be fix a target date for the provision of infra-structure ?

**Dr. Karan Singh :** The system of two children family would have its effect in the year 2000. Till then our infra-structure that is required to be enhanced would have been considerably enhanced and even now it is being enhanced.

**Shri N. K. Salve :** Sir, the hon. Minister has stated that vaccine is not being manufactured in sufficient quantity and we are not able to provide it in our villages. I would like to say that it is not triple antigen. Triple prophylactic is expensive for whooping cough etc. Would the hon. Minister state by when he would be able to manufacture sufficient quantity of vaccine. This is one thing.

Secondly, on various occasions it is in short supply even in the cities where there refrigeration is available and other facilities are also available. Is the Government taking steps for its proper distribution there ?

**Dr. Karan Singh** : Mr. Speaker, the Central Research Institute, Kasauli makes 80 lakh doses and Haffkins manufacture 50 lakh doses. We have asked these institutions to increase the production of triple vaccine. I think it would take 6-7 years to have the production to meet our requirements. But we are setting it through U.N.I.C.E.F. last year we got 130 lakh doses through U.N.I.C.E.F. But our clear policy is to meet the requirement in next few years.

## सार्वजनिक वाहनों (स्टेज कैरिज) पर समान कराधान

*460. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के बस मालिकों के संघ (फेडरेशन आफ बस ओनर्स) ने समूचे भारत में सार्वजनिक वाहनों (स्टेज कैरिज) पर कराधान के लिए एक समान विधान के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायः हस्तक्षेप अविवेकी कार्यवाही को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वर्तमान संवैधानिक उपबंधों के अधीन वह समूचे देश में मोटर गाड़ियों पर करों की एक समान दरें निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाए ।

**श्री एस० राधाकृष्णन** : मोटर गाड़ियों पर करों में न केवल एक राज्य में निरन्तर परिवर्तन तथा वृद्धि हो रही है अपितु विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक स्थितियों में फेर-बदल हो रहें है । इसलिए क्या सरकार स्टेज करैज के कार्यकरण की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये कम से कम एक समिति के गठन करने तथा राज्य को कम से कम कुछ मार्गदर्शी नियम निर्देशित करने की कार्यवाही करेगी ताकि कराधान में कुछ एक रूपता आ सके ?

**श्री दलबीर सिंह** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कई बार उठाया गया है परन्तु जब तक हम वर्तमान वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं लाते हम कुछ नहीं कर सकते । फिर भी राज्यों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा के समय हम इस प्रश्न को उठाते रहें है, और हम राज्यों को परामर्श देते रहें हैं कि जहां तक सम्भव हो समान कानून बनाये जायें तथा सभी राज्यों द्वारा सामान्य सिद्धान्तों का अंगीकरण किया जाये ।

## अल्प सूचना प्रश्न

## SHORT NOTICE QUESTION

### गुडाल्लूर, तमिलनाडु में बन्धित श्रम प्रथा का समाप्त किया जाना

1. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की इस आशय की रिपोर्ट सरकार ने देखी है कि कानून द्वारा बन्धित श्रम प्रथा समाप्त किये जाने के बाद भी गुडाल्लूर, तमिल नाडु में यह प्रथा प्रचलित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में बन्धित श्रम प्रथा तुरन्त समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) और (ख) जी हां । राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने घर-घर का सर्वेक्षण किया है और 5,667 की कुल बनिया जनसंख्या में से बन्धक श्रमिकों के रूप में 481 बनियों का पता लगाया है । इन श्रमिकों को अपने भूतपूर्व मालिकों के बन्धन से मुक्त कराया जा चुका है । मुक्त कराए गए इन श्रमिकों में बेरोजगारी की कोई फौरी समस्या नहीं है क्योंकि वे उसी क्षेत्र में उचित मजदूरियों पर कृषि संबंधी कार्यों में काम खोजने के काबिल हैं । तमिल नाडु सरकार ने यह अनुदेश करते हुए आदेश जारी किए हैं कि बन्धन मुक्त किए गए 481 बनियों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, नीलगिरीज के विकास संबंधी इण्डो-जर्मन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत योजनाओं तथा अन्य प्लान और गैर-प्लैन योजनाओं जैसी नीलगिरिस जिले में निष्पादनाधीन श्रम प्रधान योजनाओं में तरजीह देकर नियोजित किया जाना चाहिए । जहाँ कहीं आवश्यक है, मुक्त कराये गए श्रमिकों के तुरन्त नियोजन के लिए तरजीह की व्यवस्था की गई है । सभी राजस्व अधिकारियों को अनुदेश दिए गए है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बन्धक श्रमिक को उसके गृह स्थान से निष्कासित नहीं किया जाता और सतर्कता समिति के सदस्यों को सतर्क रहने के लिए अनुरोध किया गया है । जिला और उप प्रभागीय स्तर पर सतर्कता समितियाँ गठित की गई हैं और अधिनियम के अधीन कलक्टरों एवं जिला न्यायाधीशों, राजस्व प्रभागीय अधिकारी गुडाल्लुर और तहसीलदार गुडाल्लुर को समुचित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ।

**श्री वयालार रवि** : सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि यह बनिया पद्धति नहीं है अपितु पनिया पद्धति है ।

श्रीमान जी, 'अमृत बाजार पत्रिका' तथा 'हिन्दु' ने गुडाल्लुर ताल्लुक तमिलनाडु में बंधित श्रम प्रथा के बारे में प्रमाणित दस्तावेजों से मुक्त चित्रों के माध्यम से प्रकाश डाला है । मंत्री महोदय ने बताया है कि उन सबको मुक्त कर दिया गया है । यह रिपोर्ट 28 मार्च को प्राप्त हुई थी । अतः राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के जारी करने के पश्चात् भी यह पद्धति चल रही है, जोकि एक अपराध है । अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि बंधित श्रम प्रथा से मुक्ति देते समय दोषी मालकों के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत किया गया है । श्रीमान जी इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि न केवल पनिया पद्धति अपितु बंधित श्रम प्रथा के अन्य रूप जैसे कुरुम्बम, इसलास, कटुनायाकनस अभी भी चल रहे हैं ।

इस बारे में हम इस बात पर ध्यान देना आवश्यक समझते है कि सरकार को इस मामले की जानकारी देने के बाद भी किस ढंग से मामले पर ध्यान दिया गया । इस बारे में यदि आप अनुमति दें तो मैं 'अमृत बाजार पत्रिका' से उद्धरण देना चाहूंगा :

> "जब प्रधान मंत्री ने 1 जुलाई, 1975 को अपने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी तब उन्होंने कहा था । बंधित मजूरी निर्दयतापूर्ण है और उसका उन्मूलन किया जायेगा । सभी ठेके तथा अन्य व्यवस्थाएं जिनके अधीन बंधित मजदूर रखे जाते हैं अवैध होंगे । तमिल नाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने दावा किया था कि तमिल नाडु में बंधित मजदूरी प्रथा नहीं है । शायद उनका कथन ठीक था । यह बंधित प्रथा नहीं अपितु उससे भी बुरी प्रथा है । उन क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात् जहां पनिया रहते हैं तथा उनसे बात करने के पश्चात् मेरा मत है उनकी स्थिति गुलामों से भी बुरी है ।"

यह 28 मार्च की बात है । आपको वक्तव्य तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट पर आधारित है । 'हिन्दु' तथा 'अमृत बाजार पत्रिका' के समाचारों में कहा गया है कि जिला अधिकारी उन्हें वह स्थान नहीं बता पाये जहां पर लोग गुलामी सह रहें हैं तथा उन्होंने जल्दी से सर्वेक्षण करके वही संख्या बता दी जो आपने सूचित की है ।

मैं आपका ध्यान दिसम्बर, 1975 तथा जनवरी, 1976 में हुए पत्र-व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं जो मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव, राजस्व सचिव और कलक्टर ने बताया कि यह केवल बंधित श्रम प्रथा का एक अप्रत्यक्ष प्रकार है । यह कलक्टर तथा अन्य अधिकारियों का प्रतिवेदन है । मैं जानना चाहता हूं कि उन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने इस क्षेत्र में परिचलित बन्धित श्रम प्रथा के गम्भीर उपेक्षा बरती है । लोगों को मुक्त करते समय कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं ? इस क्षेत्र के दूसरे जन-जातीय लोगों की क्या स्थिति है और उसका पूरा सर्वेक्षण करने तथा इन सब व्यक्तियों को मुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जहां तक बनिया और 'पनिया' का प्रश्न है यह वर्तनी की भूल हो सकती है। जहां तक यह प्रश्न है कि हम राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर निर्भर कर रहें है मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि 'हां' या न में उत्तर दे सकूं और हो सकता है माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित किये गये कुछ मामले अभी भी विद्यमान हैं । हम राज्य सरकार से इस पर पुनः ध्यान देने को कहेंगे ।

इस बारे में की गई गिरफ्तारियों के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है । सम्भवतः वे अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हों । हमें इसका पता करना पड़ेगा । हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि अपनी अनेच्छा के होते हुए भी उन्होंने वक्तव्य दिया है कि वहां पर बंधित श्रम प्रथा नहीं है । उनके अनुसार उन्होंने प्रत्येक घर की तलाशी ली और लगभग 481 व्यक्तियों को मुक्त किया और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने की चेष्टा की ।

जो लेख माननीय सदस्य ने उद्धृत किया है उसे पढ़ने का मुझे भी अवसर मिला था । इसपर मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने राज्य सरकारों को जानकारी भेजने के लिये कहा है और मैं उससे अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं जोकि हमें राज्य सरकार ने भेजी है । सम्भवतः जो माननीय सदस्य ने बताया है वह सही है । हम राज्य सरकार को पुनः इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध कर रहें हैं कि मामले पर शीघ्र तथा समुचित कार्यवाही करे ।

**श्री वयालार रवि** : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि जानकारी देने के लिये उन्हें कुछ और समय चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामले पंजीकृत किये गये हैं ? अध्यादेश के आधार पर मामले पंजीकृत किये गये होगें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं आप पता कर सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश यह समझ कर जारी किया गया था कि देश के कुछ भागों में बन्धित श्रम प्रथा विद्यमान है । यह तथ्य आपको स्वीकार करना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई सर्वेक्षण किया है अथवा उस क्षेत्र में विद्यमान बंधित श्रम प्रथा की वर्तमान स्थिति के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है और इस बारे की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है ? अध्यादेश जारी किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने कोई गिरफ्तारियां की हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : स्पष्टतः बन्धित श्रम प्रथा के विद्यमान होने के आधार पर प्रधान मंत्री ने इसे घृणित पद्धति कहा था । विधान लाया जा चुका है । यह इस देश का वैध नियम है और इस मामले पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि बहुत सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी । यह इस लिये है कि यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है.....

**श्री वयालार रवि** : क्या आपको प्रतिवेदन मिल गया है और आप कौन से स्थायी पग उठाने का विचार रखते हैं ?

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : हमें विभिन्न राज्यों से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और राज्य सरकारों ने जो पग उठाए हैं उनकी जानकारी भी हमें मिल गयी है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय आप अपने आपको केवल तमिलनाडु तक ही सीमित रखिए ।

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : मैं तमिलनाडु सरकार को फिर लिखूंगा । अब इस समय वे कठिनाइयां नहीं हैं जो पहले थीं । इसलिए हम अब जानकारी ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि हम राज्य सरकारों को उपयुक्त और शीघ्र कार्यवाही करने के लिए प्रेरित भी कर सकेंगे ।

**श्री एन० के० पी० साल्वे** : माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है उसमें कुछ नरमी का आभास मिलता है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह पद्धति एकदम बर्बरता पूर्ण है और मानवता के नाम पर कलंक है बुद्ध और गांधी के देश में रहने वाले हम लोगों को इस पद्धति की निन्दा करनी चाहिए । चूंकि कानून की दृष्टि से यह एक अपराध है इसलिए यदि अपराधी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या मन्त्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि अब उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ? मैंने लेख को भी पढ़ा है । इसमें जो विस्तृत ब्यौरा दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि यह लेखक अथवा पत्रकार की केवल कल्पना की उड़ान ही नहीं है । क्या माननीय मन्त्री सभा को आश्वासन देंगे कि वे इस लेख में की गयी शिकायत पर विचार करेंगे और यदि यह शिकायत ठीक पायी गयी तो अपराधी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी और अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जायेगा ?

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : लेख में केन्द्रीय सरकार और विशेषकर श्रम मन्त्रालय द्वारा की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया गया है ।

**श्री एन० के० पी० साल्वे** : क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । माननीय सदस्य को निश्चिन्त रहना चाहिए कि श्रम मन्त्रालय इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

**श्री वी० स्वामीनाथन** : उन्होंने जो उत्तर दिया है वह राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन पर आधारित है । यह मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं । यदि वे राज्य सरकार से पूछताछ करें तो उन्हें वही उत्तर मिलेगा । वे केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को वहां जाकर स्थिति को स्वयं देखने के लिए क्यों नहीं कहते ? ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

**श्री के० वी० रघुनाथन रेड्डी** : उनके यह सुझाव देने से पहले ही श्रम मन्त्रालय ने इसकी जांच पड़ताल करली है ।

**श्री वसन्त साठे** : बताया गया है कि अधिकारी ने जल्दबाजी में कुछ जांच पड़ताल की है । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । वह प्रतिवेदन में दिया हुआ है । जो बताया गया है वह इस प्रकार है: 'उन्हें न तो यह पता था कि वह पद्धति वहां पर किसी सीमा तक प्रचलित थी और कितने बान्धित पनियां वहां पर थे । अध्यादेश को कार्यान्वित करने में उनके सामने कुछ कठिनाइयां भी आयीं क्यों कि न तो पनियां और न ही उनके स्वामी यह बताने के लिए तैयार थे कि उनके बीच क्या सम्बन्ध है ?'

यह पनियां और दास लोग पीतल या किसी अन्य धातु के बने कंगन अपने हाथों में पहनते हैं ताकि उनकी पहचान की जा सके कि ये अपने स्वामियों के दास हैं । इस प्रकार की दासता वहां देखने को मिली है । क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करेंगे । क्या वे श्रम मन्त्रालय के एक दल को विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए वहां पर भेजेंगे । जिससे कि सदियों से चली आ रही इस प्रकार की दासता से समाप्त किया जा सके ? क्या वे सत्य का पता लगाएंगे और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही तुरन्त करेंगे ?

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह सभी राज्यों में जायें और इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण करें । इस विशेष क्षेत्र के बारे में जब मैं यह कहता हूं कि मैं विचार कर रहा हूं तो इस विचार के बाद कार्यवाही भी होती है ।

**श्री जी० विश्वानाथन्** : बन्धित श्रम पद्धति अभी भी तमिल नाडु में विद्यमान है । मैं सभा का ध्यान कल के समाचार पत्र हिन्दू में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसमें कहा गया है कि कोयम्बटूर के जिला क्लेक्टर ने कहा है कि कोयम्बटूर जिले के सत्यमंगलम ताल्लुक में उन्हें पता चला है कि 225 से भी अधिक बन्धित श्रमिक हैं और उन्होंने उनमें से 78 बन्धित श्रमिकों को मुक्त करने के लिए कार्यवाही की है । अभी भी, बाकी लोग बन्धित श्रम पद्धति के शिकार हैं ।

मैं जानना चाहता हूं और कितने अन्य जिलों में बन्धित श्रम पद्धति विद्यमान है । मेरे विचार में यह पद्धति पांच या छः जिलों में और है और इसका मुख्य कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता है । इनमें से 95 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हैं । में जानना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि जैसे ही वे बन्धित श्रम पद्धति से मुक्त हों, उन्हें फिर से बसाया जा सके ?

**श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी** : सर्वेक्षण के बारे में राज्य सरकार ने हमें बताया है कि उसने इन लोगों को वैकल्पिक नौकरियां दे दी हैं और वे इन्हें विभिन्न परियोजनाओं में वैकल्पिक नौकरियां देकर फिर से आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों के लिय एक प्रबन्धक

*446. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : **क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने सरकार से अनुरोध किया है कि कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों को एक पत्तन समूह के रूप में एक ही प्रबन्धक वर्ग के अन्तर्गत लाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : (क) और (ख) सरकार को शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु , मामला कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्य और वित्तीय स्थिति और अन्य मामलों की विस्तार से जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित द्वि-व्यक्ति समिति के संदर्भाधीन है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय किया जाएगा।

### आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिये भाड़ा दरें

*447. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : **क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाने वाले माल के भाड़े की दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : (क) और (ख) परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित प्रस्तावित भाड़ा वृद्धियों को सामान्य विचार विमर्श पद्धति के अनुसार प्रभावी रूप देने से पूर्व पोतस्वामियों द्वारा पोत वाणिकों के साथ विचार विमर्श करना होगा :

| | |
|---|---|
| 1. ई सी 1/आस्ट्रेलिया | 21% की भाड़ा वृद्धि |
| 2. ई सी 1/न्यूजीलैंड | 16% की भाड़ा वृद्धि |
| 3. डब्ल्यू सी 1/आस्ट्रेलिया | 6% का स्टीविडोरिंग अधिभार। |

**कृषि क्षेत्र में महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन**

*449. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) जी हाँ।

(ख) कृषि में नियोजन सहित सभी नियोजनों में समान वेतन अधिनियम, 1976 को क्रमिक रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।

**औद्योगिक एककों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने का उत्पादन पर प्रभाव**

*450. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों के उत्पादन में सुधार के लिए श्रमिकों द्वारा उनके प्रबन्ध में भाग लिए जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) श्रमिकों में यह भावना उत्पन्न करने हेतु और क्या उपाय किये जाने का विचार है कि एकक के कुशल कार्यकरण और विकास से उनका सीधा वैयक्तिक संबंध है ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क), (ख) और (ग) : उद्योग में श्रमिकों द्वारा भाग लेने की योजना से संबंधित संकल्प, जो सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 1975 को घोषित किया गया है, कार्यान्वित किया गया है और लगभग 92 केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्यान्वित की प्रक्रिया में है; इसके अतिरिक्त उपलब्ध सूचनानुसार, यह लगभग 140 निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है या कार्यान्विति की प्रक्रिया में है। कुछ राज्य सरकारों ने योजना को संशोधित भी किया है ताकि 500 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले उपक्रमों को भी शामिल किया जा सके। इस विषय पर राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय शिखर निकाय को भी इस योजना पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था और यह महसूस किया कि विभिन्न उद्योगों के लिए स्थापित की गई राष्ट्रीय औद्योगिक समितियों और राज्य शिखर निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए कि योजना सभी एककों में यथाशीघ्र चालू की जा सके। इस योजना की प्रतिक्रिया बड़ी सूरूचीपूर्ण है और श्रमिक संघों और प्रबन्धों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए इच्छुक सहयोग व्यक्त किया है। यह उत्पादन और उत्पादिता को बढ़ाने में सहायता देती है।

**इस्पात संयंत्रों की समस्याओं की जांच**

*455. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दो सलाहकार फर्मों को सभी इस्पात संयंत्रों की समस्याओं की जांच करने को कहा है;

(ख) क्या सरकार का इन इस्पात संयंत्रों में उत्पादन के विविधीकरण की संभावना का भी पता लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव)** : (क) जहां तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का संबंध है उनकी समस्याओं की जांच करने के लिये ऐसे सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई है लेकिन सरकार ने परामर्शी इंजीनियरों की दो फर्मों को लघु इस्पात संयंत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके लिए उपचारात्मक उपाय सूझाने का काम सौंपा है।

(ख) परामर्शी इंजीनियर उत्पादन में विविधता लाने के पहलू पर भी विचार करेंगे।

(ग) परामर्शी इंजीनियर प्रतिनिधि--लघु इस्पात संयंत्रों की वर्तमान स्थिति उत्पादन लागत और उत्पादन में विविधता लाने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिये विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के अध्ययन तथा विभिन्न ग्रेडों के इस्पात की भावी मांग और लघु इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की वाणिज्यिक क्षमता के आधार पर मरामर्शी इंजीनियर लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले संभावित फेरबदल तथा विविधिकरण, यदि कोई आवश्यक हो, का सुझाव देंगे।

**निचली हुगली को नौगम्यता**

*457. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 के कुछ अंतिम महीनों में जंगीपुर में फरक्का बांध से और उसकी पोषक नहर भागीरथी हुगली के जरिये अधिक जल का प्रवाह होने के कारण निचली हुगली की डुबाव (ड्राफ्ट) स्थिति और विशेषकर कलकत्ता बंदरगाह तथा हल्दिया के लिये उसकी नौगम्यता में हुए सुधार के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों)** : **(क) और (ख)** कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हुगली का नियमित सर्वेक्षण और संप्रेक्षण अपने रोजाना के कार्यक्रम के रूप में किए जा रहे हैं।

फरक्का बांध परियोजना पोषक नहर के परिचालन से संप्रेषण की अवधि बहुत ही कम समझी गयी है। कुछ और वर्षों तक और संप्रेषण की आवश्यकता होगी। तभी हुगली पर फरक्का बांध के प्रभाव की प्रमात्रा का मूल्यांकन किया जा सकेगा, परन्तु यह नौचालन, जलमार्ग, निकर्षण-क्रिया-कलाप, खारापन इत्यादि के बारे में कुछ लाभदायक परिणामों की निश्चित प्रवृत्ति प्रकट करता है।

**राष्ट्रीय कुशलता परीक्षण**

*458. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय दक्षता परीक्षण, प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग प्रणाली देश व्यापी आधार पर नियमित रूप से क्रियान्वित करने हेतु कोई अग्रिम परियोजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब तक प्रारंभ की जायेगी और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख)** इस समय देश-व्यापी योजना के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय जो प्रस्ताव विचाराधीन है वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के संबंध में है, जिसमें इस समय कुछ सीमित व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर योजना शुरू करने की कल्पना की गई है। जब यह योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली जाएगी तब इस की लागत तथा अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

## ईराक के विदेश मंत्री द्वारा दौरा

*459. **श्री रघुनाथ लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने गुट-निरपेक्ष एकता के बारे में उनसे कोई बातचीत की थी; और

(ग) क्या ईराक भारत के निकट सम्पर्क में रहने को सहमत हो गया है जिससे कि कोलम्बो में होने वाले गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर-सम्मेलन को सफल बनाया जा सके ?

**विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण)** : (क) जी हां। ईराक गणराज्य के विदेश मंत्री महामान्य डा० सादों हम्मादी 25 से 26 फरवरी 1976 तक भारत की संक्षिप्त यात्रा पर आये थे।

(ख) और (ग) जी हां। उनकी यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

## बर्मा और श्रीलंका में रह गई भारतीयों की सम्पत्ति का अनुमान

2203. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों की कितनी चल और अचल सम्पत्ति उन देशों में रह गई ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** :

**बर्मा**

भारत प्रत्यावर्तित होने वाले व्यक्ति बर्मा में जो चल और अचल सम्पत्ति छोड़ आये हैं उसके मूल्य का कोई प्रामाणिक अनुमान सुलभ नहीं है।

**श्रीलंका**

सामान्य नियम के अनुसार 1964 के समझौते के अंतर्गत जो लोग प्रत्यावर्तित होते हैं वे अंतिम रूप से भारत आते वक्त अपनी सभी आस्तियां, जिसमें भविष्य निधि और उपदान की राशि भी शामिल है, भारत ला सकते हैं। लेकिन कुछ व्यापारी, जो पहले ही भारत चले आये थे उन्हें अपनी सम्पत्ति को 'निरुद्ध लेखा' के रूप में छोड़ आना पड़ा था जो करीब 80 लाख रुपए होने का अनुमान है।

**मिलावटी तथा नकली औषधियां**

2204. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-75 के वर्षों के दौरान मिलावटी तथा नकली औषधियों के कितने मामलों का पता चला; और

(ख) ऐसे मामलों से संबंधित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दण्ड दिया गया ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड**

2205. **श्री नरुल हुडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए हाल ही में गठित किए गए तीसरे मजूरी बोर्ड के निदेश-पद क्या हैं ; और

(ख) इस बोर्ड द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा किए जाने की आशा है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-10656/76] जिसमें मजदूरी बोर्ड के विचारार्थ विषय तथा उसका गठन दर्शाया गया है।

(ख) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, मजदूरी बोर्ड को सलाह दी गई है कि वह अपना काम यथा संभव शीघ्र आरंभ करे।

**लघु इस्पात संयंत्र परियोजनाएं**

2206. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु इस्पात संयंत्रों सम्बन्धी परियोजनाओं को आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कहां तक क्रियान्वित किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : अब तक 203 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। इन इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता 42.46 लाख टन पिण्डों का उत्पादन करने की है। इस के मुकाबले में लघु इस्पात कारखानों की कुल स्थापित क्षमता 26 लाख टन बताई जाती है। आंध्र-प्रदेश, तामलनाडु और केरल में लघु इस्पात परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है :—

| राज्य | इकाइयों की संख्या | |
|---|---|---|
| | लाइसेंसीकृत | अधिष्ठापित |
| आन्ध्र प्रदेश | 12 | 4 |
| तमिलनाडु | 3 | 3 |
| केरल . . . . . | 1 | 1 |

ऐसा पता चला है कि आंध्र प्रदेश में लगाई गई 4 इकाइयों में से एक इकाई बन्द हो गई है।

## बार्ज परिवहन सेवा

2207. **श्री वसंत साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी में पत्तन की भीड़भाड़ कम करने के लिये, जिससे भारत के निर्यात व्यापार में भारी बाधा पड़ रही है, सरकार एक बार्ज परिवहन सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव तैयार करने, क्रियान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) भारतीय पोत स्वामियों, बजरा स्वामियों और यंत्रीकृत पालपोत स्वामियों को एक सुझाव दिया गया है कि वह वे पश्चिम एशिया (खाड़ी) क्षेत्र के पत्तनों में छोटे जलयानों को खड़ा करने की व्यहार्यता पर विचार करें। इससे पत्तनों पर आने वाले हमारे जहाजों से माल उनमें उतारा जा सकेगा और इससे हमारे जहाजों को देर तक रुकना नहीं पड़ेगा।

(ग) वे इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं ।

## देश में डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

2209. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय किन स्थानों पर 'एस-टी-डी वारिंग' सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) क्या ऐसे स्टेशनों पर, जो 'एस-टी-डी' व्यवस्था से जुड़े हैं और जहां लोग 'एस-टी-डी वारिंग' सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) इस संबंध में एक सूची संलग्न अनुबंध में दे दी गई है।

(ख) जी हां।

### विवरण

**जिन जगहों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने की व्यवस्था है, उन की सूची इस प्रकार है :**

1—उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने की व्यवस्था नीचे लिखे शहरों के सभी एक्सचेंजों में उपलब्ध है :—

1. अम्बाला
2. बंगलूर
3. बेलगाम
4. भुवनेश्वर
5. चिंगलपुट
6. कोयम्बतूर

7. कटक
8. चण्डीगढ़
9. गुंटूर
10. कांचीपुरम
11. लुधियाना
12. मुजफ्फरपुर
13. शिलांग
14. शिमोगा
15. श्रीनगर
16. त्रिचूर
17. त्रिपुर
18. वेल्लूर

2. नीचे लिखे शहरों के जिन एक्सचेंजों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटाने की व्यवस्था उनके नाम इस प्रकार हैं और अन्य एक्सचेंजों में उपस्कर अभी लगाया जाना है :—

1. नागपुर—मेन और इतवारी
2. अहमदाबाद, नवरंगपुरा, रेलवेपुरा, एलिस ब्रिज, कैंट, सेंट्रल और रायपुर गेट
3. इलाहाबाद सिवाय नैनी के
4. बड़ौदा मेन और जेल रोड़
5. बम्बई—सभी कासबार एक्सचेंज
6. कलकत्ता—सभी कासबार एक्सचेंज
7. दिल्ली—गाजियाबाद, बादली, बदरपुर, बहादुरगढ़, नांगलोई, नजफगढ़, बल्लभगढ़, नरेला, अलीपुर और जनकपुरी को छोड़कर दिल्ली के सभी एक्सचेंज।
8. एरनाकुलम और विलिंगडन द्वीप के एक्सचेंज
9. गौहाटी मेन एक्सचेंज
10. हैदराबाद—पौलीगुडा, सिकन्दराबाद, मुर्शिदाबाद, एरागाडा, गोलकुंडा
11. जयपुर—मेन एक्सचेंज
12. कानपुर—सेंट्रल और बेनाझावर
13. लखनऊ—मेन और आलमबाग
14 मद्रास—क्रोम्पेट, एन्नोर, माधवराम, न्यूनामाल्ली, रेड हिल्स और ताम्बरम के अलावा, सभी एक्सचेंज।
15. पूना—हादपसर और देहू रोड के अलावा, सभी एक्सचेंज
16. पटना—राजेन्द्रनगर एक्सचेंज
17. त्रिवेन्द्रम—कासबार एक्सचेंज

**निष्क्रिय/सक्रिय डाक बचत बैंक खाते**

2210. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1975 तक विभिन्न राज्यों में कुल खातों सहित निष्क्रिय एवं सक्रिय डाक बचत बैंक खाते कितने कितने थे ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : वांछित सूचना प्रदर्शित करने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10657/76]**

**Loans for Bridges in M.P.**

†2212. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether proposals have been received from Madhya Pradesh Government for sanctioning loans for the construction of bridges in the State; and

(b) if so, the amount sanctioned by the Ministry therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh ):** (a) & (b) Presumably, the Member is referring to the proposals sent by the Madhya Pradesh Govt. for loan assistance under the Central Aid Programme of State roads/bridges of inter-State or Economic Importance as part of the 5th Plan. A decision on these proposals has yet to be arrived at and as such, the question of sanctioning loans for the works proposed for the Fifth Plan does not arise. However, loan assistance is being given for approved 'on-going' schemes, and in the case of Madhya Pradesh, a loan of Rs. 32.70 lakhs was paid during 1975-76.

**कोयला खानों में ठेके पर या दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिक**

2213. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न कोयला खानों में दैनिक मजूरी अथवा ठेके के आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन कोयला खानों के श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण किया है उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं तथा सरकार ने इन बच्चों को किस प्रकार की सहायता दी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन श्रमिकों के कल्याण के लिये दी गई अन्य सुविधाओं के क्या तथ्य हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

**भारतिय नाविकों का कथित दमन**

2214. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स चौमुले स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड ने गत फरवरी में पोर्ट ऑफ रोटरडेम में 32 भारतीय नाविकों का दमन करके 32 विदेशी नाविक भर्ती कर लिये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) एक विदेशी ध्वजधारी जहाज एम० वी० "मराठा एनवाय" में, जिस में 32 भारतीय कार्मिक थे, फरवरी, 1976 में 32 विदेशी नाविक नियुक्त किए गए।

(ख) "मराठा एनवाय" पर नियुक्त भारतीय नाविकों ने कर्मीदल के एक सदस्य की सी० डी० सी० में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरोध के रूप में उस पत्तन पर जहाज से उतर गाए।

(ग) और (घ) जी हां, हमारे दूतावास के अधिकारियों के समझौता कराने के प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि कर्मीदल ने कठोर और समझौता ना करने का रुख अपना रखा था। मास्टर के पास कोई चार न था सिवा इसके कि जहाज के सामान को बन्द कर दे और सभी कार्मिकों को भारत भेज दे। कर्मीदल का 2-3-76 को हिसाब चुकता कर दिया गया।

**Declaration of road from Delhi to Jaipur, Tonk, Kota, Jhalawar as National Highway**

†2215. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether Government have decided to declare the road from Delhi to Jaipur, Tonk, Kota and Jhalawar as a national highway ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) :** The road from Delhi to Jaipur already forms part of National Highway No. 8. However, the road from Jaipur to Jhalawar *via* Tonk and Kota is a State Road. There is no decision to take over this State Road as a National Highway as owning to financial constraints, the Govt. are not considering any proposal for inclusion in the National Highway System at present.

**गोआ में पेलिट निर्माण संयंत्र लगाना**

2216. **श्री इराज़्मु द सेकैरा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में सुआरोडा में संयुक्त क्षेत्र के पेलिट निर्माण संयंत्र के लिए कितनी भूमि/कृषि भूमि अर्जित की गई है और की जा रही है;

(ख) इस भूमि का (1) भवनों (2) स्टाकिंग यार्डों और (3) अन्य उपकरण लगाने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(ग) संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता कितनी है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :** (क) मंडोवी पेलेट्स लि० ने, जो संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी है, गोवा के शिरोदा गांव में एक निर्यातोन्मुख आयरन और पलेट प्लांट लगाने के लिए 12.8 हैक्टेयर भूमि खरीदी है।

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र का निम्नलिखित तरीके से इस्तेमाल करने का विचार है :—

| | वर्गमीटर |
|---|---|
| (1) पेलेट स्टोर करने के लिए . . | 30,000 (लगभग) |
| (2) भवन के लिए . . . . | 30,000 (लगभग) |
| (3) जेटी (घाटों), कन्वेयर, आयल टैंक आदि के लिए . | 33,725 |
| (4) सड़कों, कार्यालय भवन और खाली जगह आदि के लिए . . . . | 34,275 |
| कुल . . . | 1,28,000 |

(ग) इस कारखाने की प्रस्तावित क्षमता प्रतिवर्ष 18 लाख टन पेलेट तैयार करने की है।

**Employees working in and annual expenditure on some Indian Embassies**

†2217. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees working in Indian Embassies in U.S.A., U.S.S.R., U.K. and France separately and the total annual expenditure being incurred on each Embassy under various heads; and

(b) whether Government effected any cut in the expenditure in 1974 and 1975 and if so, the extent thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)** : (a) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T.-10658/76].

(b) Government have not been able to cut expenditure owing to world-wide inflationary pressures and changes in monetary exchange rates. However, increases have been kept down to an unavoidable minimum by stringent economy measures including reduction of posts wherever functionally possible.

**वर्ष 1975-76 में परिवार नियोजन पर खर्च**

2218. **श्री अरविन्द एम० पटेल**

**श्री एन० आर वेकारिया** :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1975-76 में राज्यवार कुल कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) गुजरात सरकार ने इस अवधि में कितनी राशि खर्च की ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) 1975-76 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्यवार जो अनन्तिम भुगतान संस्वीकृत किया गया तथा सामान के रूप में जो सहायता दी गई, उसका क्या मूल्य था, इनके बारे में एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10659/76]

(ख) गुजरात सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार दिसम्बर, 1975 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर होने वाला व्यय 262.33 लाख रुपये था तथा जनवरी से मार्च, 1976 के दौरान 141.01 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था।

**कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण और मुआवजे की अदायगी**

2219. **श्री राम सहाय पांडे** :

**श्री जगन्नाथ मिश्र** :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(ख) उक्त अवधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) वर्ष 1975 के दौरान कोयला खान दुर्घटनाओं के मुख्य कारण, छत का गिरना, साईडों का गिरना, खिचाव, मशीनरी, विस्फोटक तथा पानी का अग्रप्रवेश थे।

(ख) मुआवजा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र द्वारा देय होता है, जिसका प्रशासन राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।

**दिल्ली में डाक-तार विभाग की इमारतों और टेलीफोन एक्सचेंजों की मरम्मत**

2220. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित टेलीफोन एक्सचेंजों और डाक-तार विभाग की इमारतों में से प्रत्येक का निर्माण किस तारीख को पूरा हुआ;

(ख) क्या इन इमारतों में कोई मरम्मत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा होने से लेकर 31 मार्च, 1976 तक प्रत्येक इमारत की मरम्मत पर कितनी धन राशि खर्च की गई ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की और दूसरी डाकतार इमारतों के निर्माण का काम जिन-जिन तारीखों को पूरा हुआ, उसका ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दे दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10660/76]

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में इन इमारतों में मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ है।

**Journey to Mansarovar and Kailash**

*2221. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken some measures to ensure safe journey of the pilgrims to Mansarovar and Kailash;

(b) if so, the results achieved; and

(c) since when the pilgrimage to Kailash and Mansarovar is closed ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das)** : (a) to (c) Under the 1954 agreement between India and China, pilgrims from India were not required to carry documents of certification but were required to register at the border check-posts and receive a permit for pilgrimage from Chinese authorities there. With the expiry of the Agreement in 1962, no such arrangement exists any more. Therefore, the question of Government taking measures for safe journey does not arise.

**द्वीप और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अन्तरिक्ष संचार सुविधाएं**

2222. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के द्वीपों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उपग्रह संचार के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) द्वीपों में और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के साथ संचार व्यवस्था इस समय मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति रेडियो सर्किटों के जरिए सुलभ है। ये सर्किट सामान्यतया सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय समुद्री इंटेलसेट उपग्रह के माध्यम से भरोसे की संचार सुविधाएं देने के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। इस उद्देश्य के लिए थोड़ी क्षमता वाले कुछ भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने होंगे।

आगे चलकर अपने देश में बने और प्रचालित एक अन्तर्देशीय संचार उपग्रह प्रणाली के माध्यम से इन संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में भी विचार हो रहा है।

**जहाज बनाने का कारखाना**

2223. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जहाज बनाने के कारखाने के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं;

(ख) उन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और वे समितियां किस-किस तारीख को गठित की गई थीं;

(ग) उन समितियों द्वारा कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये और उनकी सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या भारत बिना विदेशी जानकारी के जहाज बनाने के कारखानों संबंधी तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने के काम में आत्मनिर्भर है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : (क) और (ख) सरकार के जहाज निर्माण यार्ड के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के लिये किसी भी समिति का गठन नहीं किया है। परन्तु अधिकारियों के दो कार्य दलों का गठन किया गया। हल्दिया कार्य दल का जुलाई, 1971 में गठन किया गया जिसने हल्दिया के निर्माण स्थल की उपयुक्तता की जांच की। तकनीकी आर्थिक दल जिसका गठन मई, 1973 में किया गया। दल ने विभिन्न समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा प्रस्तावित कुछ निर्माण स्थलों के सभी उपलब्ध प्रारम्भिक तकनीकी आंकड़ों का अध्ययन किया।

(ग) हल्दिया कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में हल्दिया (पश्चिम बंगाल) को उपयुक्त निर्माण स्थल पाया। तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में चार निर्माण स्थलों अर्थात् :— हल्दिया (पश्चिम बंगाल) पारादीप (उड़ीसा) कुलविगानी (गोआ) तथा हजीरा (गुजरात) को नये शिपयार्डों की स्थापना के लिये उपयुक्त होने की सिफारिश की।

(घ) जी नहीं।

**कर्मचारी भविष्य निधि पर सम्पदा शुल्क**

2224. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी भविष्य निधि में जमा राशि पर सम्पदा शुल्क अथवा इसी प्रकार के कोई अन्य शुल्क नहीं लगते;

(ख) क्या एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद, यदि भविष्य निधि की राशि 10,000 रुपये से अधिक है तो, भविष्य निधि आयुक्त उस राशि का भुगतान करने से पहले मृतक के नामित से सम्पदा शुल्क भुगतान प्रमाणपत्र की मांग करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सम्पदा शुल्क भुगतान प्रमाणपत्र की मांग किन नियमों के अधीन की जाती है और क्या सरकार नामित को, जिसके लाभ के लिये कानून बनाया गया है, भविष्य निधि की राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करेगी ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत भविष्य निधि के संचयनों को छूट प्राप्त नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 53(1)(ख) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी उत्तरदायी व्यक्ति हैं।

कार्यपद्धति को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई थीं :--

(i) 1956 में यह निर्णय किया गया था कि ऐसे मृत व्यक्ति के मामले में जिसकी भविष्य निधि खाते में जमा बाकी 5000 रुपये से कम हो, यदि न्यासी छूट संबंधी प्रमाण की प्रतीक्षा किए बगैर भुगतान कर दे और यह पाया जाए कि सम्पदा शुल्क देय है तो विभाग सर्वप्रथम यह शुल्क अन्य सम्पत्ति में से वसूल करने का प्रयास करेगा जो मृत अंशदायी ने पीछे छोड़ी हो। यह एक कार्यपद्धति संबंधी स्पष्टीकरण था जिसका न्यासियों की सांविधिक देयता पर कोई प्रभाव नहीं डालता था।

(ii) 1967 में, और आगे यह निर्णय किया गया कि ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि खाते में जमा राशि 5,000 रुपये से अधिक हो, सम्पदा शुल्क चुकता करने संबंधी प्रमाणपत्र के लिए आग्रह किए बगैर मजदूरों के कानूनी उत्तराधिकारियों को भविष्य निधि राशियों में से 5,000 रुपये तक की राशि वापस लेने की सामान्यतः अनुमति दी जाए। यह इस शर्त के अध्यधीन था कि यदि जमा बाकी शुल्क का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो और यदि मृत व्यक्ति की अन्य सम्पदा में से शुल्क वसूल करने संबंधी विभाग के प्रयास फलदायक न हों तो न्यासी वापस ली गई राशि की सीमा तक शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(iii) मई, 1975 में यह निर्णय किया गया कि यदि किसी मृत सदस्य के नामित व्यक्तियों/वारिसों को देय राशि 10,000 रुपये से अनधिक हो, तो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सम्पदा शुल्क भुगतान प्रमोणपत्र पेश करने के लिए आग्रह किए बगैर दावेदार को उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए :--

(क) दावेदारों को कहा जाए कि वह यह शपथपत्र दें कि मृत सदस्य जो सम्पत्ति छोड़ गया है, उस पर सम्पदा शुल्क देय नहीं है।

(ख) ऐसे नामित व्यक्तियों/वारिसों, जिन्हें कि भुगतान किया जाए, से एक क्षतिपूर्णबन्ध प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को सम्पदा शुल्क की बाबत उत्पन्न होने वाली ऐसी देयता के संबंध में हानि से बचाने की जमानत दी गई हो, जो सम्पदा शुल्क भुगतान संबंधी प्रमाणपत्र पेश करने के लिए आग्रह किए बिना भविष्य निधि के संचयनों के भुगतान से पैदा हो जाए।

(iv) प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सलाह देते हुए अनुदेश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य निधि के मृत अंशदायियों को कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके प्रार्थनापत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सम्पदा शुल्क छूट/भुगतान संबंधी प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएं।

**राजधानी के अस्पतालों में पागल कुत्ते और सर्प के काटे लोगों की चिकित्सा की सुविधा**

2225. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी के किन-किन अस्पतालों में पागल कुत्ते के और सर्प के काटे लोगों की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1064/76]

**पत्तनों पर लादा गया और उतारा गया कोयला**

2226. **श्रीमती वत्सलतनी कृष्णन** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75, 1975-76 और मार्च, 1976 तक बंबई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, पारादीप और कांडला पत्तनों पर कुल कितना कोयला लादा गया और उतारा गया ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :** बंबई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, पारादीप और कांडला पत्तनों के द्वारा 1974-75 के दौरान 11.17 लाख टन और 1975-76 के दौरान (मार्च 1976 तक) 11.51 लाख टन कोयले की कुल माल की धरा उठाई की। पत्तन बार विवरण इस प्रकार है :

(लाख टनों में)

| क्रम संख्या | पत्तन का नाम | धरा उठाई किये गये कोयले की मात्रा | |
|---|---|---|---|
| | | 1974-75 | 1975-76 (1976 मार्च तक) |
| 1. | बंबई | शून्य | शून्य |
| 2. | मद्रास | 1.54 | 1.54 |
| 3. | कलकत्ता | 8.97 | 8.81 |
| 4. | कोचीन | 0.66 | 1.06 |
| 5. | त्रिवेन्द्रम | शून्य | शून्य |
| 6. | पारादीप | शून्य | 0.10 |
| 7. | कांडला . . . . | शून्य | शून्य |

**भारत-नेपाल सीमा के निकट डकैती हत्याओं की घटनाएं**

2227. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश** मंत्री भारत-नेपाल सीमा पर अपराधों के बारे में 18 मार्च 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यतया नेपाल की तरफ के झीझ और अन्य गांवों के अपराधियों द्वारा लदानिया पुलिस स्टेशन के अधीन लक्ष्मीनिया गांव में डाका डालने के बाद हरलाखी पुलिस स्टेशन के अधीन बेन्जरा आदि गांवों, बिहार के मधुबनी जिलों के बेसोपट्टी पुलिस स्टेशन के अधीन जोंको और कौआहा गांवों में हत्याओं के साथ डकैतियां डाली गई है;

(ख) जयनगर पुलिस स्टेशन के अधीन गांव बेन्जरा में झीझ के तीन अपराधी घटना स्थल पर मुठभेड़ में मारे गये थे और अब वे बदले में पूरे गांव को जलाने की धमकी दे रहे हैं; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिये भारत सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनलाल दास)** : (क) से (ग) 1 नवम्बर 1975 की कथित घटना के बाद जिला मधुबनी में हत्या अथवा डकैती की किसी और घटना की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है।

**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में रात्रि सेवा**

2228. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के किन-किन औषधालयों में, इससे लाभ पाने वालों के लिए रात्रि में भी सेवा उपलब्ध है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उन औषधालयों के नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं जहां इससे लाभ पाने वालों को रात में भी इलाज की सुविधाएं मिलती हैं।

**विवरण**

**दिल्ली में रात में इलाज की सुविधाएं देने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के नाम**

1. एण्ड्रूज गंज
2. चित्रगुप्त रोड
3. दरया गंज
4. देव नगर
5. दिल्ली कैन्टूनमैंट
6. गोल मार्किट
7. किदवाई नगर
8. किंग्जवे कैंप
9. लाजपत नगर
10. लक्ष्मीबाई नगर
11. लोदी रोड II
12. मिन्टो रोड
13. मोती बाग
14. नेताजी नगर
15. नार्थ एवेन्यू
16. पटेल नगर I
17. पूसा रोड
18. आर० के० पूरम I
19. आर० के० पूरम IV
20. राजौरी गार्डन
21. सरोजिनी नगर मार्केट

22. शाहदरा

23. शकूरबस्ती

24. साउथ एवेन्यू

25. श्रीनिवासपुरी

26. सब्जीमंडी

27. टेलीग्राफ लाइन

28. तिलक नगर

29. तिमारपुर

30. वैल्जली रोड ।

**Ayurvedic prescription for Birth Control**

2229. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether an expert in Ayurvedic system from Madhya Pradesh had sent an ayurvedic prescription in regard to birth control to the Central Council for Ayurvedic Research about one and a half years ago and also suggested to test its efficacy;

(b) whether the said expert claims cent per cent efficacy of the prescription; and

(c) if so, the action taken in this regard so far ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) :** (a) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has received 13 claims from the Physicians and other persons from Madhya Pradesh.

(b) All the claimants have indicated that their Medicines are effective.

(c) The claimants were asked to furnish the details of their claims for scrutiny. The position is indicated in the statement attached. [Placed in Library. *See* No. L.T.-10662/76]

**गुटनिरपेक्ष समाचार माध्यमों के संबंध में बातचीत**

**2230. सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**

**श्री आर० एन० बर्मन :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपसी निकट सहयोग के विचार से गुट-निरपेक्ष समाचार माध्यमों की स्थापना करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के बीच बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) पिछले वर्ष लीमा में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न गुटनिरपेक्ष देशों के बीच इस बारे में सलाह-मशविरा होता रहा है; इस प्रस्ताव में दूसरी बातों के अलावा यह भी कहा गया था कि गुटनिरपेक्ष देशों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के एक निकाय के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए जो आगामी कोलंबो शिखर सम्मेलन में विचार और स्वीकृति के लिए पेश हो। यह सलाह-मशविरा अभी चल रहा है।

**संविदा श्रमिक**

2232. **श्री बसंत साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख संगठित तथा असंगठित उद्योगों में कार्यरत कुछ श्रमिकों की संख्या की तुलना में संविदा श्रमिकों की अनुमानतः संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में संविदा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है और संविदा श्रमिकों की कार्यकारी स्थितियों तथा मंजूरी आदि में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) क्या सरकार कार्यवाही कार्यक्रम के उपयुक्त रूप से बनाने के लिये संविदा श्रमिकों के बारे में कोई नया अध्ययन करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या रूपरेखा हैं ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) अब तक, ठेका श्रमिक सर्वेक्षण 24 उद्योगों में संचालित किए हैं, जो कि संगठित और असंठित दोनों क्षेत्रों में आते हैं। इन सर्वेक्षणों में नमूना एककों से ठेका श्रमिकों के नियोजन के बारे में आंकड़े एकत्र किये गए थे। तथापि, सम्पूर्ण उद्योग के लिए अनुमानित रोज़गार की केवल 13 उद्योगों के लिए गणना की गई थी और अन्यों के मामलों में, रोज़गार संबंधी आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया गया था और वे केवल नमूना एंककों से संबंधित थे। दोनों के संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न हैं [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-10663/76] जो विभिन्न उद्योगों में कुल श्रमिक संख्या में ठेका श्रमिकों का अनुपात भी दर्शाता है। (विवरण 1 और 2) ।

(ख) इन उद्योगों के संबंध में कोई क्रमिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं लिए जा सकते। तथापि, केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में रोजगार के पांच वर्गों में ठेका श्रम समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अन्तर्गत निर्मित किए गए नियमों के उपबन्धों का कार्यान्वयन, सेवा की उत्तम शर्तों आदि के संबंध में, जैसी कि अधिनियम/नियमों में व्यवस्था की गई है, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्तर्गत लाए जाने वाले उद्योगों, प्रस्तावित आगामी सर्वेक्षणों के दौरान अपेक्षित आंकड़ें एकत्र करने के लिए प्रश्नावली संबंधी सम्बद्ध ब्यौरों को श्रम ब्यूरों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

**Scheme to provide jobs in Madhya Pradesh**

2233. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Central Government are formulating any scheme to provide employment to educated and uneducated unemployed registered with the employment exchanges in Madhya Pradesh; and

(b) if so, whether all the unemployed persons will be provided employment by the end of this year ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma)** : (a) Employment strategy in the Fifth Five Year Plan is to provide bulk of employment opportunities through the implementation of Plan programmes in different sectors, such as Agriculture Irrigation, Power Generation, Command Area Development of Major Irrigation systems, Cottage, Small and Medium Industries, Social Services, Trade, Commerce and other tertiary and allied activities, etc. In addition, an outlay of Rs. 40 lakhs has been proposed in the State's Annual Plan, 1976-77 for implementing an 'Employment Programme,

Besides, under the 20-Point Economic Programme currently under implementation, there are several important schemes which would substantially accelerate the generation of employment opportunities i.e. Apprenticeship Scheme, creation of additional irrigation potential, conducting surveys to provide irrigation facilities in drought prone areas and for exploitation of proven underground water resources, National Permit Scheme for plying of goods transport all over the country, development and strengthening of handloom industry, accelerated power development programmes and setting up of super-thermal power stations, etc.

(b) No, Sir. However, Government is making all-out efforts to provide employment to the maximum number of the unemployed.

**Unemployment Allowance**

2234. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state whether Government propose to formulate a scheme to pay unemployment allowance, on the analogy of European countries, to educated and uneducated harijans and adivasis till they are not provided with employment ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) :** No such proposal is under consideration.

**'फैसिमिलि' उपकरण का उपयोग**

2235. **श्री नारायणचन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, जापान और पश्चिमी यूरोप में दस्तावेजों के पारेषण के लिए 'फैसिमिलि' उपकरण (फैक्स) का व्यापक उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी इस नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) मालूम हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जापान और पश्चिमी यूरोप में दस्तावेजों के पारेषण के लिए प्रतिवृत्ति उपस्कर (फैसिमिलि इक्विपमेंट) का प्रयोग हो रहा है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बीच और समुद्र पार के देशों के लिए चित्र पारेषण के निमित्त सार्वजनिक प्रतिकृति (फैसिमिलि) पारेषण सेवा विभाग पहले से ही उपलब्ध है। राज्यों की दूसरी राजधानियों के लिए भी इस सेवा का विस्तार करने के बारे में विचार किया गया था लेकिन मौजूदा मांग के अनुसार यह सेवा अलाभकर पाई गई। डाक-तार विभाग और विदेश संचार सेवा चित्रों और नक्शों के पारेषण के लिए मौसम विभाग जैसे दूसरे संगठनों को ध्वनि आवृत्ति सर्किट पट्टे पर भी दे रहे हैं। समाचार पत्र के पूरे पृष्ठों का पारेषण करने के लिए एक चौड़ी पट्टी का सर्किट एक समाचार पत्र शृंखला को भी पट्टे पर दिया गया है। हालांकि इनकी मांग बहुत सीमित प्रतीत होती है फिर भी डाक-तार विभाग दूसरे इच्छुक ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुसार सर्किट पट्टे पर दे सकता है।

**देश में पिक्चर फोन का विकसित कया जाना**

2236. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में प्रयुक्त किये जा रहे पिक्चर फोन का देश में भी विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

**संचार मंत्री** (डा० **शंकर दयाल शर्मा**) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Import of Tin**

2237. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity and value of tin imported in the country every year; and

(b) whether it is difficult to produce tin from mineral and if so, the method being devised to produce this metal ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad)** : (a) Imports and value of tin during the last three years by the canalising agency viz. Minerals & Metals Trading Corporation of India is as under :

| Year | Quantity (in tonnes) | Value (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|
| 1973 | 2090 | 759.74 |
| 1974 | 2142 | 1303.28 |
| 1975 . . . . . | 2283 | 1295.91 |

(b) The extraction of tin from its ore, like other non ferrous metals, involves complex and sophisticated process technology. However the pre-requisit for setting up facilities for the production of tin is the availability of tin ore deposits in the country. As at present commercially exploitable tin ore deposits have not been located in the country, choice of methodse for tin extraction will be considered whenever suitable deposits are located.

**ग्रामीण बेरोज़गारी**

2238. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र भी रोजगार कार्यालयों के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) ग्रामीण लोगों में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या का हिसाब लगाने के लिए क्या तरीके और तकनीक अपनाई गई है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानतः कुल कितने बेरोज़गार व्यक्ति हैं;

(घ) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों और गरीब कृषक वर्ग में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का विचार है; और

(ङ) ऐसे उपायों की यदि कोई रूपरेखा है, तो क्या है ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार रोज़गार कार्यालयों के, जो कि मुख्यतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों में से लगभग 47 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के पाए गए। इसके अतिरिक्त, देश में 200 से अधिक रोज़गार सूचना एंव सहायक केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चुने गए, सामुदायिक विकास खंडों में भी कार्य कर रहे थे।

(ख) और (ग) बेरोज़गार व्यक्तियों की सख्या का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर लगाया जाता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 27वें दौर (1972-73) के संबंध में है। इस सर्वेक्षण का दृष्टिकोण दोनों 'सामान्य स्थिति' (अर्थात् लम्बी अवधि के दौरान) और 'वर्तमान स्थिति' (अर्थात् सर्वेक्षण की तारीख से एक सप्ताह के दौरान) के आधार पर बेरोज़गारी का परिमाण मालूम करना था। 'सामान्य स्थिति' के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 लाख व्यक्ति चिरकाल से बेरोज़गार थे। 'वर्तमान स्थिति' के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह में पूर्ण रूप से बेरोज़गार व्यक्तियों की औसत संख्या 60 लाख होने का अनुमान लगाया गया।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि श्रमिकों जैसे कमजोर वर्गों की कुछ कठिनाईयों और असमर्थताओं को दूर करके और उत्पादनशील कार्य-कलापों के लिए सुविधाओं और अवसरों की व्यवस्था करके उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशा सुधारने के लिए कुछ उपाय बीस सूत्री कार्यक्रम में दिए गए हैं। इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे जिनसे मुख्यतः कृषि श्रमिकों और गरीब किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) कृषि भूमि सीमा का कार्यान्वयन और सीमा से ज्यादा भूमि का शीघ्र वितरण।

(2) भूमिहीनों तथा कमजोर वर्गों को मकानों के लिए जमीन की व्यवस्था करना।

(3) बन्धक मजदूर प्रथा का उन्मूलन।

(4) ग्रामीणों पर कर्ज का बोझ समाप्त करना और भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों तथा दस्तकारों से कर्ज की वसूली पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना।

(5) न्यूनतम कृषि मजदूरी-दरों संबंधी कानूनों का पुनरीक्षण।

(6) 50 लाख हेक्टेयर और जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था करना।

(7) त्वरित बिजली कार्यक्रम।

(8) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए नई विकास योजना बनाना।

**राउरकेला में 1 करोड़ मीटरी टन इस्पात का उत्पादन समारोह**

2239. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला में 1 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन करने के उपलक्ष में हुए समारोह में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ख) क्या 1 करोड़ मी० टन का लक्ष्य प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कितने वर्षों का; और

(घ) इस समारोह में कुल कितना धन व्यय हुआ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्र जीत यादव)** :(क) 223।

(ख) और (ग) उत्पादन लक्ष्य वर्षानुवर्ष आधार पर निश्चित किये जाते हैं और प्रबन्धक इस प्रकार बनाई गई वार्षिक योजनाओं की रूपरेखा के अन्तर्गत अधिकाधिक उत्पादन के लिए प्रयत्न करते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाने ने 10 लाख टन का लक्ष्य फरवरी, 1976 में पार कर लिया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समारोह का अनुमानित व्यय लगभग 6.34 लाख रुपये हैं इसमें प्रत्येक कर्मचारी को सूवनीअर देना और इसकी स्मृति में स्मारक आदि का रूपांकन और स्थापना आदि भी शामिल है।

**Providing Postal and Telecommunication Facilities in Backward Districts of M.P.**

†2241. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether his Ministry has accorded priority for providing postal and telecommunication facilities in selected backward districts in Madhya Pradesh;

(b) if so, the progress made in this regard and the number of new proposals sanctioned;

(c) the amount allocated for these districts during the last year and the current financial year; and

(d) the guidelines issued by his Ministry to these areas in regard to according priority, preparation and implementation of schemes ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma )** : (a) Special considerations are given for providing Postal and Telecom. facilities in the backward areas in all States including Madhya Pradesh.

(b) **Postal** : During the year 1975-76, 300 Branch Offices have been opened and 23 Branch Offices upgraded. 30 Sub-Offices have also been opened. As on 1-3-75, there are 4079 Post Offices in the very backward areas of Madhya Pradesh.

**Telecom** : Telecommunication facilities have been provided at 67 such places during 1975-76 and 56 new proposals have been approved.

(c) P&T Budget does not provide for amount separately for development of backward areas state-wise or district-wise.

(d) **Postal** : specially relaxed norms are applied for opening of post offices in backward areas. The permissible limit of loss which is 'Rs. 500 and (in some cases) Rs. 750 per annum for normal areas is relaxed to Rs. 1000 and in exceptional cases to Rs. 2500 in respect of backward areas under the power of the Directorate. No population condition is applied for opening post offices in such areas. The minimum income expected which is 25% of the cost of offices to be opened in normal areas, is relaxed to 15% or 10% in respect of very backward areas depending upon the terrain being plain or hilly.

**Telecom** : In order to extend telecommunication facilities in rural areas in the country, a liberal policy is being followed for providing Public Call Offices and Combined Offices in spite of some loss, taking into consideration the various factors like the importance of the place, as a District/Sub-Divisional/Tehsil/Block Headquarters/ remoteness from existing telephone/telegraph offices, the population of the place, the local importance of the place as a tourist/pilgrim centre, Power/Irrigation Project Site, etc. While the minimum anticipated revenue equal to 25% of annual recurring expenditure is the condition for sanctioning telephone/C.O. facilities in the above categories of stations in ordinary areas, it is 15% of ARE for the backward areas.

**Minerals Deposit in M.P.**

2242. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India propose to conduct a co-ordinated survey through geological as well as geo-chemical methods, in 1976 of the mineral deposits found in Madhya Pradesh; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhedev Prasad)** :

(a) Yes Sir.

(b) During the 1975-76 field season, the GSI propose to carry out regional integrated surveys in the districts of Balaghat, Rajnandgaon, Jabalpur, Bastar, Chattarpur, Tikamgarh, Sagar, Panna, Jhabua, Sidhi, Surguja and Raigarh. In particular, they are conducting surveys by geological mapping on different scales, geo-chemical sampling and shallow drilling for possible base metal mineralisation in the Malanjkhand extension areas falling in Rajnandgaon and Balaghat districts and for tin occurrences in the Bastar District.

**Vigilance cases pending against the P&T employees of Madhya Pradesh Circle**

†2243. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of vigilance cases pending against Class I and II P. & T. employees of Madhya Pradesh Circle;

(b) the number of cases out of them pending for the last three years; and

(c) the action taken by Government for quick disposal of these cases ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :** (a) Eight.

(b) One.

(c) Progress of these cases is watched every month and immediate action as may be appropriate is taken to avoid delays.

**Formation of separate post and Telecommunication Circle for Madhya Pradesh**

†2244. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh has sent a proposal to the Centre regarding formation of a separate Post and Telecommunication Circle for the State; and

(b) if so, the decision of Government thereon ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :** (a) There are already separate Postal and Telecommunication Circles functioning in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

**आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमीनियम की ढक्कनों का उत्पादन**

2245. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत की आवश्यकतायें पूरी करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम की पण्णी के उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से एल्यूमीनियम की पण्णी संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद)** (क), (ख) व (ग) मैसर्स आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ने आंध्र प्रदेश में एक एल्यूमिनियम पन्नी संयंत्र लगाने के लिए नवम्बर, 1973 में एक आवेदन पत्र दिया था। आवेदन पत्र में एल्यूमिनियम पन्नी निर्माण प्रक्रिया की किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी का उल्लेख नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले का समर्थन किया था।

इस आवेदन पत्र पर पहले से प्राप्त अन्य आवेदन पत्रों के साथ विचार किया गया और मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही भारी क्षमता को देखते हुए उसे रद्द कर दिया गया।

एल्यूमिनियम पन्नियों की स्वीकृत क्षमता, देश की निकट भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है।

**करवार पत्तन के काम की प्रगति**

2246. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवारा पत्तन के काम की प्रगति संतोषजनक ढंग से नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग)** यातायात के मौजूदा स्तर के परिचालनात्मक कुशलता के सुधार के लिए स्वीकृत 39.13 लाख रु० के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा कारवाड़ के छोटे पत्तन के विकास के लिए कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है।

**टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची**

2247. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की टेलीफोन कनेक्शन के लिए धनराशि जमा कराने की नवीनतम योजना से बड़े शहरों में प्रतीक्षा सूची लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई है; और

(ख) दिल्ली में प्रतीक्षा सूची में अभी कितने व्यक्तियों के नाम हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** (क) अग्रिम जमा योजना 1-9-75 से चालू की गई थी। इस योजना के अनुसार सभी आवेदकों को, जिनमें वे आवेदक भी शामिल हैं जिन्होंने 1-9-75 से पहले अपनी अर्जी दी हो, अग्रिम राशि जमा करानी पड़ती है। बड़े शहरों में 1-9-75 तक की प्रतीक्षा सूची के अनुसार ओ-वाई-टी के लगभग 44 प्रतिशत और गैर ओ-वाई-टी के लगभग 60 प्रतिशत आवेदकों ने अग्रिम राशि जमा करा दी है।

| | |
|---|---|
| (ख) ओ-वाई-टी . . . | 6933 |
| गैर ओ-वाई-टी | 40597 |
| | 47530 |

**भारत और लेटिन अमरीका के बीच नौवहन सम्पर्क**

2248. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा लेटिन अमरीका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये सीधा नौवहन संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख)** जी, हां तीन भारतीय कम्पनियां, अर्थात् इंडिया स्टीमशिप, सिंधियां स्टीम नेवीगेशन कम्पनी और सिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया संयुक्त रूप से अर्जनटायनियन नेशनल लाईन, ई०एल०एम०ए० के साथ एक द्विपक्षीय सेवा पर विचार कर रही है। यह सेवा भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष 6 तथा अर्जनटायनियन नेशनल लाइन द्वारा 6 समुद्री यात्राओं के आधार पर होगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था पर अंतिम निर्णय होने तक भारतीय कम्पनियों ने क्रिस्तोबल, हांगकांग अथवा लिस्बन में सीधे बिल आफ लेडिंग और ट्रांसशिपमेंट के आधार पर अर्जनटाइना और ब्राजील की सेवा शुरु कर दी है।

**प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच सहयोग**

2249. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
**श्री प्रबोध चन्द्र :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच और अधिक सहयोग के बारे में श्री वी० वी० गिरि द्वारा हाल में दिए गए सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) और (ख) सरकार ने प्रबन्धक-श्रमिक सहयोग के बारे में श्री वी०वी०गिरि के सात-सूत्री सुझावों संबंधी प्रेस रिपोर्टों को दिलचस्पी के साथ नोट किया है।

**हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा अंग्रेजी भाषा के विद्युत-टाइपराइटरों का निर्माण**

2250. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज ने अपने देशीय उद्यम से ही अंग्रेजी भाषा के विद्युत-टाइपराइटरों का निर्माण आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या देश के बाजारों के अतिरिक्त इन टाइपराइटरों की विदेशी मंडियों में भी मांग है ?

**संचार मंत्री (डॉ० शंकरदयाल शर्मा) :** (क) जी हां।

(ख) बिजली के टाइपराइटरों का उत्पादन मई, 1975 में शुरू हुआ और 1975-76 के दौरान 160 अददों का उत्पादन हुआ।

वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान क्रमशः 1000 और 2000 अदद टाइपराइटरों के उत्पादन का लक्ष्य है। अन्ततः बिजली के टाइपराइटरों की उत्पादन क्षमता 4000 अदद वार्षिक होगी।

(ग) कम्पनी को इनके निर्यात के लिए मण्डियों का पता लगाने की सलाह दी जा रही है।

**श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाना**

2251. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित उद्योग के प्रत्येक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया है ?

**श्रम मंत्रालय में उप मंत्री श्री (बालगोविन्द वर्मा)** : (क) और (ख) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के अधीन सीमा क्षेत्र संबंधी वर्तमान स्थिति नियमानुसार है :—

| क्रमांक | अधिनियम का नाम | सीमाक्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | प्रथमतः अधिनियम 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले तथा बिजली का प्रयोग करने वाले गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है। यह राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जा सकता है अधिनियम को क्षेत्रवार क्रमशः विस्तारित किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित नई श्रेणियों पर अधिनियम के उपबन्ध लागू किए हैं :—<br>(1) बिजली का प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने जिनमें 10-19 तक व्यक्ति नियोजित हैं और बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।<br>(2) दुकानें, होटल, भोजनालय, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमा, सड़क मोटर परिवहन तथा समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। |
| 2. | कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 | अधिनियम, 31-12-1975 को 137 उद्योगों/प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू किया गया है। अधिनियम पहले से ही सभी मुख्य उद्योगों पर लागू होता है। |

| क्रमांक | अधिनियम का नाम | सीमा क्षेत्र |
|---|---|---|
| 3. | कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 | अधिनियम, सभी कोयला खानों पर लागू होता है। |
| 4. | उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 | अधिनियम, इस समय प्रत्येक खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी और दुकानों या प्रतिष्ठानों तथा मोटर परिवहन उपक्रमों (जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं) पर लागू होता है। |
| 5. | कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 | अधिनियम, ऐसे सभी रेलवे कर्मचारियों पर, जो रेलवे के किसी प्रशासनिक, जिला या उपमण्डलीय कार्यालय में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं है और अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी हैसियत में नियोजित नहीं है तथा अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी हैसियत में 500 रुपये से अनधिक मासिक मजदूरी पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। |
| 6. | प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 | अधिनियम, प्रथमतः, खानों, कारखानों, बागानों तथा सरकस उद्योग पर लागू होता है। इनमें ऐसे कारखानों या प्रतिष्ठानों, जिन पर इस समय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध लागू होते हैं, को छोड़कर, सरकार के इस प्रकार के कोई भी प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, अन्य प्रतिष्ठानों पर विस्तारित किया जा सकता है। |

(ग) उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :—

| क्रमांक | योजना का नाम | अन्तर्गत लाए गए कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 53.36 लाख (31-3-1976 को) |
| 2. | कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन योजना | 77.20 लाख (31-12-1975 को) |
| 3. | कोयला खान भविष्य निधि योजना | 6.02 लाख (31-1-1976 को) |
| 4. | कोयला खान परिवार पेंशन योजना | 4.96 लाख (31-1-1976 को) |

## गुजरात में बेरोज़गार व्यक्ति

2252. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

**श्री एन० आर० बेकारिया :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान गुजरात राज्य में रोज़गार पाने के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नामों का पंजीकरण कराया;

(ख) शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिला ?

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :** (क) नौकरी चाहने वाले 2,29,092 व्यक्तियों ने रोज़गार कार्यालयों में नाम दर्ज कराए।

| | |
|---|---|
| (ख) शिक्षित (मैट्रिक पास और उससे ऊपर) . . . | 1,15,246 |
| अशिक्षित (मैट्रिक से कम, जिनमें अनपढ़ भी शामिल है) . . | 1,13,846 |

(ग) वर्ष 1975 के दौरान गुजरात राज्य में रोज़गार कार्यालयों द्वारा नौकरी चाहने वाले 15,098 व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया गया।

## फरक्का बांध के बारे में बंगलादेश के साथ बातचीत

2253. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

**श्री एन० आर० बेकारिया :**

**श्री बसंत साठे :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के बारे में बातचीत के लिए बंगलादेश सरकार को पुनः आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

**विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :** (क) जी हां।

(ख) उत्तर की प्रतीक्षा है।

## विदेशों में भारतीय मिशनों में हिन्दी का प्रयोग

2254. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय दूतावासों/उच्च आयोगों में कुछ काम हिन्दी भाषा में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं और विदेश मंत्रालय तथा उसके विभागों में हिन्दी के प्रयोग में और कितनी प्रगति हुई है ?

**विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) विदेश-स्थित सभी भारतीय मिशनों से कह दिया गया है कि जहां संभव हो वे हिन्दी का प्रयोग करें, विशेष रूप से, जो पत्र उन्हें हिन्दी में मिलें उनका जबाव देने में, नाम पट्टों तथा साइन बोर्डों आदि में। सभी प्रकार के औपचारिक पत्र, जैसे विश्वास-पत्र, प्रत्यावाहन-पत्र, नियुक्ति समावेश हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और करार हिन्दी में भी तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट फार्म भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में सुलभ करा दिए गए हैं और अब हिन्दी की वीज़ा मोहरें भी 26 जनवरी, 1976 से प्रयोग में लाने के लिए भारतीय मिशनों को भेज दी गई हैं।

**पांचवीं योजना में डाकघरों का खोला जाना**

2255. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में 33 डाकघर खोले गए हैं। योजना की बाकी अवधि में डाकघर खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि विभागीय मानदण्डों के अनुसार कितने प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध होता है और उनके लिए निधि उपलब्ध है अथवा नहीं।

**वर्ष 1975 में नसबंदी के मामलों की राज्यवार संख्या**

2256. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितने पुरुषों व स्त्रियों की नसबंदी की गई ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : वर्ष 1975 की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 10664/76] ।

**ब्रिटेन गए हुए भारतीय कर्मचारियों द्वारा स्वदेश लौटने से इन्कार किया जाना**

2257. **श्री के० मालना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन गए हुए कुछ गैर-राजनयिक कर्मचारियों ने गत वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर स्वदेश लौटने से इन्कार कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं और उनके भारत न लौटने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** (क) जी हां।

(ख) भारत का हाई कमीशन, लंदन में काम करने वाले उन गैर-राजनयिक कर्मचारियों की (जो विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं) संख्या और उनके पदनाम नीचे दिए गए हैं, जिन्होंने 1975 के दौरान अपनी कार्यावधि की समाप्ति पर स्वदेश लौटने से इन्कार कर दिया है :--

| | | |
|---|---|---|
| अवर श्रेणी लिपिक | 1 | योग 4 |
| प्रवर श्रेणी लिपिक | 1 | |
| सिक्यूरिटी गार्ड | 1 | |
| व्यक्तितक सहायक | 1 | |

इन अधिकारियों ने मुख्यालय के लिए स्थानातंरण के आदेशों का पालन नहीं किया, उन्होंने ऐसा करने के कारण नहीं बताये हैं।

(ग) सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। इन कार्यवाहियों के पूरे होने तक के लिए उनके सेवांत लाभ रोक लिए गए हैं और भारत सरकार के किसी कार्यलय में उनके लिए रोजगार पाना वर्जित कर दिया गया है। उनके पासपोर्ट को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

**तमिलनाडु में सार्वजनिक वाहनों (स्टेट कैरिजिस) पर कर की दर**

2258. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तमिलनाडु में सार्वजनिक वाहनों (स्टेट कैरिजिस) पर प्रति तिमाही लिए जाने वाले कर की वर्तमान दर क्या है;

(ख) 1974 के दौरान कर की दर क्या थी; और

(ग) बस चालकों को वित्तीय संकट तथा करों के बोझ से बचाने के लिए संघ सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**। (क) और (ख) : 1-4-1974, 1-10-1974 तथा 1-1-1975 को तमिलनाडु में मंजिली गाड़ी कर की दरें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10665/76]। 1-4-1976 से राज्य सरकार को भी, अधिसूचना द्वारा, मंजिली गाड़ियों पर वह अधिभार लगाने का अधिकार है, जिसकी दर की राशि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ग) प्रश्न का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य महोदय का ध्यान, लोक सभा में 24-3-76 को तमिलनाडु के बजट पर बहस के दौरान दिये गये केन्द्रीय वित्त मंत्री के उत्तर की ओर दिलाया जाता है, जब उन्होंने नगरेत्तर मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के परिचालन पर अधिभार के दर में कमी की घोषणा की।

**दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों और डाक-तार इमारतों का निर्माण**

2259. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टेलीफोन एक्सचेजों और डाक-तार इमारतों के नाम और संख्या कितनी है, जिनका गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में निर्माण किया गया है;

(ख) उन ठेकेदारों के क्या नाम है, जिन्हें इन भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने ठेके दिये थे; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक इमारत पर कितनी धनराशि व्यय की?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** (क) से (ग) —पिछले तीन वर्षों में जिन टेलीफोन एक्सचेंज इमारतों और दूसरी डाक-तार इमारतों का निर्माण किया गया, उनके नाम और उन इमारतों के ठेकेदारों के नाम तथा सरकार द्वारा हर एक इमारत पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10666/76]

**Declaration of National Highways**

2261. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the basis for declaring any highway as national highway;

(b) whether Government of Uttar Pradesh have approached the Union Government that some of the State Highways be declared as National Highways; and

(c) if so, the names thereof and the reaction of Union Government thereto ?

The Deputy **Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh):** (a) Proposals for new additions to the National Highway System are considered keeping in view the funds available for the purpose, the *inter-se* priorities of the proposals on an All-India basis and also the criteria for declaration of National Highways which are enumerated below :—

(i) They should be the main highways running through the length and breadth of the country;

(ii) They should connect foreign highways;

(iii) They should connect capitals of States;

(iv) They should connect major ports and large industrial or tourist centres;

(v) They should meet strategic requirements.

In addition to these criteria, emphasis is given to the economic consideration also.

(b) & (c) The Government of Uttar Pradesh have suggested the following roads for inclusion in the National Highway System in the Fifth Plan :—

(1) Nepalganj-Nanpara-Bahraich-Ghraghat-Ramsanehighat-Hydergarh-Bachehrawan-Lalganj-Gigason-Fatehpur-Banda-Mohaba-Sagour.

(2) Lucknow-Sultanpur-Jaunpur-Varanasi-Churk Dudhi-Wyndhamganj.

(3) Rampur-Nainital-Almora-Kausani.

(4) Ghaziabad-Meerut-Muzaffarnagar-Saharanpur-Dehradun-Mussoorie.

(5) Lucknow-Rae Bareili-Pratapgarh-Allahabad.

(6) Bhind-Etawah-Shahjehanpur-Pithoragarh-Lipulekh pass.

(7) Ghaziabad-Alighar-Etah-Kanpur G.T. Road.

(8) Kosi-Bharatpur-Dholpur.

(9) Extension of existing N.H. 29 towards North from Gorakhpur to Nautanwa and towards South from Ghazipur to Bhabua road (Junction with N.H. 2) and renumbering the portion between Ghazipur and Varanasi as N.H. 29-A.

Due to the current financial stringency, the Government of India are unable to delcare any new road as a National Highway at present.

**राष्ट्रीय राजपथों के रूप में स्वीकृत बिहार की सड़कें**

2262. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितनी सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में स्वीकृति दी गई है और ऐसी सड़कों की संख्या कितनी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं अथवा जो निर्माणाधीन हैं; और

(ख) इन सड़कों के कब तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) : बिहार में 2063 कि० मी० के 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनमें मार्च, 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के रूप में घोषित चास-रांची-राउरकेला-तलचेर सड़क शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 और 23 पर क्रमशः आरा और मोहनिया और कोलेबीरा और बिरमित्रापुर (उड़ीसा सीमा के निकट) के बीच लुप्त कड़ियां हैं। लुप्त कड़ियों का यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। इनका रखरखाव अस्थायी तौर से केन्द्रीय निधि से किया जा रहा है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े, सशक्त और सुधारे जा रहे हैं। निकट भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन पर 38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 शामिल नहीं हैं जो कि अपेक्षित स्तर के हैं और लम्बाई में छोटे हैं। सुधार कार्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर के 120 कि० मी० आरा-मोहनिया लुप्त कड़ी का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर बाराकार और बढ़ नदियों के ऊपर नये पुलों का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 पर तलमुचु पर दामोदर नदी पर पुल प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। धन मिलने पर इनके पांचवीं योजना काल के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर कोलेबीरा-बिरमित्रापुर 32 कि० मी० की लुप्त कड़ियों की स्वीकृत होने की संभावना है और धन मिलने पर पांचवीं योजना काल और छठी योजना काल मे पूरे होने की संभावना है।

**पारादीप बन्दरगाह रेल लाइनें**

2263. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पारादीप बन्दरगाह पर रेल लाइनें अब बिछा दी गई हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : अयस्क उतराई के लिये अंतरिम सुविधाओं सहित पत्तन रेलवे तंत्र पूरा हो गया है। प्रस्तावित अयस्क टिपलर यार्ड को जाने वाली पक्की लाइन बन रही है।

**गंगा के जल के बारे में बंगलादेश से प्राप्त पत्र**

2264. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा के जल के बटवारे में बंगलादेश से इस बीच कोई पत्र प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उसका कोई उत्तर दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास)** : (क) और (ख) : बंगलादेश की सरकार ने 25 मार्च 1976 के अपने पिछले नोट में सारे साल भर तक गंगा जल के "महीनेवार आबंटन" की अपनी नई मांग पर फिर बल दिया है।

(ग) और (घ) : सरकार ने 27 मार्च के उत्तर में बातचीत की पेशकश को दोहराया है और इस पर खेद व्यक्त किया है कि मैत्रीपूर्ण बातचीत के जरिये समझौता करने के उनके हार्दिक प्रयासों का अभी तक ठोस उत्तर नहीं आया है। यह भी कहा गया है कि जहां तक भारत सरकार को मालूम है कि दोनों सरकारों के बीच अभी तक बातचीत पानी की कमी के मौसम में गंगा जल के बटवारे तक

इस कारण सीमित रही है कि साल के बाकी दिनों में पानी का बहाव बहुत मात्रा में होता है। पानी की कमी के दिनो में फरक्का पर गंगा जल के उपयोग का बंगलादेश में तथाकथित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में यह सुझाव दिया गया था कि इस का अध्ययन और मूल्यांकन सक्षम विशेषज्ञों—संयुक्त नदी आयोग—द्वारा समुचित स्थिति में तथा आवश्यक अवधि के लिए अच्छी प्रकार किया जा सकता है। फरक्का में पानी लेने में कमी करने के बारे में, जिससे बंगलादेश में अधिक मात्रा में पानी दिया जा सके, भारत सरकार की सद्भावना और मैत्री भावना के संकेत की सूचना भी दे दी गई है।

**दिल्ली परिवहन निगम के पास खराब बसें**

2265. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास वर्ष 1975 और 1976 में प्रत्येक मास में कुल कितनी खराब बसें थीं और वे बसें कितने समय के लिये निष्क्रिय रहीं;

(ख) उपरोक्त अवधि में उनकी मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ और उनकी इस खराबी के कारण राजस्व का कितना घाटा हुआ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) 1975 तथा 1976 में मरम्मत के लिए खड़ी बसों की माहवार औसतन संख्या नीचे दी गई है :

| | |
|---|---|
| **1975** | |
| जनवरी | 253 |
| फरवरी . | 250 |
| मार्च | 294 |
| अप्रैल | 313 |
| मई | 367 |
| जून | 343 |
| जुलाई . | 344 |
| अगस्त . | 337 |
| सितम्बर | 346 |
| अक्तूबर . | 354 |
| नवंबर | 265 |
| दिसम्बर | 266 |
| **1976** | |
| जनवरी | 278 |
| फरवरी . | 283 |
| मार्च . . | 310 |
| (29 तारीख तक) | |

टाटा की 100 गाड़ियों को छोड़, जिनके सूक्ष्म पुर्जे उपलब्ध नहीं थे, इस अवधि के दौरान कोई भी गाड़ी स्थायी रूप से खड़ी नहीं रही। पुर्जों की उपलब्धता संबंधी स्थिति अब अच्छी हो गयी है और खराब गाड़ियों की मरम्मत तेजी से की जा रही है।

(ख) जनवरी, 1975 से फरवरी, 1976 तक दिल्ली परिवहन की सभी गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय की गयी राशि लगभग 155 लाख रुपये है। बसों के खराब होने के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कई नये डिपो बनाकर, संयंत्र और मशीनरी लगाकर योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ भर्ती कर के बस बेड़े के रखरखाव में सुधार करने और इसे सशक्त बनाने के लिए कार्यवाही की गई है।

**दिल्ली के अस्पतालों में बच्चों के दिल की शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं**

2266. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय डाक्टरों द्वारा तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के दिलों की शल्प चिकित्सा के बारे में 15 मार्च, 1976 को छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के बच्चों के वार्डों में उक्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इन अस्पतालों में कितने शल्प चिकित्सकों को उक्त आपरेशन करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) : जी हां।

(ख) बच्चों के दिलों की शल्य चिकित्सा संबंधी सुविधाएं दिल्ली के केवल निम्नलिखित दो अस्पतालों में उपलब्ध हैं :--

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

(2) गोबिन्द वल्लभ पंत अस्पताल।

(ग) (1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 3

(2) गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल 3

**राजधानी के अस्पतालों में पोलियो का टीका लगाए जाने की सुविधाएं**

2267. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में जनता के लिए किन-किन सरकारी अस्पतालों में पोलियो का टीका लगाए जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : एक सूची सभा पटल पर रख दी गयी है।

**विवरण**

दिल्ली में जिन अस्पतालों/संस्थानों में पोलियो वैक्सीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी सूची

| क्रम संख्या | नाम |
|---|---|
| 1. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-16. |
| 2. | विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली |
| 3. | सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली |
| 4. | कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली |
| 5. | हिन्दू राव अस्पताल, नई दिल्ली |
| 6. | स्वामी दयानन्द अस्पताल, दिल्ली |
| 7. | लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली |
| 8. | सेंट्रल अस्पताल, उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली } केवल रेल कर्मचारियों और |
| 9. | उत्तरी रेलवे डिविजनल अस्पताल, श्यामा प्रशाद मुखर्जी मार्ग, दिल्ली } उनके परिवारों के लिये |
| 10. | कस्तूरबा अस्पताल, दिल्ली |
| 11. | कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसई दारा पुर, नई दिल्ली और 13 डिस्पेंसरियां (केवल कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों के लिए) |
| 12. | इर्विन अस्पताल |
| 13. | दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली |
| 14. | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में परिवार नियोजन केन्द्र (14 औषधालय) |
| 15. | दिल्ली नगर निगम के प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र (41 केन्द्र) |
| 16. | नई दिल्ली नगर पालिका के सूति और शिशु कल्याण केन्द्र (13 केन्द्र) |

**केरल में केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला**

2268. **श्रीमति पार्वती कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक)** : (क) और (ख) : औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में केवल एक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला को चलाने की व्यवस्था है। ऐसी एक प्रयोगशाला पहले से ही कलकत्ता में चल रही है। वैसे, केरल को अपनी मौजूदा खाद्य और औषधि प्रयोगशाला के लिए और आधुनिकतम उपकरण खरीदने हेतु केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है।

**राजधानी के अस्पतालों में गुर्दे के रोगियों के उपचार के लिए कृत्रिम गुर्दे की सुविधा**

2269. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे के रोगियों के उपचार के लिए कृत्रिम गुर्दे (डायलीसिस) की सुविधा उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राजधानी के गुर्दे के रोगियों को ऐसी सुविधा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम इसहाक)** : (क) और (ख) : दिल्ली में निम्नलिखित सरकारी अस्पतालों में कृत्रिम गुर्दे (डायलीसिस) की सुविधाएं उपलब्ध हैं :--

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
2. सफदरजंग अस्पताल ।
3. विलिंग्डन अस्पताल--पुर्जे न होने के कारण इस की मशीन खराब पड़ी है । इन पुर्जों को प्राप्त किया जा रहा है। एक और यूनिट भी प्राप्त किया जा रहा है।
4. इर्विन अस्पताल-- एक मशीन लगाई जा रही है और यह सुविधा तीन महीने में उपलब्ध हो जाएगी ।
5. हिन्दू राव अस्पताल--इस मशीन को चलाने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

## सभा की बैठक रद्द किये जाने के बारे में वक्तव्य

## STATEMENTS RE. CANCELLATION OF A SITTING OF THE HOUSE

**निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : महोदय, जैसा कि सभा को ज्ञात है, महावीर जयन्ती के कारण 12 अप्रैल, 1976 छुट्टी घोषित की गई है। मैंने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है और मैं समझता हूं कि सभा की इच्छा है कि संसद् के लिए भी छुट्टी घोषित किया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा को माननीय मंत्री का सुझाव मान्य है ?

**कई माननीय सदस्य** : जी हां, जी हां ।

## सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

## PAPER LAID ON THE TABLE

**दान कर अधिनियम, धन कर अधिनियम, आयकर अधिनियम और सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

**राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) दान कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दान कर (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 268 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गये। देखिये संख्या एल० टी०-10649/76]

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 267 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10650/76]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 266 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10651/76]

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिचसूना संख्या सां० आ० 275 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10652/76]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 284 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 274 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 10653/76]

**कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम**

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ)** : महोदय मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 248 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10654/76]

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1975-76 के पुनरीक्षित प्राक्कलन और वर्ष 1976-77 के बजट प्राक्कलन**

**श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1975-76 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष 1976-77 के बजट प्राक्कलनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10655/76]

## लोक लेखा समिति
## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
### 201 वां प्रतिवेदन

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : मैं वर्ष 1972-73 के स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय पर लोक लेखा समिति के 134वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 201वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE
### 26वां प्रतिवेदन

**श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर)** : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 26वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

# अनुदानों की मांगें, 1976-77
## DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—(Contd.)

### विदेश मंत्रालय—जारी

**विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : मुझे अफसोस है कि विदेश मंत्रालय पर चर्चा के दौरान मैं सारे समय सभा में उपस्थित न रह सका। मैंने उन माननीन सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से पढ़े हैं, जिन के भाषाणों के समय में सभा में उपस्थित नहीं था। मैं चर्चा में भाग लेने वाले सब माननीन सदस्यों को उनके रचनात्मक सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूं।

विदेश मंत्रालय पर चर्चा के गत वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि विदेश कार्यों पर चर्चा सदन के दल विभाजन से ऊपर रहती है तथा जहां तक विदेश नीति की आधारभूत विशेषताओं का संबंध है, इस पर राष्ट्रीय जनमत प्राप्त हो गया है। यह एक अति महत्वपूर्ण बात है।

हमारी विदेश नीति की सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ने गुट निरपेक्षता के आधार पर एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति तथा सहयोग के लिये निरन्तर प्रयास करना है। हम सब के प्रति मित्रता रखने तथा किसी के प्रति शत्रुता न रखने में विश्वास करते हैं। हमारा मोर्चा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध रहा है। हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक सहयोग का रहा है, न कि संघर्ष या विवाद का। चर्चा के दौरान इस दृष्टिकोण के पक्ष में भारी समर्थन व्यक्त किया गया है। यह खुशी की बात है। हमें विश्व शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते समय विश्व की वर्तमान राजनैतिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं तथा तकनीकी विकास को ध्यान में रखना होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री दिनेश सिंह ने तनाव कम करने का उल्लेख किया था। हम पारस्परिक वैमनस्य का अन्त करना चाहते हैं। हमारा एक राष्ट्र के रूप में यह विश्वास है कि वैमनस्य का अन्त करना मानवता के हित में है, विश्व के हित में है तथा विकासशील देशों के हित में है।

आर्थिक क्षेत्र में, हम ने देखा कि समाजवादी विश्व और पश्चिमी विश्व ने औद्योगिक शक्ति बढ़ाने में भारी प्रगति की है। पश्चिमी विश्व के व्यापार का अभूतपूर्व विकास हुआ है। गत 25 अथवा 30 वर्षों में व्यापार में जितनी वृद्धि हुई है, उतनी इतिहास में कभी नहीं हुई। परन्तु इससे एक समस्या भी पैदा हो गई है। बढ़ते हुए व्यापार तथा आर्थिक शक्ति के कारण राष्ट्रों में असमानता बढ़ गई है। कुछ ही देशों में इस शक्ति के केन्द्रीकरण से शोषण को बढ़ावा मिला है। यद्यपि हम स्वतंत्र देश बन गये हैं, परन्तु आर्थिक स्थिति का यह एक पहलू है।

जहां तक राजनैतिक स्थिति का सम्बन्ध है, गत 25 वर्षों में क्या हुआ है? परम्परावादी उपनिवेश-वादी शक्तियों ने अपनी शक्ति खो दी है। अनेक देशों को स्वतंत्रता मिली है। यह प्रक्रिया भारत से आरम्भ हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि मुक्ति संग्रामों के परिणामस्वरूप उपनिवेशवादी शक्तियां उखड़ रही हैं। राष्ट्रीय संघर्ष का चरम रूप हमें हिन्दी-चीन में देखने को मिल रहा है। वहां की जनता गत दो दर्शकों से अधिक समय से अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये लड़ती रही तथा अन्त में उन्हें सफलता मिली क्यों कि उन का राष्ट्रीय स्वतंत्रा, जनता की प्रगति तथा समाजवाद में पूर्ण विश्वास है।

विश्व की प्रौद्योगिक उन्नति का अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव का विश्लेषण करते समय हमें औद्योगिक तथा सैनिक औद्योगिक समूह पर प्रोद्योगिक विकास के प्रभाव तथा विश्व की हथियार विद्या पर प्रौद्योगिक विकास से पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम ने देखा कि अमरीका यह कह सकता था कि वह विश्व की सब से बड़ी शक्ति है। उस ने शायद यह भी सोचा कि वह दूसरों को आदेश दे सकता है। परन्तु दूसरी दुनिया भी सो नहीं रही थी। वह भी अपने प्रोद्योगिक विकास के लिये प्रयास कर रही थी। इस लिये एक समय आया जब उन्होंने यह महसूस किया कि केवल हम ही सब से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सोवियत संघ ने भी इस संबंध में प्रगति की और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जहां तक शस्त्र पद्धति का संबंध है वह भी समान रूप से शक्ति शाली है। जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति की एक सीमा है तो तनाव कम करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। प्रोद्योगिक विकास का राजनैतिक स्थिति पर यह प्रभाव पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पारस्परिक संबंधों में कुछ परिवर्तन हुआ। आज हम जिस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हैं, हमें यह देखना होगा कि हम अपने संबंध किस प्रकार बनाये, हमारी आज की चुनौतियां क्या हैं तथा उन के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये।

अमरीका के साथ हमारे संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया था। प्रतिवेदन के कई वाक्यों का भी उल्लेख किया गया था। इन वाक्यों की गलत व्याख्या की भी काफी संभावना है परन्तु मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि अमरीका और सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि अमरीका और सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध एक समान है। इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंधों में अन्तर है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमरीका का राष्ट्रीय हित हमारे राष्ट्रीय हितों से टकराता है, परन्तु फिर भी हम यह प्रयास करते हैं कि जिन-जिन क्षेत्रों में सहयोग संभव हो, सहयोग बढ़ाया जाये।

सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आड़े वक्तों में हमारा साथ दिया है। उन्होंने भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में हमारी सहायता की है। कई अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा और उन का दृष्टिकोण समान है। लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि हम सोवियत संघ का हर मामले में अनुसरण कर रहे हैं।

जहां तक चीन का संबंध है श्री समर मुखर्जी ने कहा है कि हमें अपने संबंधों को सुधारने के लिये प्रयास करने चाहियें। हम संबंध सुधारने के लिये प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि चीन की प्रतिक्रिया भी इस दिशा में होगी। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि मैं यह कह सकता हूं कि चीन ने अपनी नीति बदल दी है अथवा अपना रवैया बदल दिया है। परन्तु हमें संबंध सुधारने के लिये अवश्य प्रयास करने चाहियें। भौगोलिक स्थिति से हम एक दूसरे के निकट हैं। वह हमारा पड़ौसी देश है। हमारी नीति यह है कि सब देशों के साथ मित्रता बढ़ाई जाये। हम इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते कि जो हमारा शत्रु है, सदा शत्रु ही रहेगा। यदि कोई हम से शत्रुता करता है, तो हमें इस ढंग से व्यवहार करना चाहिये कि वह हमारा शत्रु न रहे। हमारे महान नेता महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी तक हमारे सब नेताओं ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि जो हमारे मित्र हैं उन के साथ हम अपनी मित्रता बढ़ाने का प्रयास करें तथा जो हमारे मित्र नहीं हैं उन के साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि वे हम में अधिक रुचि लेने लगें और जो हमारे शत्रु हैं उन के साथ ऐसा व्यवहार करें कि तनाव कम हो तथा सहयोग की संभावना बढ़े। हमारी नीति इन्हीं बातों पर आधारित है। यह कहना गलत है कि गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक विचारधारा है। यह एक पूर्ण विचारधारा है। प्रारम्भ से ही श्री नेहरु ने इसे एक निश्चित नीति के रूप में पेश किया है। इस का लक्ष्य विश्व शांति तथा स्वतंत्रता के प्रयास के लिये लड़ना है। उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के अतिरिक्त राजनैतिक और विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक समानता के लिये लड़ना भी इस के अन्तर्गत आ जाता है। लक्ष्य यह है कि एक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के लिये संघर्ष किया जाये। यह गुट-निरपेक्षता की धारणा आज भी उसी प्रकार उचित है, जितनी उस समय थी।

मैं श्री दिनेश सिंह की इस बात से सहमत हूं कि एशियाई अस्तित्व का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। जहां तक सम्भव हो सके हमें अपनी भूमिका निभानी है और इस उपमहाद्वीप के देशों को निरन्तर जागरूक रहना है। इसके लिए सचेत वास्तविकता को समक्ष रख कर कोई पग उठाना चाहिए। साथ ही इसके बारे में अन्य देशों से भी यदि परामर्श लेना पड़े तो भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत सरकार ने सदैव ही एशियाई अस्तित्व का समर्थन किया है लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में धार्मिक और नैतिक, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां ऐसी हैं जो विघटन कराती हैं। यह जरूरी है कि एशियाई देश अपने-अपने अनुभव का आदान-प्रदान करें। हाल ही में आर्थिक क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं जैसे काली मिर्च, नारियल, प्राकृतिक रबर आदि उत्पादन करने वाले देशों के संघ बन गए हैं। उपक्षैत्रीय संदर्भ में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक संघ बनाया गया है जो सही दिशा में सही पग है। कुछ माननीय सदस्यों ने हिन्द-चीन की स्थिति का उल्लेख किया है और उन देशों के प्रति हमारे कर्त्तव्य की चर्चा की है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने हिन्द-चीन की स्थिति पर विचार किया है और जो स्थिति है उसका एतिहासिक महत्व है। इस क्षेत्र के देश स्वतन्त्र और प्रगतिशील हैं तथा परस्पर गुट निरपेक्ष देशों के सहयोग से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम का एकीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है। हम इसका स्वागत करते हैं। जिस सहयोग की उन्हें आवश्यकता होगी वह उन्हें हम देने की कोशिश करेंगे। कम्बोदिया के बारे में भी हम ऐसा ही सोच रहे हैं।

जहां तक हमारे निकट पड़ौसियों का सम्बन्ध है, सौभाग्य से नेपाल के प्रधान मन्त्री आज हमारे बीच हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। उनकी हमारी प्रधान मत्री तथा सरकार के अन्य प्रतिनिधियों के साथ बात चीत हो रही है और मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यह बातचीत हमारे परस्पर हितों के लिए फलदायी होगी।

गत तीन चार वर्षों में छोटी-छोटी समस्याओं के कारण श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्धों पर असर पड़ सकता था लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने ऐसे अवसर पर साहसपूर्ण कदम उठा कर कच्चाटीबू, स्वदेश लौटने वालों की समस्या तथा समुद्री सीमा सीमांकन के प्रश्न को बड़ी ही कुशलता से निपटा दिया और अब दोनों राष्ट्रों के बीच कोई समस्या बाकी नहीं रही।

जहां तक बंगलादेश का सम्बन्ध है हम अभी भी सहयोग के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन बंगलादेश की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है। श्री जगजीवन राम गत वर्ष बंगलादेश गए थे और फरक्खा बांध खोले जाने के बारे में एक समझौता हो गया था। लेकिन अब बंगलादेश ने यह रुख अपनाया है कि न केवल उस अवधि में जबकि पानी प्रचूर मात्रा में होता है बल्कि प्रतिमाह पानी वितरण अवश्य किया जाना चाहिए। यह एक कठिन स्थिति है लेकिन हमने एक तरफा निर्णय लेकर कम पानी लेना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें कठिनाई न हो। साथ ही हमने उन्हें कहा कि दोनों देशों के तकनीशियनों को मामले पर मिलकर बातचीत करने दी जाये। लेकिन बंगलादेश मामले के अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में है।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है यह एक जटिल मामला है। उनके नेतागण भारत विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हें जब कभी भी मौका हाथ लगता है तो वह जरूर कहते हैं कि भारत विस्तारवादी है। मुझे समझ में नहीं आता कि वह भारत को किस आधार पर विस्तारवादी की संज्ञा दे रहे हैं।

प्रधान मंत्री लोगों को देश में और देश के आस-पास मण्डरा रहे खतरे के बारे में निरन्तर सावधान कर रहीं हैं। हिन्द महासागर में डियागो गार्सिया के अड्डे से कुछ खतरा है। हमसे कहा गया है कि वहां एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जा रहा है। हम इसके विरुद्ध हैं। लेकिन यह मामला

द्विपक्षीय नहीं है। अन्य तटवर्ती देशों ने इस बारे में एक संकल्प पारित किया है और सम्मेलन बुलाने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की है।

यह चुनौती और खतरे हमारे सामने हैं। गत कुछ महीनों में जिस अनुशासन और निश्चय का हमने समूचे विश्व को परिचय दिया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि 1976 का भारत एक नया भारत है और चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**The cut motions were put and negatived.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following demand in respect of Ministry of External Affairs was put and adopted :

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजी |
| | | रु० | रु० |
| 32 | विदेश मंत्रालय . . . . | 79,25,95,000 | 8,95,83,000 |

# अनुदानों की मांगें 1976-77

## DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77

### श्रम मंत्रालय

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा में श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 67 और 68 पर चर्चा की जायेगी जिनके लिए छः घंटे का समय आवंटित किया गया है।

सभा में उपस्थित जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें वे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या सहित 15 मिनट के भीतर अपनी चिटें सभा-पटल पर दे दें। उन्हें पेश किया गया माना जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :**

**The following demands in respect of Ministry of Labour were put & adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजी |
| | | रु० | रु० |
| 67 | श्रम मंत्रालय . . . . | 60,00,000 | .. |
| 68 | श्रम और रोजगार . . . . | 36,67,31,000 | 8,23,000 |

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सीरमपुर) : मंत्रालय के प्रतिवेदन से ऐसा स्पष्ट होता है कि औद्योगिक संबंधों के वातावरण में विशेषकर आपात स्थिति के बाद काफी सुधार हुआ है। लेकिन एक नौसिखिया भी वास्तविकता को देखकर सही स्थिति का अन्दाजा लगा सकता है। यह हर कोई जानता है कि रिपोर्टों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत जो खबर हमें मिलती हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपात स्थिति के पिछले नौ महीनों के दौरान उद्योगों में स्थिति बहुत गम्भीर है और औद्योगिक सम्बन्धों में भी काफी गिरावट आई है। बड़े उद्योग-पति और सरकारी तंत्र द्वारा श्रमिकों के हितों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। श्रमिक यदि आवाज उठाते हैं तो आपातस्थिति के हथियार द्वारा सत्तारूढ़ दल और बड़े उद्योगपति श्रमिकों के सभी प्रयासों को ठप्प कर देते हैं वह उद्योगपतियों और सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते।

कुछ दिन पहले श्री रेड्डी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि गैर सरकारी क्षेत्र उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहता है लेकिन पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने कहा है कि उत्पादकों को उत्पादन कम करना पड़ा है क्योंकि मंडी में माल की मांग नहीं है और स्टाक इकट्ठा होता जा रहा है। हम यह नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है सरकार और मंत्रियों द्वारा इस बात की घोषणा करने के बावजूद कि कारखानों में छंटनी जरूरी छुट्टी तालाबन्दी इत्यादि नहीं की जाएगी ये घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गई है।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद से सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और खेतिहर श्रमिकों की आय में अन्तर कम करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। श्रम मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि क्या औद्योगिक श्रमिक के उत्पाद का मूल्य खेतिहर श्रमिक के उत्पाद के मूल्य के समान है।

मंत्रियों ने जब देश का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। यदि सरकार वस्तुतः अपने उद्देश्य के प्रति गम्भीर है तो वह इस मन्दी की अवधि के दौरान उद्योगपतियों के लाभ की ओर क्यों नहीं ध्यान देती। सरकार को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके लाभों में कोई कमी नहीं हुई है। वह श्रमिकों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन उनका लाभ पहले की भांति इकट्ठा होता जा रहा है। उदाहरणार्थ डनलप ने 1973 में 598.90 लाख रुपये का लाभ कमाया 1974 में यह लाभ बढ़कर 813.5 लाख रुपये हो गया। लाभ में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

पहले यह नारा था उत्पादन करो अथवा समाप्त हो जाओ और अब यह नारा है कि निर्यात करो अथवा समाप्त हो जाओ। मन्दी इतनी जबर्दस्त है कि सरकार के पास इस नारे के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। यह उस पूंजीवादी पद्धति का परिणाम है जिसे सरकार अपना रही है। यद्यपि सरकार देश में समाजवाद लाने के प्रयत्नशील है।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद आपने अपने हाथ में काफी शक्तियां ले ली हैं आप हमेशा प्रतिपक्ष दलों के सदस्यों पर आरोप लगाते हो कि वे जनता की शिकायतों को दूर करने के मार्ग में कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं। आप किसी भी ढंग से हम पर आरोप नहीं लगा सकते। आप बताइए यह तालाबंदी और छंटनी की कार्यवाहियाँ अभी तक क्यों जारी हैं। आप टाटा या बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते। आप जूट मिलों की विकट स्थिति की ओर ध्यान दें/संकट के नाम पर वहाँ के प्रबन्धक कर्मचारियों पर काम का भार बढ़ाते जा रहे हैं। कर्मचारियों के विरोध की उपेक्षा की जा रही है। हम इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन

उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मद्रास में अम्बेतूर के स्थान पर इंडिया मीटर लिमिटेड है। यह पिछले 16 महीनों से बंद पड़ी है। मद्रास में अब राष्ट्रपति शासन लागू है अतः केन्द्र को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है लेकिन दिल्ली के निकट पीलाखुआ में क्या स्थिति है, पीलाखुआ में सूती वस्त्र उद्योग में लगी अर्ध प्रशिक्षित औरतों को 22 घंटे काम करने पर कुल मिलाकर 27 से 56 रुपये तक दिए जाते हैं तथा रोजगार की शर्तों को विनियमित करके कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार दिल्ली के कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। यहां तक इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशें भी दिल्ली तथा फरीदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में लागू नही की गई है। मंत्री महोदय इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। कृपया आप जरा बिड़ला बन्धुओं के 'टेक्समाकों' में भी जाकर देखिए वहाँ स्थिति क्या है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां 300 कर्मचारियों को रोजगार छोड़ने पर विवश किया गया है उन्हें कहा गया है कि स्थिति जब सुधर जाएगी उन्हें पुनः काम पर वापिस ले लिया जाएगा यह समस्या केवल गैर सरकारी क्षेत्र की ही नहीं है अपितु सरकारी क्षेत्र की भी है। सरकारी क्षेत्र में आप राजनीतिक उद्देश्य से लोगों को जबर्दस्ती सेवानिवृत्त किया जा रहा है।

1959 में रेमन कर्मचारियों की कठिनाईयों की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कई सिफारिशें कीं। हमने हजारों कर्मचारियों के हस्ताक्षर से युक्त एक याचिका भी भेजी परन्तु रेयन फैक्टरी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चासनाला ही नहीं वरन् अन्य क्षेत्रों में भी कोई प्रभावशाली कदम नही उठाए गए हैं।

सरकार ने त्रिपक्षीय निकायों की प्रथा को समाप्त कर दिया है और उसके लिए वह यह बहाना बना रहे हैं कि उसमें केवल केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं। सी० आई० टी० यू० को क्यों छोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वह सरकार की नीतियों की आलोचना कराता है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन मामलों की जाँच करेंगे।

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 67 | 4 | श्री भोगेन्द्र झा : देश में उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की प्रभावी साझेदारी सुनिश्चित करने में विफलता। | | राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये। |
| 67 | 5 | श्री भोगेन्द्र झा : ऐसे कारखानेदारों के विरुद्ध जो गैर-कानूनी तौर पर अपने कारखाने बन्द कर देते हैं अथवा मजदूरों की छंटनी कर देते हैं आपात शक्तियों का प्रयोग करने में तथा उन्हें गिरफ्तार करने में और कारखानों को खोलने में विफलता। | | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 6 | श्री भोगेन्द्र झा : गुप्त मतदान के आधार पर एक उद्योग में एक कार्मिक संघ का गठन करने में विफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। |
| 67 | 7 | श्री भोगेन्द्र झा : हड़ताल में भाग लेने के बर्खास्त किये गये 'टिस्को' के कर्मचारियों को बहाल करने में विफलता। | राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं। |
| 67 | 8 | श्री भोगेन्द्र झा : बिहार में दरभंगा नगर के एल्युमीनियम तथा अन्य कारखानों के छंटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल करने तथा दोषी कारखानेदारों को सजा देने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 9. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : जनेवा में 1975 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 60 वें अधिवेशन में ग्रामीण कर्मकार संगठनों के बारे में स्वीकार किये गये अभिसमय का पुष्टीकरण करने में विलम्ब। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। |
| 68 | 10. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : केरल कृषिक कर्मकार अधिनियम की भांति कृषिक कर्मकारों के हित की रक्षा के लिये एक व्यापक विधान बनाने में विलम्ब। | ,, |
| 68 | 11. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : अधिकांश राज्यों में कृषक कर्मकारों के लिये पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी लागू करने में विफलता क्योंकि इसे लागू करने के लिये कोई अलग तंत्र नहीं है। | ,, |
| 68 | 12. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक कर्मकारों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर पृथक श्रम निदेशालय स्थापित करने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 13. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषि कर्मकारों के लिये अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी लागू कराने के उद्देश्य से राज्यों को यह निदेश देने की आवश्यकता कि खंड स्तर पर श्रम निरीक्षक नियुक्त किये जाये। | ,, |
| 68 | 14. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये राज्यों को मार्गदर्शी निदेश देने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 68 | 15. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने हेतु राज्यों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| 68 | 16. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने के लिये राज्यों में और केन्द्र में एक त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 17. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी लागू करने के काम को राजस्व अधिकारियों तथा खंड-विकास अधिकारियों को सौंपने की निरर्थकता जैसा कि कुछ राज्यों में किया गया है। | ,, |
| 68 | 18. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये मजदूरों द्वारा आग्रह किये जाने पर भू-स्वामियों और अन्य ग्रामीण निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा कृषि मजदूरों को प्रायः तंग किया जाना, डराया-धमकाया जाना और उनके प्रति हिंसा को रोकने के लिये कारगार कदम उठाने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 19. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : पददलित और शोषित ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अपने अधिकार मांगने के लिये प्रोत्साहित करने तथा भू-स्वामियों, साहूकारों और अन्य ग्रामीण शोषकों के आतंकपूर्ण हथकंडों से मजदूरों को प्रभाव-पूर्ण ढंग से बचाने की व्यवस्था करके उन्हें ऋण-भार से छुटकारा प्रदान करने में असफलता। | ,, |
| 68 | 20. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जहां कृषि मजदूरों और ग्रामीण विकास की विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा होती है, प्रतिनिधि मंडल भेजने में कृषि मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के चयन के मामले में भेदभाव। | ,, |
| 68 | 21. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : 20-सूत्री आर्थिककार्यक्रम के कार्यान्वयन में कृषिक मजदूरों तथा उनके संगठनों की भूमिका को मान्यता देने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 68 | 22. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर स्थापित की गई समितियों में कृषिक मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करने में असफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये |
| 68 | 23. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक मजदूरों की व्याबसायिक योग्यता को बढ़ाने हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये कदम उठाने में असफलता। | ,, |
| 68 | 24. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषि में श्रम उत्पादनशीलता में सुधार करने के लिये कोई उपाय अपनाने में असफलता। | ,, |
| 68 | 25. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : मुक्त किये गये बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास के लिये प्रभावी व्यवस्था करने में असफलता। | ,, |
| 68 | 26. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : बन्धित श्रमिकों का पता लगाने के मामले में धीमी प्रगति। | ,, |
| 68 | 27. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : मुक्त किये गये बन्धित श्रमिकों के द्रुत तथा समुचित पुर्नविस के लिये विशेष धनराशि आवंटित करने में असफलता। | ,, |
| 68 | 28. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषिक मजदूरों में बेरोजगारी दूर करन के लिये कोई प्रभावी योजना बनाने में असफलता। | ,, |
| 68 | 29. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : ग्रामीण मजदूरों के लिये एक रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 30. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिये एक समेकित योजना बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| 68 | 31. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृषि क्षेत्र में समान कार्य के लिये, समान वेतन के लिये विधान बनाने में विलम्ब। | ,, |
| 68 | 32. | श्री एस० ए० मुरूगनन्तम : कृपि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिये श्रम मंत्रालय में एक पृथक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 33. | श्री रामावतार शास्त्री : मजदूरों को आवश्यकता के आधार पर मजदूरी दिलवाने में असफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए। |
| 67 | 34. | श्री रामावतार शास्त्री : सरकार की मजदूर विरोधी नीति को बदलने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 35. | श्री रामावतार शास्त्री : एक कारखाने में एक यूनियन गठित करने तथा इसका फैसला गुप्त मतदान के द्वारा कराने में असफलता। | ,, |
| 67 | 36. | श्री रामावतार शास्त्री : टिस्को के छांटे गये मजदूरों को काम पर लेने में असफलता। | ,, |
| 67 | 37. | श्री रामावतार शास्त्री : केन्द्रीय एपेक्स बाडी के निर्णयो को लागू करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 38. | श्री रामावतार शास्त्री : केन्द्रीय एपेक्स बाडी को और कारगार बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 39. | श्री रामावतार शास्त्री : सभी राज्यों में एपेक्स बाडी के गठन करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 40. | श्री रामावतार शास्त्री : सभी कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों को शामिल करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 41 | श्री रामावतार शास्त्री : चीनी मजदूरों के लिए चीनी वेतन बोर्ड के फैसले को सभी चीनी मिलों में लागू करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 42. | श्री रामावतार शास्त्री : कारखानों के जो मालिक गैर कानूनी तरीके से मजदूरों की छंटनी, तालाबन्दी और कारखानों को बंद करते हैं उन्हें जेलों में बंद करने तथा उनके कारखाने को अपने अधीन में लेकर चलाने में विफलता। | ,, |
| 67 | 43. | श्री रामावतार शास्त्री : केरल खेत मजदूर अधिनियम के आधार पर संपूर्ण देश के लिए खेत मजदूरों के स्वार्थों के रक्षार्थ कानून में असफलता। | ,, |
| 67 | 44. | श्री रामावतार शास्त्री : खेत मजदूरों के लिए निर्धारित नई मजदूरी दर को अधिकांश राज्यों में लागू करने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 45. | श्री रामावतार शास्त्री : केन्द्र और राज्यों में खेत मजदूरों के लिए निर्धारित निम्नतम मजदूरी को लागू करवाने के लिए पृथक श्रम निदेशालय के गठन की आवश्यकता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| 67 | 46. | श्री रामावतार शास्त्री : खेत मजदूरों के लिए वेतन निर्धारण हेतु केन्द्र और राज्यों में त्रि-दलीय समिति के गठन की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 47. | श्री रामावतार शास्त्री : बीस-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन समितियों में खेत मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 48. | श्री रामावतार शास्त्री : बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की संतोषजनक व्यवस्था करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 49. | श्री रामावतार शास्त्री : खेत मजदूरों को जमींदारों के जुल्म से रक्षा करने तथा उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलवाने में असफलता। | ,, |
| 67 | 50. | श्री रामावतार शास्त्री : बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में उनके तथा उनके संगठनों से सहयोग लेने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 51. | श्री रामावतार शास्त्री : खेत मजदूरों के बीच व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 52. | श्री रामावतार शास्त्री : देहातों में समान काम के लिए समान मजदूरी तै करने सम्बन्धी कानून बनाने में अनावश्यक विलंब। | ,, |
| 67 | 53. | श्री रामावतार शास्त्री : हिन्डालको मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के सेवामुक्त मजदूरों को काम पर लेने में असफलता। | राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं |
| 67 | 54. | श्री रामावतार शास्त्री : प्राविडेन्ट फंड के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की बहुत दिनों से लंबित मांगों को स्वीकार करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 55. | श्री रामावतार शास्त्री : प्राविडेन्ट फंड के बिहार-क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति तथा उन्हें स्थाई करने सम्बन्धी मांगों को पूरा करने में विलम्ब। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 56. | श्री रामावतार शास्त्री : प्राविडेन्ट फंड के पटना स्थित बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने में असफलता। | राशि में से 100 रुपया घटा दिए जाय |
| 67 | 57. | श्री रामावतार शास्त्री : प्राविडेन्ट फंड कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की धीमी गति । | ,, |
| 67 | 58. | श्री रामावतार शास्त्री : दुकान कर्मचारियों को अन्य मजदूरों की तरह सुविधाएं प्रदान करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 59. | श्री रामावतार शास्त्री : दुकान कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 60. | श्री रामावतार शास्त्री : दवा के निर्माण, वितरण और विक्रय में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को वर्कमेन घोषित करने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 61. | श्री रामावतार शास्त्री : विश्वविद्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्कमेन मानने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 62. | श्री रामावतार शास्त्री : दुकान कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 63. | श्री रामावतार शास्त्री : 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में बोनस देने की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 64. | श्री रामावतार शास्त्री : आंकड़े इकट्ठा करने वाले शिमला ब्यूरो के आंकड़ों को प्रमाणिक बनाने में असफलता। | ,, |
| 67 | 65. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सब राज्यों में प्रभावी शीर्ष निकाय गठित करने में विफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| 67 | 66. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच बोनस के संबंध में हुए द्विपक्षीय समझौते का पालन करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 67. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रबन्ध में श्रमिकों की प्रभावी ढंग से साझेदारी सुनिश्चित करने के लिये योजना बनाने में विफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 68. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : लाखों शिक्षित तथा अशिक्षित युवकों को रोजगार देने में असफलता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| 67 | 69. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : तालाबन्दी छंटनी तथा जबरी छुट्टी समाप्त करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 70. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बोनस पद्धति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया निर्णय। | ,, |
| 67 | 71. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : केन्द्र में शीर्ष निकाय के इस ढंग से कार्य करने में विफलता जिससे कि वह भारत के श्रमिक वर्ग के देशभक्त लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके। | ,, |
| 67 | 72. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विजया बैंक के कर्मचारियों को लोकतंत्रात्मक कार्मिक संघ अधिकार देने तथा बैंक के प्रबन्धकों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित प्रबन्धकों द्वारा नियंत्रित कार्मिक संघ को संरक्षण देने से रोकने में विफलता। | ,, |
| 67 | 73. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रोजगार के चुनीदा क्षेत्रों में महिलाओं के लिये 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 74. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कृषिक श्रमिकों को उचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 75. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद, संकीर्णता तथा/प्रान्तीयता को समाप्त करने में विफलता | ,, |
| 67 | 76. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : रोजगार के क्षेत्र में "स्थानीय लोगों को ही रोजगार" सिद्धान्त को समाप्त करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 77. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : लाखों लोगों को जो स्थायी रूप से बेरोजगार हैं किसी प्रकार की सहायता देने में विफलता। | ,, |
| 67 | 78. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : ठेका श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा तथा उचित मजदूरी सुनिश्चित करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 79. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बीड़ी कर्मकारों के लिए बनाए गये कल्याण विधान को उचित ढंग से क्रियान्वित करने में विफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 80. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच बोनस संबंधी हुए द्विपक्षीय समझौते को लागू करने में असफलता। | राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाए |
| 67 | 81. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बेकार नौजवानों को काम मुहैय्या करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 82. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मजदूरों एवं कर्मचारियों को पहले की तरह कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस देने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 83. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कारखानों में जानबूझ कर उत्पादन में कमी करने वाले कारखानेदारों के विरुद्ध मीसा और भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 84. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : ठेकेदारी श्रम प्रथा को समाप्त करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 85. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रबन्धकों द्वारा बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले कर्मचारियों को अकारण तंग करने तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनंद मार्ग आदि फासिस्ट तत्वों की मदद करने की कार्यवाहियों को रोकने में असफलता। | ,, |
| 67 | 86. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सेंट्रल बैंक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले कर्मचारियों को तंग किया जाना। | ,, |
| 67 | 87. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बीड़ी मजदूरों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने में विफलता। | ,, |
| 67 | 88. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : देश के सभी मजदूरों के लिए समान मजदूरी तै करने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 89. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : औरत, मर्द और बालक बीड़ी मजदूरों को समान काम के लिए समान मजदूरी दिलवाने में असफलता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 90. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : बीड़ी मजदूरों को बोनस देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए |
| 67 | 91. | श्री सी० के० चन्द्रप्पन : कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत चालू अस्पतालों एवं दवाखानों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं सप्लाई करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 92. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : भविष्य निधि जमा न कराने वाले प्रबन्धकों से भविष्य निधि की बकाया राशि पूरी पूरी वसूल करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 93. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : देश भर में कामिकों की सभी श्रेणियों को श्रमिक संघों के अधिकार की गारंटी देने में असफलता। | ,, |
| 67 | 94. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : आवश्यकता पर आधारित सूत्र के आधार पर राष्ट्रीय जूट मजदूरी बनाने तथा उसे लागू करने में असफलता। | ,, |
| 67 | 95. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : सभी प्रकार की जबरी छुट्टी, तालाबन्दी, छन्टनी तथा कारखानों को बन्द होने से रोकने में असफलता। | ,, |
| 67 | 96. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : लाभ न दिखाने वाले उद्योगों के कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 97. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कर्मचारियों के अंशदान के बिना चलाने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 98. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : किसी कारखाने के बन्द होने के लिए जिम्मेदार प्रबन्धकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता। | राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं |
| 67 | 99. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : जबरी छुट्टी दिये जाने पर कामिकों को पूरा वेतन दिलाने की आवश्यकता | ,, |
| 67 | 100. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : स्थायी किस्म के कार्यों के लिए सभी प्रकार की ठेका श्रमिक प्रणाली बन्द करने की आवश्यकता। | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 67 | 101. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : औद्योगिक श्रमिकों के लिये दवाइयों और आकस्मिक नकद सहायता के साथ साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध करने की आवश्यकता। | राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं |
| 67 | 102. | श्री दिनेन भट्टाचार्य : कार्यकुशलता के नाम पर प्रबन्धकों द्वारा काम का भार बढ़ाने पर रोक लगाने की आवश्यकता। | ,, |
| 67 | 103 | श्री दिनेन भट्टाचार्य : सभी राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता। | ,, |

**Shri R.N. Sharma** (Dhanbad) : Mr. Deputy Speaker, Sir I support demand number 67 and 68 of the Labour Ministry. The Labour Ministry has made several enactments for the welfare of the weaker section as a result of this the loss of mandays in the Central sphere has declined from 11.36 million in 1974 to 1.52 million mandays in 1975 : Entire credit goes to Labour Ministry.

Now as the Labour Ministry has to implement these enactments I feel that the provision made for it is not adequate and so, it should be increased. There has been deterioration in the working of the machinery looking after industrial relations. The number of worker's committees have gone down. They were to constitute 1025 committees in 1975 whereas only 560 committees were actually constituted against the target. Similarly the number of workers being covered by them has also gone down. The number of disputes settled by them is lower in 1975 as compared to the corresponding number in 1974. The number of pending cases were 608 in 1974 and in 1975 the number of pending cases had gone up to 752. It indicates that industrial relation machinery has not functioned effectively in 1975.

As far as labour courts and tribunals are concerned, in several tribunals the posts of judges are still lying vacant and there are no judges. Government should identify, the reasons due to which cases are not expeditiously decided in tribunals.

The number of accidents in mines is on the increase and the efforts to check these accidents have become slack. The number of fatal accidents was 600 in 1975 as against 199 in 1971. So the most urgent problem in mines is the problem of safety. The department of Mines safety is there to prevent these accidents but there is no Director General in this Department for last two years. There is no adequate staff in this department and as a result adequate inspections are not made. The scales of pay for officers in this department do not compare favourably with pay-scales existing in other organisations, such as Coal India Ltd. In spite of the fact that accidents are increasing no attention is being paid to this department. The scales of pay for officers in the Department of Mines Safety do not compare favourably with pay-scales existing in other organisations, such as Coal India Ltd. In spite of the fact that accidents are increasing, no attention is being paid to this department. It is not understood as to why the Mines Bill that had been referred to the Joint Select Committee in 1973 is not being brought here.

Similarly, the Provident Fund Organisation is also not functioning effectively, because the arrears of provident fund lying with employers have increased considerably. Our apex body has taken a decision that Provident Fund Organisation should be merged with Employees Provident Fund. But due to conflicts and vested interests of officers, nothing is being done in this regard.

There are Rescue Stations for rescue and recovery but the staff has not been provided with adequate equipment because it involves some foreign exchange. Foreign exchange must be provided for life-saving devices so that Rescue Stations may be equipped in a better day.

Regarding larger participation of labour in management, there is certainly a loud talk of principles, but there is no actual participation. Rules have been framed to bring it about but the apex body has not been consulted. It would have been better if workers had been given the responsibility of running canteens, hospitals, schools or other welfare measures.

Under the amended Bonus Act, Government is committed to introduce incentive bonus and production bonus. But that scheme is neither being implemented by Managements nor by Labour Department. Government should pay attention to it and enthuse the workers by implementing a model scheme in this regard.

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna) : Mr. Deputy Speaker, the workers in this country have supported emergency with one voice because it was introduced to check the activities of the fascist forces in the country. Workers have pledged their support for all those measures that would bring about increase in production, but at the same time, they have made it clear that they would brook no action that goes against the interests of the labour force in the country.

Government have started exercising emergency powers against workers. They have impounded the dearness allowance of their employees. That is not the object of emergency. Legislation to check lay-off and retrenchment has been enacted but its implementation has been left at the discretion of State Governments. Still, they have taken no steps to implement them.

The Apex body has presented a nine-point programme for solving the problems of workers and for maintaining peace in the industrial field, but it is not known what action is being taken in this connection. The decisions of the Apex body should be enforced immediately. It is understood that in ten States, this apex body has not been set up so far. Arrangement should be made to see that apex body works effectively. On the other hand, amenities that should be given to workers are gradually being reduced. Employers deliberately resort to measures of lay-off or retrenchment but no MISA or DIR is being invoked against them.

Bureau of Labour, Simla collects statistics regarding prices. It has collected wrong statistics, as a result of which the dearness allowance of workers has gone down. The function of the Bureau should be improved with a view to safeguarding the interests of labour.

The principle of workers' participation in management is not being put into practice. Even in the Government Departments, such as Railways, Post and Telegraph and Defence, workers' Committees have not yet been set up. It is not known why the system of contract labour still exists in Government factories.

The enactments made for the welfare of agricultural labour are not being implemented. There should be a legislation providing for uniform wages for males and females in the rural sector.

The plight of beedi workers is miserable and something must be done to provide a uniform wage to them all over the country.

Thousands of persons work in Hospitals, Universities and Districts Boards but they are not recognised as workmen. They should be treated as workmen and given all the facilities.

The basic labour enactments, such as Industrial Disputes Act, 1947 and Trade Unions Act of 1976, have become quite out-of-date and they need to be revised thoroughly.

Government should pay attention to set up representative organisations of workers so that problems of labour could be tackled effectively.

The Report of the Ministry was, no doubt, factual but there was no mention of policy to be followed in relation to the affairs of labour. There are no indications in it as to what is proposed to be done to increase production and to do away with capitalist system in the country.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : हमें एक व्यापक रोजगार सम्बन्ध अधिनियम बनाना चाहिए। आज बहुत सी कठिनाइयां श्रम कानूनों के आधिक्य के कारण हैं। पता चला है कि औद्योगिक आचरण संहिता बनाए जाने के सम्बन्ध में कुछ कार्य हुआ है और यह संहिता लगभग तैयार ही है। परन्तु समझ नहीं आता कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

मजदूरी काम अथवा उत्पादकता या उत्पादन से सम्बन्धित नहीं है। हमें औद्योगिक न्यूनतम मजदूरी और गैर-औद्योगिक न्यूनतम मजदूरी निश्चित करनी चाहिए। यह कृषि पर भी लागू होनी चाहिए। लेकिन हमें न्यूनतम मजदूरी का कोई सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए।

एक बार न्यूनतम मजदूरी निश्चित होने पर लाभ अथवा अत्पादकता का प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि उतना तो देना ही है। इसे उत्पादन अथवा उत्पादकता के साथ जोड़ा जाये। इससे कर्मचारियों की अनेकों दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

विलम्ब करके हमने श्रम कानूनों का उपहास ही किया है। बहुत से मामलों में विलम्ब हुआ है। एक मामला तो 16 वर्षों से उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि श्रम कानूनों के सम्बन्ध में कोई याचिका न दी जा सके और कोई अपील न की जा सके। कहीं न कहीं तो अन्तिम रूप से निबटाने की बात होनी ही चाहिए।

आये दिन कर्मचारियों की जबरी छुट्टी अथवा छंटनी की जाती है और उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें अवैध रूप से जबरन छुट्टी करने और छंटनी करने पर मालिकों को दण्ड दिया गया हो।

यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आपने श्रमिकों में किसी तरह का असंतोष पैदा किया तो आपकी श्रम नीति पूरी तरह निरर्थक हो जायेगी। कभी मुझे इसमें संदेह होता है। क्या कुछ लोग जान बूझकर अव्यवस्था और असंतोष की स्थिति पैदा कर रहे हैं ? उनकी क्या योजना है ? आप इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार कीजिए। आपात स्थिति का लाभ उठाकर आप कर्मचारियों में असंतोष क्यों पैदा कर रहे हैं। आपात स्थिति स्थायी नहीं है।

अब आप चाहते हैं कि श्रमिक प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लें। यह ठीक है। कर्मचारियों के मन में यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि वे केवल श्रमिक या कर्मचारी ही नहीं हैं अपितु उस उद्योग के भागीदार भी हैं। संघवाद समाप्त कर दिया जाये और कर्मचारियों को कहा जाये कि वे प्रत्येक स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुनें। यदि ऐसा सरकारी क्षेत्र में कर दिया जाये तो गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए यह एक उदाहरण बन जायेगा।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों को आवास तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिएं। जब कोई उद्योग आरम्भ किया जाए तो कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक और बात है कि औद्योगकि एकक में सेवा करने के पश्चात् कर्मचारी अपना मकान चाहता है। क्योंकि सेवा पूरी होने के पश्चात् वह कहां जाएगा ? क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राजा कुलकर्णी बोलना चाहते हैं. . . . . (व्यवधान) एक सिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति बोलना चाहता हो उसे बोलने से पहले दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहिए । अब उपमंत्री बोलना चाहते हैं ।

**Shri Ram Singh Bhai** (Indore) : Mr. Deputy Speaker, I have an urgent work at home and I want to leave for home. Kindly give me an opportunity to speak. My name is at the top among the members who want to speak.

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इतने अधीर मत होइए । मैं इस समस्या पर विचार कर रहा हूं ।

**श्री रघुरमैया** : उन्हें बोलने दिया जा सकता है । 3 बजे मंत्री जी को बुलाया जा सकता है ।

**Shri Ram Singh Bhai** (Indore) : Emergency has thrown more responsibilities on the Ministry of Labour. We have made two Commitments to our people, first production will be increased and second more people will be given employment. The above two things are responsible only when there is industrial peace relations between the employer and the employees are cordial. But the present situation in our industrial sector is far from satisfactory.

While labour has extended their full support to the Government in augmenting production in the face of reduced bonus and other cuts, the attitude of employers has not undergone any change. They are still reluctant to give more facilities and benefits to the labour. In the name of power cuts and recession the number of lay offs and retrenchment has increased considerably. In my state of Madhya Pradesh more than 45,948 employees were laid off and 800 were retrenched. In fact both employment and production has gone down during the recent months. This is an alarming situation. This must be looked into urgently.

During recent months the price of industrial raw material has come down. As a result of downward trend in the working class consumer price index, the wages of workers have also been reduced but the prices of finished goods are still going up. In fact they have increased by 41 percent over the last two years. It shows that the industrialists do not want to reduce their profits. This is a disturbing trend. Government should see that the prices of manufactured articles also come down.

The practice of engaging an apprentice in place of regular labour has developed during the recent months. The employer take full work from the apprentice but do not pay him and thus save the wages. This practice has wide implications which should be looked into seriously.

The practice of employing too many hands from one family should be discouraged. We should see that at least one person from each family get employment.

**श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है । मैं उन मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो यहां सदस्यों ने उठाए हैं ।

**श्री पी० पार्थासारथी पीठासीन हुए**

**[ Shri P. Parthasarthy in the Chair ]**

सर्वप्रथम मैं श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी विषय को लूंगा । उत्पादन में श्रमिकों की जीवन यापन दशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । अत: यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है, कि वह श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करे कि उनकी उपेक्षा न हो ।

श्रमिक इस कारण भी कमजोर है कि वे संगठित नहीं है, और उनके संगठन नियोजकों से ठीक तरह बातचीत नहीं कर पाते ।

कुछ समय पूर्व नियोजक श्रमिकों के कल्याणकार्य मामलों को केवल मानवीय दृष्टि से देखते थे । किन्तु आज यह सिद्धांत बदल चुका है । हमारे जैसे विकासशील देश में उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है ।

इस दिशा में सरकार ने पहला कदम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिया था जबकि कोयला खान कल्याण निधि स्थापित की गई थी । इसके पश्चात् अभ्रक, लौहअस्यक, चूनापत्थर तथा डेलोमाइट तथा अन्य खनन उद्योगों में इसी तरह की निधियां स्थापित की गयीं ।

गत कुछ वर्षों के दौरान मैं कुछ सुदूर स्थानों पर गया जो कि आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं। मैं वहां श्रमिकों के हितों और उनकी कल्याण कार्य गतिविधियां देखने गया । मुझे हर्ष है कि इन संगठनों ने श्रमिकों की दशा सुधारने में सराहनीय कार्य किया है ।

इतना ही नहीं हमने श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु विभिन्न स्थानों पर अस्पताल खोले हैं । वहां श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है ।

जहां तक आवास का सम्बन्ध है, हमने उनके लिए गत वर्ष लगभग 1800 मकान बनाए हैं और इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए की राज सहायता प्रदान की है ।

**Shri Damodar Pandey :** No Committee has been constituted in respect of delomite and limestone workers.

**श्री बालगोविन्द वर्मा** : इसके लिए कोई समिति नहीं है । सरकार स्वयम् श्रमिकों के हितों पर ध्यान देती है । सदस्यता की जांच का कार्य कठिन है । फिर भी हमें आशा है कि निकट भविष्य में एक सलाहकार समिति की स्थापना की जाएगी . . . . . (**व्यवधान**) यदि सभी कार्मिक संघ एक हो जाएं और कहें कि फलां-फलां को समिति में लेना है तो हम उसका स्वागत करेंगे । इसके लिए केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन बाधक बन रहे हैं ।

हमें सभी खान कर्मकारों के लिए एक सामान्य कल्याण निधि स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस पर विचार हो रहा है ।

सरकार ने बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले तम्बाकू पर 25 पैसे प्रति किलो की दर से कल्याण शुल्क लगाकर शुभारम्भ किया है । इस संगठन में कार्य की प्रगति के साथ-साथ शुल्क में भी वृद्धि कर ली जाएगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में एक संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत यह अधिनियम 500 रुपए से 1000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन प्राप्तकर्ता कर्मचारियों पर लागू करने के लिए मज़दूरी सीमा बढ़ा दी गई है । यह संशोधन भारत में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति में एक ठोस कदम है । इस संशोधन से लगभग सात लाख कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आ गए है । अधिनियम में हतोत्साहक दांडिक उपबन्धों की व्यवस्था की गई है । आशा है कि इन उपबन्धों से अधिनियम की बकाया राशियां ठीक समय पर एकत्रित करने में सुविधा मिलेगी । कई उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों को, जो पहले इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे । अब इस योजना के अन्तर्गत रख लिया है और इस प्रकार बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

31 दिसम्बर 1975 को बीमा किए हुए व्यक्तियों की संख्या 57.34 लाख थी और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ थी । स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह एक सराहनीय प्रगति होनी चाहिए। निगम ने चिकित्सा देखभाल पर भी व्यय की सीमा बढ़ा दी है ।

निगम ने अस्पताल के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है । अस्पतालों में 5,000 और बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी । कर्मचारी राज्य बीमा के औषधालयों में औषधियों की उपलब्धता में सुधार किया जाएगा।

दूसरा प्रगतिशील सामाजिक विधान कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में किया गया संशोधन है । 1000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए मजदूरी सीमा बढ़ाने हेतु और अधिक दर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए संशोधन किए गए हैं ।

इस समय कर्मचारी भविष्य निधि 66,493 प्रतिष्ठानों पर लागू होती है और इनमें अंशदान कर्ताओं की कुछ संख्या 77 लाख है । कर्मचारी भविष्य निधि की मुख्य अंशदानों की बकाया राशि से सम्बन्धित है । 1973 के अधिनियम में कठोर दंड की व्यवस्था करने के लिए किए गए संशोधन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी गई कठोर कार्यवाही के फलस्वरूप इस दिशा में कुछ सुधार हुआ है । वर्ष 1974-75 के लिए कुल अंशदान 1266.43 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,413 करोड़ रुपए हो गया था । अंशदानों की बकाया राशि की प्रतिशतता 1.54 प्रतिशत से घटाकर 1.44 प्रतिशत हो गई है ।

कुछ राज्य सरकारों से पता चला है कि उन्होंने कुछ नियोजकों के विरुद्ध आँशुका का प्रयोग किया है । पश्चिम बंगाल में कुछ नियोजकों ने उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए (व्यवधान) ।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों से कोयलाखान भविष्य निधि ने 26 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूल कर ली है। यह बड़े संतोष की बात है।

वित्त मंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि सरकार ने जमा राशि सम्बद्ध बीमा योजना लागू करने का निर्णय किया है। इस योजना से श्रमिकों को प्रिमियम दिए बगैर बीमा करने का अवसर मिलेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान सभा में पेश किया जायेगा (व्यवधान)। समाज सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के बारे में विभिन्न निकायों ने समय समय पर सुझाव दिए हैं। यद्यपि एक समान समाज सुरक्षा योजना लाभदायक हो सकती है किन्तु हमें विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखना है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व इन कठिनाइयों को हल करना होगा।

समाज सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं के बाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण अर्थात रोजगार और प्रशिक्षण के बारे में कहना चाहूंगा। वर्ष 1975 में एक मुख्य लाभ यह हुआ है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षु योजना, के कार्यकरण में काफी सुधार हुआ है। गत नौ महीनों में प्रशिक्षुओं की संख्या 69,000 से बढ़कर 1,21,000 हो गई है। इस का अर्थ है कि 52,000 की वृद्धि हुई है। इन प्रशिक्षुओं में से 24,000 प्रशिक्षु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों आदि जैसे कमजोर वर्गों के हैं। प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के दर में भी काफी वृद्धि की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में लोग इस से लाभान्वित हो सकें।

उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न केवल भारतीय औद्योगिक संस्थानों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के प्रयत्न किये गये हैं, बल्कि विशिष्ठ व्यवसायों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए, प्रशिक्षार्थियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से बातचीत करने क परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषणों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में चार बड़ी बड़ी परियोजनाएं तैयार की हैं, जिन पर अपनी स्वीकृति देने के लिए सरकार विचार कर रही हैं। इनमें से कुछ पर 1976-77 में कार्य आरम्भ होने की संभावना है ।

जहां तक रोजगार की स्थिति का सम्बन्ध है, संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 तक 2.1 प्रतिशत रही है। इस से ज्ञात होता है कि रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है । रोजगार के अवसरों में वृद्धि की दर सरकारी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक रही है । सरकारी क्षेत्र में वृद्धि की दर 3.2 प्रतिशत है, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल 0.1 प्रतिशत । आपको यह जान कर खुशी होगी कि वर्ष 1975 में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 128.89 लाख थी, जब कि गैर सरकारी क्षेत्र में केवल 67.99 लाख ।

बेरोजगारी की समस्या अभी तक गंभीर है और हमारे लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है । दिसम्बर, 1975 के अन्त में चालू रजिस्टर में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 93.26 लाख थी, जिन में 48 लाख शिक्षित बेरोजगार शामिल हैं। सरकार इस दिशा में कुछ सुधार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी बताना है कि गोरखपुर श्रम डिपो से भर्ती लगभग बन्द हो गई है । इसलिए गोरखपुर श्रम डिपो को उस क्षेत्र के गरीब लोगों की सहायता के लिए केन्द्रीय रोजगार कार्यालय में परिवर्तित कर दिया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें, कि अपने कार्यालयों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए नियुक्तियां इस रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जायें।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कई विशेष योजनाएं आरम्भ की गई हैं। पंच-वर्षीय योजना के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । हम लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मैं दो अथवा तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सर्वोच्च निकाय ने यह सिफारिश की है कि कानपुर के दो मिलों का अधिग्रहण किया जाये अथवा उन्हें पुनः चालू किया जाये और केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इस उद्देश्य के लिए संगत अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करना है । इसमें समय लग रहा है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह संशोधी विधेयक अविलम्ब संसद में पेश करें, क्योंकि यह मामला 10,000 कर्मकारों से सम्बन्धित हैं, जो गत 12 महीनों से कठिनाई में हैं ।

देश में लगभग बारह कपड़ा मिल बन्द पड़े हैं। सर्वोच्च निकाय ने उन सब के अधिग्रहण की सिफारिश की है

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखिए ।

## कुक्कर खांसी निवारण और उन्मूलन योजना विधेयक
## WHOOPING COUGH PREVENTION AND ERADICATION SCHEME BILL

**श्री यमुना प्रसाद मंडल** (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश से कुक्कर खांसी के निवारण और उन्मूलन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** (तेल्लीचेरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने प्रक्रिया के नियमों के अनुसार नारियल विधेयक की सूचना दी थी। इस विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत है। लोक सभा सचिवालय ने इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें में कहा गया है...

**सभापति महोदय** : आप यह प्रश्न किसी और समय उठाइए।

**श्री चन्द्रपन** : मंत्रालय ने मनमाने ढंग से मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने के मेरे अधिकार से वंचित किया है।

**सभापति महोदय** : चूंकि आपने अध्यक्ष महोदय को इस बारे में लिखा है, इसलिए आप उनसे उनके कक्ष में मिलिये। मेरा कार्य तो केवल कार्य सूची का पालन करना है। प्रश्न यह है :

"कि देश से कुक्कर खांसी के निवारण और उन्मूलन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**श्री यमुना प्रसाद मंडल** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किए गये विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : आप जरा मेरी बात सुनिए। मैंने विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए दिसम्बर में सूचना दी थी। मंत्रालय का कहना है कि क्योंकि नारियल बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, इसलिए वह राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा। मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। मुझे उस अधिकार से वंचित रखा गया है।

**श्री एस०एम० बनर्जी** : यह एक गंभीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नारियल विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी।

---

## भारत रक्षा (धारा 6 का संशोधन) विधेयक—जारी
## DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT OF SECTION 6) BILL—Contd.

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बर्दमान) : महोदय, 1971 में श्री कृष्ण चन्द्र पन्त में आन्तरिक सुरक्षा विधेयक को पेश करते हुए विधेयक का औचित्य इस आधार पर सिद्ध किया था कि नजरबन्दी के मामलों में एक सलाहकार बोर्ड होगा, नजरबन्द व्यक्तियों को बन्दी-प्रत्यक्षीकरण याचिका उपलब्ध होगी तथा नजरबन्दी की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी तथा इसलिए माननीय सदस्य और जनता के मन में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह कई संरक्षण बताए थे। परन्तु हमने देख लिया है कि प्रत्येक संरक्षक का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है और किस प्रकार सरकार ने राजनीतिक विरोधियों कर्मचारियों, कार्मिक संघों के नेताओं, अध्यापकों तथा छात्रों आदि के विरुद्ध इस कठोर कानून का प्रयोग किया है।

आपात स्थिति के पश्चात् समूची स्थिति में भारी परिवर्तन कर दिया गया है। अब किसी तरह का सलाहाकार बोर्ड नहीं है। नजरबन्दी के कारण नहीं बताए जाते। कोई किसी तरह का अभ्यावेदन नहीं दे सकता, यहां तक कि न्यायालयों को भी नजरबन्दी के बारे में किसी तरह की सामग्री उपबन्ध नहीं की जाती। सरकार ने कहा है कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं अब नहीं रखी जा सकतीं। अब तो यही सम्भावना है कि जब तक आपात स्थिति रहेगी, लोगों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मेरे विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित हैं। मैं सभा के विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पहला संशोधन यह है कि भारत की सुरक्षा के नाम पर अधीनस्थ अधिकारियों का नजरबन्द करने का अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। यह अधिकार केवल सरकार तथा बड़े अधिकारियों के पास होन चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि नजरबन्दी की अधिकतम अवधि 12 महीने होने चाहिए,न कि अनिश्चित काल तक, जब तक की आपात स्थिति समाप्त न हो। तीसरा संशोधन यह है कि अधिनियम की धारा 17क का लोप किया जाए, जिसे उच्चतम न्यायालय ने पहले ही अवैध घोषित कर दिया है।

मेरा विधेयक विदेशी मुद्रा का अपवंचन करने वालों तथा चोर बाजारी करने वालों से संबंधित नहीं है। उनके सम्बन्ध में एक अलग कानून है। मैं उस कानून के अन्तर्गत बन्दी किए गए लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, हालांकि मैं सिद्धान्त रूप से निवारक निरोध के विरुद्ध हूं। मेरा विधेयक आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी किए गए राजनैतिक विरोधियों, छात्रों तथा अध्यापकों आदि से सम्बन्धित है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए नजरबन्दी की अधिकतम अवधि 12 महीने होनी चाहिए।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर पक्षपात पूर्ण ढंग से विचार न करें। मेरा प्रयास आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को सभ्यतापूर्ण बनाने का है। चूंकि यह पता तो है नहीं कि आपात स्थिति, भारत रक्षा नियम, भारत रक्षा अधिनियम कब तक जारी रहेंगे, अतः यह बिल्कुल अनिश्चित है कि नजरबन्दी की अवधि कब तक चलती रहेगी। इस विधेयक पर मानवीय और सभ्य दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। भारत रक्षा अधिनियम को कुछ कम कठोर बनाया जाना चाहिए।

**Shri M. C. Daga** (Pali): The hon. Member has expressed very good intentions, no doubt, but I would like to draw the attention of the House to an article written by Shri Chatterjee himself under in Caption "The Constitution and the Parliament in India". I am quoting the following few lines :—

> "I would be significant to note that, in answer to an unstarred Question as to how long the Emergency would continue, it was stated on behalf of the Government of India in Lok Sabha on August 21, 1974, that the question of continuance of Em r-gency is kept under constant review, in the light of the relevant security considerations, progress of normalization of relations of Pakistan and overhaul economic situation in the country".

Now does the hon. Member understand that the situation has improved to that extent that Emergency can be revoked. Should we not learn a lesson from the happening in Bangla Desh?

A wave of lawlessness had swept the entire country. Opposition parties formed a common front and they started blocking the progress of the country. Emergency was declared on the 25th June, 1975 to deal with the forces which were out to harm the country. Complacency would have landed us in serious trouble and the interests of the country were

not safe. In these circumstances, stringent laws had to be passed in the interest of security of the country. Government was not happy about those laws but compulsions of the situation demanded enactment of those measures.

Keeping in view the present situation faced by the country the Mover should withdraw his Bill.

**श्री अर्जुन सेठी** (**भद्रक**) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक का देश में विद्यमान वर्तमान स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत रक्षा अधिनियम असाधारण और असामान्य परिस्थितियों से निबटने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा था कि जब कोई असाधारण एवं असामान्य घटना होती है तो हमें असाधारण उपाय अपनाने ही होते हैं।

यह विधेयक एकदम अनावश्यक है और मुझे इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता।

अतः मैं प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

**श्री बी० बी० नायक** (**कनारा**) : प्रस्तावक की भावना ऐसी लगती है कि यद्यपि आसुंका के उपबन्ध भारत रक्षा अधिनियम के समरूप नहीं हैं तथापि इस तरह के उपबन्ध अधिक संख्या में हैं। यदि राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा नियम में एक समान इतने उपबन्ध हैं और यदि इन अपराधों का सामना करना व्यवहार्य हो तो फिर आसुंका के उपबन्धों को अनुपयुक्त रखा जा सकता है। आपात स्थिति समाप्त होने पर छः महीने की ही अवधि रहेगी। उस समय राज्य सरकारों को आसुंका के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति की नजरबन्दी के बारे में दिया गया संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। नजरबन्दी के कारणों को दिखाने वाले कागजात जो आपात-स्थिति के दौरान न्यायालयों को नहीं दिखाए जा रहे हैं; आपात स्थिति के बाद दिखाए जाने लगेंगे।

**श्री इराज्नु द सेकैरा** (**मारमागोआ**) : मूल विधेयक, जो स्वयं एक कठोर विधान था, कई संरक्षणों के नाम पर एक कड़वी बोली के समान था। हमने देख लिया है कि किस तरह कठोर कानूनों द्वारा एक-एक करके इन संरक्षणों को समाप्त किया गया है। 1971 में गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति बिना किसी आरोप, बिना किसी कारण के नजरबन्द किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वास्तव में यह तो उसके लिए आजीवन कारावास है।

आपात स्थिति अनावश्यक है। इसे जारी रखना अनौचित्यपूर्ण है। जितनी जल्दी आपात स्थिति समाप्त की जाएगी उतनी ही जल्दी देश में सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur) : The present Bill does not aim at repeal of MISA. It only relates to deletion of the provision for indefinite detention of a person without trial. In a democratic country, it is not proper to detain a person indefinitely without proving his guilt.

MISA has been used to round up innocent people. There are thousands of good people who are arrested under this law. This law is being used to detain political opponents.

There is no provision for appeal against arrest under MISA. Even the courts cannot ask for reasons of detention. It is not good to detain thousands of people without telling them the reasons for their detention.

The present Bill seeks to curb the unlimited powers taken by the Government to detain people. The objective of the Bill is that no person should be kept in detention for a long period without reasons being disclosed for his detention. The Bill has been brought forward with a laudable objective. It should be accepted by the Government.

**Shri R. V. Bade** (Khargon) : Mr. Chairman, I support this Bill, not because MISA has been used against us more but because the shoe of MISA has begun pinching them as well. When it pinches everyone, there is all the Greater need to change it.

A large number of persons have been arrested in Madhya Pradesh under MISA just on suspicious. Dependents of these people are in great difficulty. There is no remedy for seeking redress. MISA is such a law that even courts cannot help the detainees.

**श्री डी० के० पंडा (मंजननगर)** : अनिश्चित काल तक नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है, उसकी अब कदापि आवश्यकता नहीं है। हम सब को इस उपबन्ध को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए।

नौकरशाही अधिकारियों ने अपनी मर्जी से तथा स्वार्थी राजनीतिक व्यक्तियों के कहने से उन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के समर्थक हैं और उसके कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे हैं।

बिहार में आसुंका के अन्तर्गत 6 साम्यवादी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। चिन्दवाड़ा में आसुंका के अन्तर्गत 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका दोष केवल इतना है कि उत्पादन कार्य को प्रभावित किए बिना उन्होंने भूख हड़ताल की है। हिमाचल प्रदेश में राज्य परिषद् का सी० पी० आई० का एक सदस्य आसुंका के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। उड़ीसा में आसुंका के अन्तर्गत सी० पी० आई० के 8 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनिश्चित काल तक नजरबन्द रखने सम्बन्धी उपबन्ध का लोप किया जाना चाहिए।

**श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्माम)** : सारे सदन को यह विधेयक एकमत से स्वीकार कर लेना चाहिए। विशेषकर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इसे पास होने दें। स्वयं कांग्रेसियों को अपने ही हित में इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा एक समय ऐसा आ सकता है कि इस का प्रयोग उनके ही विरुद्ध होगा और उन्हें जेल की हवा खानी होगी। कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। कभी भी कांग्रेस अपना बहुमत खो सकती है और विरोधी दल की सरकार बन सकती है। विशेषकर आजकल की परिस्थितियों में जब कि प्रजातन्त्र को दबा दिया गया है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि अनावश्यक खंडों को, जिनके द्वारा लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में ठूंस दिया जाता है, निकाल दिया जाना चाहिए।

अकेले मद्रास में ही हजारों लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया है। इनमें से बहुत-से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने कुर्बानियां की थीं ?

एक ओर तो सरकार समाजवाद का ढंढोरा पीट रही है, किन्तु दूसरी ओर ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रही है जो उससे भी अधिक शक्तिशाली बनती जा रही है और सरकारी उपक्रमों विरोधी प्रचार करती हैं। जिससे सरकार की कथनी और करनी में विरोध बढ़ता जा रहा है।

सरकार कब तक इन लोगों को जेलों में रखेगी? न्यायालय ने एक पत्रकार को इतने समय तक जेल में रखे जाने के विरुद्ध निर्णय भी दिया था। और स्पष्ट रूप से कहा था कि इस प्रकार की नजरबन्दी गैर-कानूनी है। कहा जाता है कि श्री करुणानिधि के पुत्र को जेल में डाल दिया गया और पीटा गया। क्या बच्चों के साथ हमारा यही दुर्व्यवहार होगा? ये सारी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अपनी कमियों पर भी निगाह डालनी चाहिए। यदि सरकार इन कामों से बाज नहीं आई तो एक दिन स्वयं अपनी करनी का शिकार बन जाएगी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : इस विधेयक पर श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सदस्यों के भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों में बताया गया है कि भारत-पाक युद्ध तो समाप्त हो गया है परन्तु अपातस्थिति की उद्घोषणा समाप्त नहीं हुई है। आज बाहरी खतरा न रहने के कारण आपातस्थिति न रखने पर बल दिया गया है।

मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेशक भारत-पाक युद्ध समाप्त हो गया है, भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार आया है, परन्तु हर कोई जानता है कि पाकिस्तान शास्त्रीकरण की नीति पर चल रहा है। पाकिस्तान द्वारा शस्त्रों का संग्रह भारत के सिवा और किसी देश के विरुद्ध नहीं है। हमारे देश ने तथा देश के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ौसी देशों में हमारी कोई क्षेत्रीय महत्वकांक्षी नहीं है। हम सब के साथ शान्तिपूर्ण रीति से रहना चाहते हैं। परन्तु कुछ ईर्षालु लोग तथा देश हमारी शक्ति, हमारे विकास तथा निर्गुट राष्ट्रों के नेता के रूप में हमारी संवृद्धि की स्थिति के साथ समझौता नहीं कर पाए हैं। ऐसी ही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां विश्व के इस भाग में तनाव पैदा करना चाहती हैं। डीगो गार्सिया का पूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में विकास हमारे सतर्क रहने का एक और कारण है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप वहां पर 'आंसुका' का उपयोग क्यों नहीं करते?

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : मेरे मित्र सफल वकील हैं तथा उन्होंने विधेयक का समर्थन सफलतापूर्वक किया है। मैं उनके तर्कों की प्रशंसा करता हूं। हमारा देश शान्ति प्रिय देश है। हम सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं। परन्तु हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि सभी क्षेत्रों में देश की रक्षा करें। पूर्वी क्षेत्र में शेख मुजीब की हत्या के बाद स्थिति बदल गई है। कई कारणों से बंगला देश से हमारे सम्बन्धों में बिगाड़ आया है। इन सब कारणों से हमें सतर्क रहने की और भी आवश्यकता है।

25 जून को जो आपातस्थिति घोषित की गई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ऐसी स्थिति किस ने पैदा की थी। कुछ लोगों को इसका पश्चाताप है, परन्तु श्री चटर्जी जैसे कुछ लोग ऐसा नहीं समझते अपने भाषण में उन्होंने तस्करों, समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही किए जाने का समर्थन किया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैंने कहा था कि इस विधेयक का सम्बन्ध आर्थिक अपराधियों के साथ नहीं अपितु इसका सम्बन्ध राजनीतिक बन्दियों से है?

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : आन्तरिक उपद्रवों के सम्बन्ध में मैंने गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय बताया था कि कुछ तत्व गुप्त कार्यवाहियों तोड़-फोड़ के कार्यों में संलग्न हैं। आपातस्थिति के कारण ही वे तत्व अधिक सक्रिय नहीं हैं। (**व्यवधान**)।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: सरकार की ओर से उत्तर देते समय क्या श्री मोहसिन समझते हैं कि यह विधेयक आंसू का की समाप्ति के बारे में है।

**श्री एफ० एच० मोहसिन**: आपातस्थिति के समाप्त किए जाने के हालात अभी नहीं बने हैं। परिस्थिति अभी भी आपात स्थिति की मांग करती है। (**व्यवधान**) इस समय किसी प्रकार का अनुशासन तो है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: आपकी पार्टी के लोग भी परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं।

**श्री एफ० एच० मोहसिन**: श्री चटर्जी के लम्बे भाषण में मैंने व्यवधान नहीं डाला। उनकी व्यवधान डालने की आदत है।

**सभापति महोदय**: मंत्री महोदय ने श्री चटर्जी के भाषण में व्यवधान नहीं डाला।

**श्री एफ० एच० मोहसिन**: श्री चटर्जी तथा अन्य सदस्यों ने तीन बातें कही हैं। एक तो यह कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर आंसूका का दुरुपयोग किया गया है। मैं मानता हूं कि कुछ मामलों में 'आंसुका' का दुरुपयोग हुआ होगा। यह बात सभा में स्पष्ट कर दी गई है कि जब भी ऐसे मामलों की जानकारी दी जायेगी हम राज्य सरकारों को समुचित अनुदेश दे देंगे। श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा ने बताया है कि 25,000 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि इतनी बडी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य**: आप 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सही संख्या नहीं बताते

**श्री जी० विश्वनाथन**: श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा ने आरोप लगाया है कि 25,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आप सरलता से यह बता सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

**श्री एफ० एच० मोहसिन**: हम आंकड़े बताना नहीं चाहते। परन्तु श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा ने जो आंकड़े बताये हैं वे बढ़ा चढ़ा कर बताये गये हैं।

जो व्यक्ति देश की सुरक्षा एवं शान्ति को खतरा थे उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। यह तथ्य कि बहुत से विरोधी नेता मुक्त हैं तथा अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं, इस बात को प्रमाणित करता है कि 'आंसूका' का उपयोग समझ बूझ कर किया गया है। श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने आश्वासन दिया था कि आंसूका का उपयोग वैध राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जायेगा इसकी परिभाषा जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही करेगी।

श्री चटर्जी ने कहा है कि 'आंसूका' का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों से किया जा रहा है। मैं इस बात का जोरदार खण्डन करता हूं। हमारा दल देश की जनता के साथ है। श्री चटर्जी का यह आरोप भी गलत है कि देश के नागरिकों को उतनी भी आजादी नहीं है जितनी कि अमरीका के गुलामों को मिली हुई है। उनका यह कथन निराधार है। उनको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हमारे देश में भाषण स्वतन्त्रता है पर साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ न्यायसंगत प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक होते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इस देश में 'आंसूका' एक घृणित वस्तु बनकर रह गया है। आंसूका को घृणा की दृष्टि से देखने वाले लोग वही हैं जो देश की शान्ति को भंग करना चाहते हैं तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा डालना चाहते हैं। आम जनता की राय में आपात स्थिति की घोषणा देश के लिए वरदान सिद्ध हुई है और इससे अवांछित तत्वों को समाप्त करने में मदद मिली है। यदि किसी मामले में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है तो उस मामले की जांच करेंगे।

यह आरोप भी लगाया गया है कि आंसुका का प्रयोग मजदूर, मजदूरों संघों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, पत्रकारों तथा वकीलों आदि के विरुद्ध किया जा रहा है। यह आरोप सर्वथा गलत है। आंसुका का प्रयोग शान्तिप्रिय लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध किया जा रहा है। हम किसी विशेष वर्ग के विरुद्ध नहीं हैं। हम वर्ग रहित समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आन्तरिक गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आंसूका के अन्तर्गत धारा 16-क में प्रावधान किया गया है।

श्री चटर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नजरबन्द किया जाता है तो उसकी रिहाई आपात स्थिति की समाप्ति के 6 महीने के बाद की जाएगी। यह बात सच है। इसके लिए प्रक्रिया यह है कि नजरबन्दी के आधार बताने पड़ते हैं तथा मामले को परामर्शदात्री बोर्ड को भेजना पड़ता है। इस प्रकार आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्दी एक भिन्न प्रकार की है। यह नजरबन्दी केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए होती है। वर्तमान कानून के अनुसार नजरबन्दी की अवधि 12 माह से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द किया जा रहा है इसलिए मैं वर्तमान कानून में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझता।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: आंसुका में यह व्यवस्था थी कि नजरबन्दी की अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष होगी। परन्तु अब धारा 14(2), में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद यह समझा जाएगा कि व्यक्ति रिहाई के बाद अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर सकता है तो उसको फिर से नजरबन्द किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा की आड़ में सरकार 'आंसुका' में ऐसे संशोधन कर रही है जिससे लोगों की स्थिति अमरीका के गुलामों से भी बदतर हो गई है। जो लोग इस अधिनियम के चंगुल में फंस जाते हैं, उनको न तो यह जानने का अधिकार प्राप्त है कि उनको किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है और न ही उनको परामर्शदात्री बोर्डों के समक्ष जाने का ही अधिकार प्राप्त है। वे न तो अभ्यावेदन ही भेज सकते हैं और न ही बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका ही पेश कर सकते हैं। यह गुलामी नहीं तो और क्या है ?

कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है और वह बड़ी आसानी से मेरे विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। परन्तु सरकार यदि पत्थर दिल नहीं है तो उसे अपने अन्दर झांकना चाहिए। ऐसा लगता है सरकार प्रत्येक विषय को अपने दृष्टिकोण से देखना चाहती है। साम्यवादी दल ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है क्योंकि उस दल के लोग यह महसूस करते हैं कि श्रमिक वर्ग इस कानून का शिकार है।

सरकार ने आर्थिक अपराधियों के लिए अलग कानून बनाया है। सरकार चाहे जो कुछ कहे, इन कानूनों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों से किया जाता है।

हालांकि सरकार का कहना है कि नजरबन्दी की अवधि एक साल रहेगी फिर भी धारा 16-क के उपबन्ध से स्पष्ट हो जाता है कि एक साल की अवधि गुजरने के बाद नजरबन्दी के आधार बताकर व्यक्ति की नजरबन्द रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक साल की अवधि के बाद नजरबन्द व्यक्ति रिहा नहीं हो सकता। जब तक धारा 1.3 अधिनियम में है, तब तक नजरबन्दी की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि आंसुका को सैद्धान्तिक प्रयोग के रूप में नवम अनुसूची में रखा गया है। यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक है। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम को नवम् अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुसूची में संशोधन क्यों किया गया। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम को अनुसूची में शामिल किया गया है। क्या यह भी जनसाधारण के हित के लिए किया गया है ? इसी प्रकार अतिरिक्त परिलब्धियां, अधिनियम तथा अनिवार्य जमा योजना अधिनियम को नवम् अनुसूची में शामिल किया गया है। क्या यह भी मजदूर वर्गों के हित के लिए किया गया है ?

सभी प्रतिपक्षी दलों ने मेरे विधेयक का समर्थन किया है। कांग्रेस दल की एक माननीय सदस्या ने भी इसका समर्थन किया है क्योंकि वह भी इस अधिनियम का शिकार बनी हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।

सरकार को इतना बताने का भी साहस नहीं है कि 25 जून, 1975 से अब तक आंसुका के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द किए गए हैं। यदि सरकार यह समझती है कि आंसुका का दुरुपयोग नहीं किया गया है तो उसे यह बताना चाहिए कि आंसुका के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ दिन पूर्व सरकार ने लगभग सौ वकीलों को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने चैम्बर को तोड़ने का विरोध किया था। उन्होंने गलियों में प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि मुख्य न्यायाधीश के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे। जब वे वहां से लौट रहे थे तो उनकी बस को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ने लोगों का गला दबा रखा है। उन्हें कुछ भी कहने की आजादी नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य सरकार के अधिकारों को समाप्त करना नहीं है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग उदारतापूर्वक करे। आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति को एक वर्ष के बाद रिहा किया जाना चाहिए। यदि एक वर्ष की नजरबन्दी के पश्चात उसने अपने आपको न सुधारा हो और वह फिर भी अपनी अवैध गतिविधियां जारी रखे तो सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वह इसे पुनः नजरबन्द कर ले।

दुर्भाग्यवश इस विधेयक को पेश करने की अनुमति चार वर्ष बाद दी गई। इन चार वर्षों में कई ऐसी बातें हुई हैं जिससे इस विधेयक को स्वीकार करने का औचित्य और भी बढ़ जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**
**The motion was negatived**

# मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियन्त्रक विधेयक
# PROFITEERING PREVENTION AND PRICE CONTROL BILL

**श्री के० लकप्पा** (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह विधेयक देश के लाखों लोगों तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं से सम्बन्धित है । विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण में मैंने स्पष्ट किया था कि खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में इस कदर वृद्धि हुई है कि दलित तथा मध्य वर्ग के लोगों के लिए जीवन-निर्वाह करना कठिन हो गया है । मैंने उन कारणों का उल्लेख भी किया है जो जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिये थे ।

यह विधेयक वर्ष 1973 में अर्थात आपात स्थिति की घोषणा से पूव तयार किया गया था । किन्तु देश में आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक अब भी बहुत उपयोगी है । आपात स्थिति के दौरान भी मुनाफाखोर बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं । मैंने सभी प्रकार के खाद्यान्नों, दालों, मसालों, घी, साबुन, मिट्टी का तेल, खाने का तेल, प्रसिद्ध किस्म के सूती, रेशमी कपड़ों, चीनी, औषधियों आदि को आवश्यक वस्तुओं के अन्तर्गत रखा हैं ।

मुनाफाखोरों, चोर-बाजारियों, जमाखोरों तथा तस्करों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मैं सराहना करता हूं । हजारों ऐसे लोगों को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । इन उपायों से वस्तुओं के मूल्यों में भी कमी हुई है । लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उतने कम नहीं हुए जितने होने चाहिएं थे । अतः यह आवश्यक है कि आपात स्थिति के समुचित ढंग से लाभ उठाए जाएं ।

श्री ए० सी० जार्ज ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि केन्द्रीय सरकार तथा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए व्यापक कार्यवाही कर रही है । एक लम्बे अरसे से उपभोक्ता बेईमान निर्माताओं की दया पर जीता रहा है । ये व्यापारी कम तोलकर ग्राहकों को धोखा देते हैं जिससे 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा होता है । ये व्यापारी मिलावट का धन्धा करके लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित नहीं की गई हैं । अतः इस विधेयक में कई ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिनका आपात स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है ।

लेकिन यह कहा गया है कि कई बड़ी कम्पनियों ने अभी तक वर्ष 1973-74 का तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । 1973-74 के दौरान इन कम्पनियों ने 434.96 करोड़ रुपया (बिना टैक्स दिए) मुनाफा कमाया था । आपात स्थिति के दौरान भी इस तरह बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी की जाती है ।

सरकार ने मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों, जमाखोरों तथा तस्करों के विरुद्ध सराहनीय कार्यवाही की है । कोई भी यह नहीं कह सकता कि सभी घरेलू तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उतनी गिरावट आयी है जितनी की आनी चाहिए थी । अतः यह आवश्यक है कि आपात स्थिति के सभी लाभ उठाये जायें ।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें समाज की जरूरतों के मुताबिक निर्धारित नहीं की गयी हैं। अतः इस विधेयक में कई उपाय सुझाये गये हैं जिनका आपात स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है।

देश में अधिक सम्पत्ति का संकेन्द्रण पहले ही व्याप्त है। इस खतरे से बचने के लिए संविधान में कुछ उपबन्ध हैं। सरकार ने इस पहलू पर विचार क्यों नहीं किया ? आज कम्पनियां इस ढंग से कार्य कर रही हैं कि वे जनसाधारण की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहीं। हम देश की जरूरतों को समुचित ढंग से विभिन्न वर्गों में क्यों नहीं बांट लेते ?

जहां तक उपभोक्ता आन्दोलन का सम्बन्ध है, इस प्रणाली में परिवर्तन करना ही होगा। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करना होगा। वितरण प्रणाली का भी पुनर्गठन करना चाहिए था पर ऐसा नहीं किया गया है।

क्या सरकार ऐसे तन्त्र की स्थापना कर सकती है जो इन कम्पनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर कमाए जाने वाले लाभ को नियमित ढंग से सुनिश्चित कर सके। सहकारी आन्दोलन में कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं। यदि सरकार इन सब बातों पर निगरानी रखने की व्यवस्था करे तो यह उसका सराहनीय कार्य समझा जायेगा।

उद्योगों तथा उपभोक्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। सुझाव दिया गया है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम कीमत आज ही निर्धारित कर दे। बहुधा उपभोक्ता वस्तुओं की सही सूची नहीं रखी जाती। यह सूची हमेशा रखी जानी चाहिए। हमें आपात स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। हमें प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। इसके लिए इस तरह का विधान नितान्त आवश्यक है।

**श्री रणबहादुर सिंह** (सिक्की) : मैं उस भावना का समर्थन करता हूं जिसके अन्तर्गत श्री के० लकप्पा यह विधेयक सभा में लाये हैं। जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस विधेयक से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियमित करने में बहुत सहायता मिलेगी। किन्तु पिछड़े क्षेत्रों म मूल्य नियंत्रण के लिए यह विधेयक उतना अधिक सहायक नहीं होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ब्लाक ऐसा है जहां 90% लोगों को पिछले 12 महीनों से खाने के लिए चीनी नहीं मिली। उस पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में परिवहन साधनों की कमी है। चीनी सिर पर ढोकर लानी होती है। इसलिए निर्धारित मूल्य पर चीनी बेचने के लिए कोई तैयार नहीं। यातायात की कठिनाई को दूर करने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि ग्रामीण किसानों को हम तभी लाभ पहुंचा सकते हैं।

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में स्वीकार किया गया था और दो अलग-अलग क्षेत्र बनाये गये थे। पर यह बहुत आश्चर्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 28 वर्ष पश्चात भी हम देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कोई व्यापक नीति संकल्प पेश नहीं कर पाये हैं।

खुदरा मूल्यों और थोक मूल्यों में भारी अन्तर रहता है। खुदरा मूल्यों द्वारा भारी लाभ कमाया जाता है। कृषि साधनों और कृषि उत्पादन के मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर गेहूं, चावल, कपास तथा गन्ने के मूल्यों में कमी हुई है। पर कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त साधनों के मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। भारत में इन कृषि साधनों का प्रमुख उपभोक्ता किसान ही है। हम उसे संरक्षण प्रदान नहीं कर पाये हैं।

यद्यपि आवश्यक वस्तु अधिनियम को सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है तथापि इसके कठोर उपबन्धों से मूल्यों में कमी करने में सहायता मिली है । सबसे मुख्य समस्या जनसाधारण को उपयोग की वस्तुओं पर प्रभाव डालना है । 90% लोगों की पांच या छः वस्तुओं से पूरी होने वाली मांगों की पहचान की जानी चाहिये । इन वस्तुओं को सप्लाई स्थानीय उपभोक्ता स्टोरों से की जा सकती है । सरकार द्वारा जो सहकारी समितियां तथा सुपर बाजार खोले गये हैं उनमें निहित स्वार्थ पैदा हो गये हैं । अब हम आपात स्थिति के दौरान समूचे ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं । सरकार को एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित करना चाहिये । सहकारी क्षेत्र में भी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ घुसे हुए हैं जो किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं ।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम तथा अन्य विभिन्न खाद्य नियमों को कार्यान्वित करने वालों ने कुछ विशेष नाम नहीं कमाया है । इस बारे में जितना कहा जाये उतना कम है । मेरा सुझाव है कि 5,000 से 10,000 तक की जनसंख्या के लिए राज्य की लागत पर एक-एक दुकान खोली जाये । इस तरह 5,000 लाख लोगों के लिए लगभग 1 लाख दुकानें खोली जायेंगी । इससे 5 लाख शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । दूसरे इससे मूल्यों पर नियंत्रण भी रखा जा सकेगा । यदि ये दुकानें समूचे भारत में न भी खोली जा सकें तो भी हमें कम से कम उन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये जहां बेहद बेरोजगारी है जैसे पश्चिमी बंगाल का केरल से लगने वाला जिला जहां हजारों शिक्षित बेरोजगार स्नातक रोजगार की तलाश में घूमते हैं । आप यदि इस विधेयक को स्वीकार नहीं करते जैसा कि प्रायः होता है और सदस्य महोदय को विधेयक वापस लेने के लिए आप कहेंगे ही । तो भी आप कृपया इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लें ।

**श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरु) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : You can continue next time.

**तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 14 अप्रैल, 1976/25 चैत्र, 1898 (शक) क 11 बजे तक के लिए स्थागित हुई ।**



MGIPRRND—3 LSS/76—Sec. II (N)—28-8-76—200.